स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

53वीं वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

Scooters India Limited

(A Government of India Enterprise)

विषय-सूची	पृष्ठ सं.

• निदेशक मंडल	1
बोर्ड रिपोर्ट	
• निदेशक मंडल रिपोर्ट	3-25
• लेखा परीक्षक रिपोर्ट	26-37
• कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	38-44
• कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट	45-71
वित्तीय विवरण	
• बैलेंस शीट	72-73
• लाभ और हानि विवरण	74-75
• नकदी प्रवाह विवरण	76-77
लेखा नीतियाँ और नोट्स जो लेखों के साथ संलग्न हैं और उनके भाग हैं	78-102
सूचना	103-113

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

निदेशक मंडल

कार्यात्मक निदेशक

श्री नवीन कौल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	**25.04.2024 से**
श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)	**20.04.2024 से**
श्री अमित श्रीवास्तव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	**25.04.2023 से 24.04.2024 तक**

सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. रेणुका मिश्रा	गैर-कार्यकारी अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित)	**16.11.2023** से
श्री अरुण कुमार दीवान	गैर-कार्यकारी अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित)	**18.05.2023** से

स्वतंत्र निदेशक

श्री राज कुमार	**गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक**	02.11.2021 **से** 01.11.2024 **तक**

वैधानिक लेखा परीक्षक
वी. खन्ना एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट
"हरि प्रेम भवन", 111-ए/403, अशोक नगर, कानपुर-208012

सचिवीय लेखा परीक्षक
अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव
सी-17, विनय नगर, कृष्णा नगर, लखनऊ - 226 023

पंजीकृत कार्यालय
3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010,
उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष. नंबर: 0522-3119593
वेबसाइट: www.scootersindialimited.com
ईमेल आईडी: csscootersindia@gmail.com

स्टॉक एक्सचेंज
*बीएसई लिमिटेड, प्रथम तल, फ़िरोज़ जिजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001
(*सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के तहत स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के तहत 20 जून, 2024 से बीएसई लिमिटेड से डीलिस्टेड)

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट
स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
डी-153/ए, प्रथम तल ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1
नई दिल्ली-110020 फ़ोन-011-26812682 फ़ैक्स-26812682

1. निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को **31** मार्च **2025** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर **53**वीं वार्षिक रिपोर्ट**,** साथ ही लेखापरीक्षित बैलेंस शीट**,** लाभ-हानि विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। भारत सरकार द्वारा **28** जनवरी**, 2021** के एमएचआई के पत्र संख्या **3(1)/2020-**पीई-**VI** के माध्यम से कंपनी के संचालन और समापन को बंद करने के निर्णय के मद्देनजर**,** आलोच्य वर्ष के दौरान कोई उत्पादन और बिक्री गतिविधि नहीं हुई है। तदनुसार**,** आलोच्य वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों का उद्देश्य भारत सरकार के निर्णय को लागू करना था।

उत्पादन समीक्षा

(Nos.)

विवरण	**2024-25**	**2023-24**
थ्री - ह्वीलर	0	0

2. बिक्री समीक्षा

वर्ष का बिक्री प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

विवरण	**2024-25**		**2023-24**	
	भौतिक	वित्तीय (₹ In lakhs)	भौतिक	वित्तीय (₹ in lakhs)
थ्री - ह्वीलर	0	0.00	0	0.00
स्पेयर्स		0.00		0.00
पेट्रोल,डीजल, स्नेहक आदि		0.00		0.00
अन्य प्रचालन राजस्व		0.00		0.00
कुल		**0.00**		**0.00**

3. वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	**2024-25**	**2023-24**
क) मूल्यह्रास, ब्याज, कर, पिछले वर्ष की मदें और अन्य आय से पहले लाभ/हानि।	(356.35)	(173.06)
ख) मूल्यह्रास, ब्याज, कर और अन्य आय से पहले लाभ/हानि।	(356.35)	(173.06)
ग) पीबीआईडीटी	(44.08)	133.97
घ) वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(597.58)	(419.53)
च) कर के बाद लाभ/(हानि)	(873.24)	(3113.82)

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान:

I. मूल्यह्रास, ब्याज, कर, पूर्व वर्ष की मदों और अन्य आय से पूर्व हानि पिछले वर्ष की तुलना में **183.29** लाख रुपये बढ़ी।
II. मूल्यह्रास, ब्याज, कर और अन्य आय से पूर्व हानि पिछले वर्ष की तुलना में **183.29** लाख रुपये बढ़ी।
III. मूल्यह्रास, ब्याज और कर से पूर्व लाभ पिछले वर्ष की तुलना में **178.05** लाख रुपये कम हुआ।
IV. वर्ष के लिए कर पश्चात हानि पिछले वर्ष की तुलना में **2240.58** लाख रुपये कम हुई।

4. राजकोष में योगदान

कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान राजकोष में 275.66 लाख रुपये (शुल्कों एवं करों के रूप में) का योगदान दिया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह योगदान 2,694.29 लाख रुपये था। आयकर विभाग से 17 मार्च, 2023 के पत्र द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, कंपनी ने 10 अप्रैल, 2023 को आयकर विभाग में 14.44 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। विभाग के दिनांक 21.10.24 के पत्र के अनुसार ब्याज और जुर्माने के कारण आयकर की अतिरिक्त मांग 12.50 करोड़ रुपये से संशोधित कर 11.40 करोड़ रुपये कर दी गई है। निर्धारण वर्ष 24-25 की वापसी के समायोजन के बाद 28.10.24 और 11.11.24 को क्रमशः 6.12 लाख रुपये और 11.11.24 को 11.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

5. लाभांश

संचित घाटे और भारत सरकार द्वारा एमएचआई के पत्र संख्या 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28/01/2021 के तहत कंपनी का संचालन बंद करने और उसे बंद करने के निर्णय को देखते हुए, निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की।

6. आरक्षित निधियों में स्थानांतरण

घाटे को देखते हुए, कंपनी आवंटन हेतु उपलब्ध राशि में से सामान्य आरक्षित निधियों में स्थानांतरण का प्रस्ताव नहीं रखती है।

7. विभेदक अधिकार, स्वेट इक्विटी, ईएसओपी सहित या रहित शेयरों का निर्गमन:

कंपनी ने वर्ष के दौरान विभेदक अधिकार, स्वेट इक्विटी या कर्मचारी स्टॉक विकल्प वाले कोई शेयर जारी नहीं किए हैं; इसलिए, यह लागू नहीं होता।

8. निर्यात

वर्ष के दौरान निर्यात शून्य रहा।

9. विज्ञापन और प्रचार पर व्यय:

वर्ष के दौरान विज्ञापन और प्रचार पर व्यय शून्य रहा। हालाँकि, कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2)(सी) के प्रावधानों के अनुपालन में समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर 17.13 लाख रुपये खर्च किए हैं।

10. भारत सरकार से ऋण की चुकौती की स्थिति

भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ने ब्याज मुक्त योजना ऋण के माध्यम से 2.5 लाख रुपये की धनराशि जारी की। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के पुनरुद्धार पैकेज के तहत कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कैबिनेट/विविध द्वारा अनुमोदित 2000.00 लाख रुपये का ऋण दिया गया। बीआईएफआर द्वारा आवेदन स्वीकृत। स्वीकृति आदेश संख्या एफ. सं.3(15)/2013-पीई-VI दिनांक 23.7.2013 के अनुसार, ऋण 23.7.2016 से शुरू होने वाले 5 किस्तों में चुकाने योग्य था, यानी मंजूरी की तारीख से 3 साल, यानी 23.07.2016 से शुरू। 8 अप्रैल 2016 को आयोजित उनकी बैठक में बोर्ड के फैसले के अनुसार

और 5 मार्च 2015 के पत्र एफ. सं.3(15)/2013-पीई-VI की पृष्ठभूमि में, अस्थायी रूप से एफडीआर के रूप में लगाए गए कैपेक्स फंड पर ब्याज अप्रैल 2014 में भारत सरकार को रु. 23 जुलाई 2016 को देय 400.00 लाख रुपये की भुगतान की गई किस्त के विरूद्ध 128.11 लाख रुपये समायोजित किए गए। तदनुसार, 1600 लाख रुपये का मूलधन बकाया है।
इसके अलावा, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28/01/2021 के माध्यम से, भारत सरकार ने 65.12 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया, जिसमें से 41 करोड़ रुपये का ऋण 28.03.2021 को कर्मचारियों की वीआरएस/वीएसएस योजना और अन्य सरकारी/वैधानिक भुगतानों के लिए वितरित किया गया। 25.50 करोड़ रुपये के समायोजन के बाद, शेष राशि 25.50 करोड़ रुपये हो गई। शेयरों की डीलिस्टिंग के परिणामस्वरूप जनता से शेयरों के अधिग्रहण हेतु 16.99 करोड़ रुपये की राशि में से, शेष राशि, अर्थात 24.00 करोड़ रुपये, 1 जुलाई, 2025 को भारत सरकार को एमएचआई के पत्र संख्या एफ. संख्या 3(3)/2021-पीई-VI दिनांक 28 अप्रैल, 2025 के अनुसार चुका दी गई है।

शर्तों के अनुसार, चल संपत्तियों की बिक्री और ब्रांडों व ट्रेडमार्क की बिक्री से प्राप्त होने वाली संभावित राशि का उपयोग कंपनी के दायित्वों को पूरा करने और डीलिस्टिंग भुगतानों के लिए किया जाएगा। शेष उपलब्ध राशि का उपयोग भारत सरकार से पूर्व में लिए गए 16 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त ऋण और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 65.12 करोड़ रुपये के ऋण से वितरित राशि पर ब्याज सहित ऋण चुकाने के लिए किया जाएगा।

11. कंपनी के बंद होने की स्थिति:

क. कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस: एमएचआई के पत्र संख्या एफ. संख्या 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28.01.2021 के अनुसार, सभी नियमित कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस के अनुसार कार्यमुक्त कर दिया गया है और 29.04.2021 से कंपनी की नियमित संख्या शून्य है।

ख. चल संपत्तियों का निपटान (ब्रांडों के अलावा): एमएचआई के पत्र संख्या एफ. संख्या 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28.01.2021 के अनुसार, एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से 2023-24 के दौरान सभी चल संपत्तियों की ई-नीलामी पूरी कर ली गई है।

ग. अमूर्त संपत्तियों (ब्रांडों) का निपटान: पत्र संख्या एमएचआई के एफ. संख्या 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28.01.2021 के अनुसार, 2023-24 के दौरान लैम्ब्रेटा और लैम्ब्रो ब्रांड की ई-नीलामी पूरी हो गई है, और विक्रम और विजय सुपर ट्रेडमार्क का निपटान प्रक्रिया में है।

घ. लीजहोल्ड भूमि की वापसी: भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई), भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.10.2022 के पत्र द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार, सरोजिनी नगर में स्थित भवन/वृक्षों सहित 147.49 एकड़ लीजहोल्ड भूमि 01.12.2022 को "जहाँ और जहाँ के आधार पर" यूपीएसआईडीए (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण), उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है।

च. लेनदारों का निपटान: कंपनी ने 04 जून, 2022 को इकोनॉमिक टाइम्स (नई दिल्ली/गुड़गांव, अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, जयपुर और लखनऊ) में और 09 जून, 2022 को दैनिक जागरण (लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, झांसी, आगरा, बरेली, प्रयागराज, मुरादाबाद, अलीगढ़, नई दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी, हिसार, पानीपत, धर्मशाला, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा/मालवा, चंडीगढ़, जम्मू, पटना, भागलपुर, रांची, धनबाद, जमशेदपुर और सिलीगुड़ी) में एक प्रकाशन किया है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी बंद होने की प्रक्रिया में है और कंपनी से बकाया/प्राप्तियां रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने दावों के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ कंपनी से संपर्क कर सकता है। एसआईएल ने 03.03.25 को एक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञापन दिया, जिसमें दावे की अंतिम तिथि 13.03.25 निर्धारित की गई थी। आज तक किसी भी पक्ष से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

छ. कर बकाया का निपटान:

i. प्रत्यक्ष कर: वित्त मंत्रालय से दिनांक 17.03.2023 को प्राप्त पत्र के अनुसार, कंपनी ने कंपनी पर कुल बकाया आयकर देयता के विरुद्ध 10.04.2023 को 14.44 करोड़ रुपये की मूल राशि का भुगतान कर

दिया है। 21.10.24 को आयकर की अंतिम मांग 12.50 करोड़ रुपये से संशोधित कर 11.40 करोड़ रुपये कर दी गई। निर्धारण वर्ष 24-25 की वापसी के समायोजन के बाद 28.10.24 और 11.11.24 को क्रमशः 6.12 लाख रुपये और 11.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। लंबित बकाया राशि के भुगतान के बाद आयकर विभाग द्वारा पत्र संख्या ITBA/COM/F/17/2024-25/1073367554(1) दिनांक 17/02/2025 के माध्यम से कंपनी को एनओसी जारी कर दी गई है।

ii. अप्रत्यक्ष कर:

क. **सेवा कर:** सभी मामले बंद कर दिए गए हैं, और कंपनी जल्द से जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संबंधित विभाग के साथ नियमित रूप से संपर्क कर रही है। हालाँकि, यह मामला लंबित है।

ख. वैट/बिक्री कर/प्रवेश कर/जीएसटी: लंबित 02 जीएसटी मामलों के बंद होने के बाद; सभी अप्रत्यक्ष कर मामले बंद कर दिए गए हैं, और कंपनी जल्द से जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संबंधित विभाग के साथ नियमित रूप से संपर्क कर रही है। हालाँकि, यह मामला लंबित है।

ज. कानूनी मामले: कंपनी शीघ्र निपटान के लिए कानूनी मामलों पर काम कर रही है।
ञ. पीएफ ट्रस्ट का बंद होना: कंपनी ने 485 कर्मचारियों में से 364 कर्मचारियों के संबंध में भुगतान कर दिया है, जिनके संबंध में वैध दावे प्राप्त हुए थे। पीएफ ट्रस्ट का ऑडिट 31/03/2023 तक पूरा हो चुका है और ऑडिट रिपोर्ट, संबंधित अनुसूचियाँ और ट्रस्ट हस्तांतरण अनुरोध क्षेत्रीय ईपीएफओ, लखनऊ को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। ट्रस्ट के संदर्भ में, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) द्वारा 30/04/2025 को कुल संचित धनराशि ₹2.41 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को हस्तांतरित करने के बाद एक अनंतिम ट्रस्ट समर्पण प्रमाणपत्र जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹1 करोड़ मूल्य की सरकारी (सीजीएसएल) प्रतिभूतियाँ भी 02/09/2025 को यूटीआई के माध्यम से ईपीएफओ को प्रेषित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप ट्रस्ट का शेष शून्य हो गया।

12. 01.04.2025 से अब तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

मुख्य स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. संख्या 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28.01.2021 के अनुसार, कंपनी का संचालन बंद कर दिया गया है और एसआईएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उक्त सूचना के अनुसार, सभी नियमित कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है और 29.04.2021 से कंपनी की नियमित संख्या शून्य है। कंपनी अब चालू व्यवसाय नहीं रही और उक्त सूचना के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। 01 अप्रैल, 2025 से अब तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं।

13. इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग

क. कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी चुकता शेयर पूंजी ₹87,27,38,188/- (सत्तासी करोड़ सत्ताईस लाख अड़तीस हजार एक सौ अट्ठासी मात्र) है, जो ₹10/- अंकित मूल्य वाले 8,72,72,255 (आठ करोड़ बहत्तर लाख बहत्तर हजार दो सौ पचपन) इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई में सूचीबद्ध थे।

ख. चूँकि कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से, कंपनी के प्रवर्तक हैं।

ग. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक के अनुसार। एफ. संख्या 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021, द्वारा कंपनी के संयंत्र/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी गई। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट किया जाना आवश्यक है और डीलिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जनता के पास मौजूद इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है।

घ. इसके अतिरिक्त, कंपनी एक चालू व्यवसाय नहीं रह गई है, और उपर्युक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

च. गृह मंत्रालय द्वारा सूचित केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

छ. कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है, जिनका अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर है। कंपनी में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 93.87% और सार्वजनिक हिस्सेदारी मात्र 6.13% थी। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार बहुत कम होता था।

ज. स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, डीलिस्टिंग का उद्देश्य सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करना था।

झ. इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भारत के राष्ट्रपति ("अधिग्रहणकर्ता") द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

ट. अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देने का इरादा व्यक्त किया है।

ठ. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए एक मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति हेतु 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने 02 मई, 2023 के अनुबंध पत्र के माध्यम से प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करने हेतु मेसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है।

ड. अधिग्रहणकर्ता की ओर से, सीएमडी ने 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करके डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

ढ. उपरोक्त के मद्देनजर और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, प्रबंधक द्वारा अधिग्रहणकर्ता की ओर से 03 मई, 2023 को एक आरंभिक सार्वजनिक घोषणा की गई, जिसमें लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव को स्वीकार करने की मंशा व्यक्त की गई और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार बीएसई से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

त. आईपीए प्राप्त होने और 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचना मिलने पर, डीलिस्टिंग प्रस्ताव पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए 24 मई, 2023 को बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई।

थ. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 10(2) के अनुसार, उचित परिश्रम करने और शेयर पूंजी रिपोर्ट के समाधान जारी करने के लिए, सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, एक पीयर-रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

द. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 8 के साथ पठित डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए, न्यूनतम मूल्य 31.78 रुपये प्रति शेयर पर गणना की गई थी। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य के अनुमोदन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को आवेदन किया और मंत्रालय ने 9 फरवरी, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से न्यूनतम मूल्य 31.78 रुपये प्रति शेयर करने की मंजूरी दे दी।

ध. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूटें।

ii. सहकर्मी-समीक्षित कंपनी सचिव द्वारा प्रस्तुत 24 मई, 2023 की उचित परिश्रम रिपोर्ट, और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और लाभों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 10(4) के तहत अपनी स्वीकृति प्रदान की है और पोस्टल बैलट के माध्यम से कंपनी के

शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। बोर्ड ने पुष्टि की है कि:

I. कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

II. अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) का अनुपालन करता है; और

III. प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

न. कंपनी ने **05** जून, **2023** को डाक मतपत्र और ई-वोटिंग के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कंपनी के शेयरधारकों को डाक मतपत्र की सूचना भेजी और **07** जुलाई, **2023** को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किए गए।

प. इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम **12** के अनुसार, **30** अक्टूबर, **2023** के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग प्रस्ताव को अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की।

फ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूट और डीलिस्टिंग विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार और उनके अनुपालन में कंपनी के इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए समाचार पत्र विज्ञापन शुक्रवार, **08** दिसंबर, **2023** और शनिवार, **09** दिसंबर, **2023** के बीच निम्नलिखित समाचार पत्रों में दिया गया:

Sr. No.	प्रकाशन	भाषा	संस्करण/राज्य	प्रकाशन की तिथि
1.	द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेज़ी	अखिल भारतीय	08 दिसंबर 2023
2.	जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय	08 दिसंबर 2023
3.	दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेज़ी	जम्मू और श्रीनगर	08 दिसंबर 2023
4.	दैनिक आफ़ताब	उर्दू	श्रीनगर	08 दिसंबर 2023
5.	दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	08 दिसंबर 2023
6.	विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक	08 दिसंबर 2023
7.	दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड	08 दिसंबर 2023
8.	लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र	08 दिसंबर 2023
9.	पुननगरी	मराठी	महाराष्ट्र	08 दिसंबर 2023
10.	तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना	08 दिसंबर 2023
11.	द हिंदू	तामिल	तमिलनाडु	08 दिसंबर 2023
12.	केरल कौमडी	मलयालम	केरल	09 दिसंबर 2023
13.	बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल	09 दिसंबर 2023
14.	संदेश	गुजराती	गुजरात	09 दिसंबर 2023

ब. अधिग्रहणकर्ता ने **5207** सार्वजनिक शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से प्रस्ताव पत्र, निविदा प्रपत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज भेजे और शेष **6130** सार्वजनिक शेयरधारकों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से कंपनी के इक्विटी शेयरों की प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए प्रस्तावित डीलिस्टिंग और सभी सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए निर्धारित फ्लोर प्राइस/एग्जिट प्राइस के बारे में सूचित किया।

भ. डीलिस्टिंग ऑफर **26** दिसंबर, **2023** को **75** कार्य दिवसों के लिए खोला गया था और **8** अप्रैल, **2024** को बंद हुआ।

म. **5** जून, **2024** के नोटिस के अनुसार, बीएसई ने नोटिस जारी किया - "एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समय-समय पर संशोधित सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, **2021** के अनुसार, कंपनी ने इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग की औपचारिकताओं का पालन किया है। तदनुसार, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (स्क्रिप कोड: **505141)** के इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग बुधवार, **12** जून,

2024 से बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा, उपरोक्त स्क्रिप को गुरुवार, 20 जून, 2024 से एक्सचेंज रिकॉर्ड से डीलिस्ट कर दिया जाएगा। ट्रेडिंग सदस्य यह भी ध्यान दें कि कंपनी के प्रमोटर/अधिग्रहणकर्ता द्वारा बाहर निकलने का विकल्प खुला रखा जाएगा। अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा, शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए डीलिस्टिंग की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक 31.78/- रुपये (केवल इकतीस रुपये अठहत्तर पैसे) प्रति इक्विटी शेयर की दर से, जो कि निर्धारित निकास मूल्य होगा, डीलिस्टिंग की अनुमति दी गई है।

य. तदनुसार, कंपनी के इक्विटी शेयरों को 20 जून, 2024 से बीएसई लिमिटेड से डीलिस्ट कर दिया गया है।

र. सेबी द्वारा छूट पत्र संख्या **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर, 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1** दिनांक 18 जनवरी, 2023, **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1** दिनांक 02 मई, 2023 और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2024/0365/1** दिनांक 03 जनवरी, 2024 के साथ पठित, प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूट प्रदान की गईं। इन पत्रों के माध्यम से प्रदान की गई छूटों का विवरण इस प्रकार है:

i. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट, जो सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन को अनिवार्य करता है। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे सूचीबद्ध हैं:

- **I.** एलओडीआर विनियम, 2015 का विनियम 17(1), जिसके अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे।
- **II.** एलओडीआर विनियम, 2015 का विनियम 31, जिसके अनुसार कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रमोटर(ओं) और प्रमोटर समूह की शत-प्रतिशत शेयरधारिता डीमैट रूप में हो और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाए।
- **III.** एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पठित, कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता है।
- **IV.** स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की सूचीकरण पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108।
- **V.** एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6, कंपनी को अनुपालन अधिकारी के रूप में एक योग्य कंपनी सचिव की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।

ii. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड से छूट मांगी गई थी क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि चुकता शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

iii. स्वैच्छिक डीलिस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 30 जून, 2024 तक बढ़ाने के संबंध में डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट।

iv. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने और 90% या अधिक सार्वजनिक शेयरधारिता रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति से छूट, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

- **I.** अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य पर निर्णय लेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को प्रस्तावित निकास मूल्य, अधिग्रहण विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।
- **II.** अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट कराने के अपने इरादे, इसके औचित्य सहित निकास मूल्य की जानकारी देगा और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव पर उनकी सहमति मांगेगा।
- **III.** सार्वजनिक शेयरधारकों को भेजे गए पत्र में, लागू मानदंडों के विशेष संदर्भ में, प्रस्तावित मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास

मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

IV. अपने इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग के अनुसरण में, प्रवर्तक ऐसे इक्विटी शेयर धारण करने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत शेयरों को उसी मूल्य पर स्वीकार करना जारी रखेंगे जिस पर शेयरों की पूर्व स्वीकृति की गई थी।

V. प्रस्ताव का प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेगा कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित रहें और इसके लिए, वह:

1. उन्हीं समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित करेगा जिनमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद निकास अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था।
2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती सूचनाएँ भेजेगा; और
3. स्टॉक एक्सचेंज(ओं) को एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसे उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज(ओं) द्वारा जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित का खुलासा किया जाएगा:

   क. तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

   ख. तिमाही के दौरान निकास अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

ल. **एग्जिट लेटर ऑफ ऑफर**: अवशिष्ट शेयरधारक जो डीलिस्टिंग ऑफर के बाद इक्विटी शेयरों को धारण करना जारी रखते हैं, वे **20.06.2024** से **19.06.2026** तक या सेबी द्वारा अनुमत किसी भी पूर्व तिथि ("एग्जिट विंडो") पर **31.78/-** रुपये प्रति इक्विटी शेयर ("एग्जिट प्राइस") पर अपने इक्विटी शेयर अधिग्रहणकर्ता को दे सकेंगे। सेबी डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन **26** के प्रावधानों के अनुसार, **17** अगस्त, **2024** को सभी अवशिष्ट सार्वजनिक शेयरधारकों को एक एग्जिट लेटर ऑफ ऑफर भेजा गया था और उसके बाद **16** नवंबर, **2024, 04** जनवरी, **2025, 05** अप्रैल, **2025** और **02** अगस्त, **2025** के अनुस्मारक भेजे गए थे और उन सभी समाचार पत्रों में एक प्रकाशन भी किया गया है जिनमें डीलिस्टिंग लेटर ऑफ ऑफर के लिए **08/09** दिसंबर, **2023** को पहले प्रकाशन किया गया था। मासिक भुगतान चक्र का पालन किया जा रहा है और भुगतान संबंधित माह की समाप्ति से **10** कार्यदिवसों के भीतर किया जा रहा है।

सेबी ने दिनांक **21** अप्रैल, **2025** के पत्र संख्या **SEBI/ HO/ CFD/ RAC/ DCR2 /P/ OW/ 2025/ 11275/ 1** के माध्यम से निकास अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया, जो **19.06.2025** को समाप्त हो गई। सेबी के निर्देशों के अनुसार, बीएसई एक वर्ष की अवधि के बाद शेष शेयरधारकों के दावों के निपटान के लिए एक तंत्र तैयार कर रहा है। बीएसई द्वारा तंत्र तैयार किए जाने तक, एसआईएल निकास प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से शेयरों की निविदा स्वीकार करना और मासिक आधार पर भुगतान करना जारी रखेगा।
शेयरधारक नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डीलिस्टिंग प्रस्ताव में भाग लेने के लिए प्रस्ताव पत्र और अन्य दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं:

एग्जिट लेटर ऑफ ऑफर	एग्जिट आवेदन फॉर्म **(सभी शेयरधारकों द्वारा निष्पादित किया जाना है)**	**शेयर हस्तांतरण प्रपत्र (यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं तो इसे भरना होगा)**
अनुलग्नक-1 देखें	*अनुलग्नक-2 देखें*	*अनुलग्नक-3 देखें*

14. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण:

कंपनी अब चालू व्यवसाय नहीं रही है और एमएचआई के दिनांक 28.01.2021 के पत्र संख्या एफ. संख्या 3(1)/2020-पीई-VI के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कंपनी पत्र में पुष्टि किए गए चरणों का पालन कर रही है और बंद करने की प्रक्रिया जारी है।

क. मिशन, विजन और उद्देश्य:

विजन: SIL का विजन ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक संगठन के रूप में विकसित होना था, जिसमें ई-

मोबिलिटी पर अधिक जोर दिया गया।

मिशन: SIL का मिशन इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रवेश करके ई-मोबिलिटी में SIL की उपस्थिति को मजबूत करना और इस प्रकार भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ मोबिलिटी समाधान प्रदान करना था।

उद्देश्य:

• इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के दो वेरिएंट/BS-VI थ्री-व्हीलर के एक वेरिएंट का डिज़ाइन, विकास और व्यावसायीकरण।

• इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर/BS-VI थ्री-व्हीलर के दो और वेरिएंट का डिज़ाइन, विकास और व्यावसायीकरण।

• ई-मोबिलिटी व्यवसाय और BS-VI थ्री-व्हीलर का एकीकरण, ताकि SIL थ्री-व्हीलर उद्योग में एक प्रमुख शक्ति बन सके।

• इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में विशिष्ट बाजार बनाना।

हालाँकि, जैसा कि भारत सरकार ने पत्र संख्या 3 (1) 2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी 2021 के माध्यम से एसआईएल को बंद करने का आदेश दिया है, इसलिए उपर्युक्त मिशन, विजन और उद्देश्यों का अब पालन नहीं किया जा रहा है।

ख. बाज़ार परिदृश्य-खंड/उत्पादवार प्रदर्शन:

कंपनी इस बाज़ार में एक खंड खिलाड़ी नहीं रही, और समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी में तिपहिया वाहनों का कोई उत्पादन नहीं हुआ।

ख. भविष्य की संभावना:

चूँकि भारी उद्योग मंत्रालय ने 28 जनवरी 2021 के पत्र संख्या 3 (1) 2020-पीई-VI में एसआईएल को बंद करने का आदेश दिया है, इसलिए कंपनी का भविष्य का दृष्टिकोण उक्त आदेश के तहत परिभाषित चरणों का पालन करना है।

ग. रणनीतिक रोडमैप:

चूँकि भारी उद्योग मंत्रालय ने 28 जनवरी 2021 के पत्र संख्या 3 (1) 2020-पीई-VI में एसआईएल को बंद करने का आदेश दिया है, इसलिए कंपनी इस बाज़ार में एक खंड खिलाड़ी नहीं रही। इसलिए, कोई रणनीतिक रोडमैप नहीं है।

ग. आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता:

कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण की एक उचित और पर्याप्त प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण किया जाए, परिसंपत्तियों के किसी भी अनधिकृत उपयोग या निपटान के विरुद्ध, और लेनदेन को सही ढंग से अधिकृत, रिकॉर्ड और रिपोर्ट किया जाए।
कंपनी सभी आंतरिक नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ सभी नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया और डिज़ाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट योग्य भौतिक कमज़ोरी नहीं पाई गई।

घ. परिचालन समीक्षा बनाम वित्तीय समीक्षा

समीक्षित वर्ष के दौरान, कंपनी का संचालन पत्र संख्या F. सं. 3(1)/2020-PE-VI दिनांक 28.01.2021 के अनुसार निलंबित रहा और उसने SIL को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

च. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध क्षेत्र में भौतिक विकास और नियोजित लोगों की संख्या:

31 मार्च 2025 तक कंपनी की जनशक्ति शून्य थी। एमएचआई के पत्र संख्या एफ. संख्या 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28.01.2021 के अनुसार, कंपनी का संचालन बंद कर दिया गया है और एसआईएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उक्त सूचना के अनुसार, सभी नियमित कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है और 29.04.2021 से कंपनी की नियमित संख्या शून्य है।

छ. वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

[भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V(B) के अनुसार]

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रमुख वित्तीय अनुपात, प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों (अर्थात् तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% या अधिक परिवर्तन) का विवरण और विस्तृत स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय अनुपात स्टैंडअलोन परिवर्तन

वित्तीय अनुपात	कार्यप्रणाली	2024-25	2023-24	इस परिवर्तन का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान देनदारियों की तुलना में वर्तमान संपत्तियाँ	0.66	0.77	-
ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल शेयरधारकों की इक्विटी की तुलना में ऋण	-1.84	-2.56	संचित घाटे में वृद्धि के कारण
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	वर्तमान ऋण की तुलना में EBIT	-0.01	0.02	कंपनी के परिचालन बंद होने के कारण, कोई आय नहीं है, जिससे संचित घाटा बढ़ रहा है और सरकारी ऋण पर वार्षिक ब्याज बढ़ रहा है।
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	कुल औसत इक्विटी की तुलना में PAT	-0.10	-0.36	कंपनी के परिचालन बंद होने के कारण, कोई आय नहीं है, जिससे संचित घाटा बढ़ रहा है क्योंकि समापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए भुगतान किए जा रहे हैं।
इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	औसत इन्वेंट्री की तुलना में बेची गई वस्तुओं की लागत	0.00	0.00	-
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	औसत व्यापार प्राप्तियों की तुलना में परिचालन से राजस्व	0.00	0.00	-
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	औसत व्यापार देय राशि की तुलना में समायोजित व्यय	0.00	0.00	-
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	औसत कार्यशील पूंजी की तुलना में परिचालन से राजस्व	-0.12	-0.17	कंपनी के परिचालन बंद होने के कारण, परिचालन से कोई राजस्व नहीं है, कंपनी का आगे बंद होना प्रक्रियाधीन है, जिससे संचित घाटा और इक्विटी में वृद्धि हो रही है।
शुद्ध लाभ अनुपात	राजस्व की तुलना में शुद्ध लाभ	-2.80	-10.14	
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	औसत नियोजित पूंजी की तुलना में PBIT	-0.01	0.02	
निवेश पर प्रतिफल	भारित औसत निवेश की तुलना में ब्याज आय, निवेशों की	0.09	0.06	वैधानिक बकाया, विवादों से संबंधित भुगतान और कंपनी समापन प्रक्रिया से संबंधित भुगतान के कारण कंपनी के निवेश/जमा में कमी के कारण।

	बिक्री पर शुद्ध लाभ और शुद्ध उचित मूल्य लाभ।			
EBITDA %	राजस्व की तुलना में EBITDA	-14%	44%	कंपनी के परिचालन बंद होने के कारण, परिचालन से कोई राजस्व नहीं है, कंपनी का आगे बंद होना प्रक्रियाधीन है, जिससे संचित घाटा और इक्विटी में वृद्धि हो रही है।
EBIT %	राजस्व की तुलना में EBIT	-14%	44%	

ज. बीआईएफआर के समक्ष स्थिति:

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के अनुसार, कंपनी की निवल संपत्ति में पूर्ण गिरावट के बाद, बीआईएफआर ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) की धारा 3(1)(ओ) के प्रावधानों के अनुसार, 18 फरवरी 2010 को कंपनी को रुग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित कर दिया। बीआईएफआर ने एसआईएल के पुनरुद्धार हेतु कैबिनेट के निर्णय के अनुरूप, शेयर जारी करने, बैलेंस शीट के पुनर्गठन और पूंजीगत व्यय एवं कार्यशील पूंजी के लिए धनराशि जारी करने हेतु आवश्यक अनुमति/उचित निर्देश प्राप्त करने हेतु कंपनी द्वारा दायर विविध आवेदन को मंजूरी दे दी। परिचालन एजेंसी (एसबीआई) द्वारा बीआईएफआर को प्रस्तुत करने के लिए पुनर्वास योजना (डीआरएस) का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बीआईएफआर ने दिनांक 15.09.2015 को अपनी सुनवाई में निर्देश दिया कि एसआईएल, एसआईसीए की धारा 3(1)(ओ) के अर्थ में एक बीमार औद्योगिक कंपनी नहीं रह गई है, क्योंकि इसकी निवल संपत्ति सकारात्मक हो गई है, और इसलिए इसे एसआईसीए/बीआईएफआर के दायरे से मुक्त किया जाता है।

15. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) और 134(5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशकगण, अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, पुष्टि करते हैं कि:

क. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इन मानकों को अपनाने में कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है।;

ख. कंपनी ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है, तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के घाटे का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

ग. कंपनी ने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और क्षमता के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ. कंपनी ने वार्षिक लेखे चालू-चिंतन के आधार पर नहीं तैयार किए हैं।

ङ. कंपनी ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं, और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और उनकी सर्वोत्तम जानकारी और क्षमता के अनुसार प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं; और

च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

16. निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, नियुक्त एवं त्यागपत्र:

श्री अमित श्रीवास्तव का कार्यकाल पूरा होने पर, श्री नवीन कौल, महाप्रबंधक, भेल, जगदीशपुर को भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या एफ. संख्या **3(23)/2012**-पीई-**VI (**भाग **II)** दिनांक **15** अप्रैल, **2024** के अनुसार **25.04.2024** से अतिरिक्त प्रभार के आधार पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, पत्र संख्या एफ. संख्या **3(23)/2012**-पीई-**VI**

(भाग II) दिनांक 24 अप्रैल, 2025 के अनुसार, कार्यकाल को 25 अप्रैल, 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अंतिम विघटन तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ा दिया गया है।

पत्र संख्या के अनुसार भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एफ. संख्या 3(4)/2018-पीईई-VI दिनांक 20 मार्च, 2024 के अनुसार, श्री मुकेश कुमार, एजीएम (वित्त), बीएचईएल ने 20 अप्रैल, 2024 से स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके अतिरिक्त, पत्र संख्या एफ. संख्या 3(4)/2018-पीई-VI/सीपीएसई-I दिनांक 16 मई, 2025 के अनुसार, कार्यकाल को 20 अप्रैल, 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अंतिम विघटन तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ा दिया गया है।

भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र संख्या एफ. संख्या 2-03/3/2017-पीई-VI, दिनांक 18 मई, 2023 के अनुसार, श्री अरुण कुमार दीवान, संयुक्त निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) को 18 मई, 2023 से अगले आदेश तक एसआईएल के बोर्ड में श्री रमा कांत सिंह, निदेशक, एमएचआई के स्थान पर अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16 नवंबर, 2023 के पत्र संख्या एफ. सं.2-03/3/2017-पीई-VI के माध्यम से, आर्थिक सलाहकार, एमएचआई डॉ. रेणुका मिश्रा को श्रीमती सुषमा बत्रा के स्थान पर स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया है।

भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग ने अपने आदेश संख्या 3(20)/2013-पीई-VI दिनांक 28.01.2020 के माध्यम से श्री महेंद्र प्रताप सिंह और श्रीमती को नियुक्त किया है। राकेश शर्मा को तीन वर्षों की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था, और दोनों ने 27 जनवरी, 2023 को गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। श्री राज कुमार को एमएचआई के पत्र संख्या 3(20)/2013-पीई-VI दिनांक 02 नवंबर, 2021 के माध्यम से गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में, कंपनी में कोई गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नहीं है, क्योंकि श्री राज कुमार का तीन वर्ष का कार्यकाल 01 नवंबर, 2024 को पूरा हो गया था।

कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के साथ पठित अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक डॉ. रेणुका मिश्रा आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगी और पात्र होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेंगी। बोर्ड ने उनकी पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा की है। बोर्ड उनकी पुनर्नियुक्ति की सराहना करता है।

कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है। प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक का पारिश्रमिक डीपीई द्वारा जारी ग्रेड और अन्य नियमों व शर्तों के अनुसार निर्धारित होता है। हालाँकि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक-वित्त की नियुक्ति अतिरिक्त प्रभार के आधार पर की जाती है और वे अपना पारिश्रमिक अपनी मूल कंपनी, यानी बीएचईएल से प्राप्त करते हैं, न कि कंपनी से। कंपनी के निदेशक मंडल के सरकारी निदेशक अपना पारिश्रमिक भारत सरकार से प्राप्त करते हैं, न कि कंपनी से। स्वतंत्र निदेशकों को, यदि कोई हो, तो एसोसिएशन के नियमों के अनुसार, बैठक में भाग लेने के खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा, केवल बैठक शुल्क (कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर) का भुगतान किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

सीएस समर्थ दवे, जिन्हें 20 जुलाई, 2021 से कंपनी का कंपनी सचिव (सीएस) एवं अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया था, 01 अप्रैल, 2022 से सीएस पद से मुक्त हो गए। सीएस प्रखर सर्वेयल ने 12 अगस्त, 2022 से 30 अगस्त, 2022 तक अल्प अवधि के लिए कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य किया। सीएस रवि प्रकाश तिवारी 29 दिसंबर, 2022 से कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे; तथापि, 12 जुलाई, 2023 से कंपनी सचिव पद से मुक्त हो गए। श्री राज शेखर तिवारी 19 फरवरी, 2025 को अपने निधन के कारण

कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद से मुक्त हो गए।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के संबंध में, बोर्ड स्तर से नीचे के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति कंपनी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार की जाती है और उन्हें डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। हालाँकि, वर्तमान में कोई नई भर्ती नहीं की जा रही है, क्योंकि कंपनी बंद होने की प्रक्रिया में है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया गया है। चूँकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए निदेशकों का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

17. बोर्ड की बैठकों की संख्या:

वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की छह बैठकें हुईं, जिनका विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 और लिस्टिंग अनुबंध विनियमों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर था।

18. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय का विवरण देने वाला एक विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध-1, 1-ए और 1-बी में दिया गया है।

19. कर्मचारियों का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अंतर्गत, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित, सूचना शून्य मानी जाएगी।

20. औद्योगिक संबंध:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, औद्योगिक संबंध कुल मिलाकर संतोषजनक रहे हैं। कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों को 29.04.2021 से प्रभावी वीआरएस/वीएसएस के तहत कार्यमुक्त कर दिया गया है।

21. मानव संसाधन विकास:

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा पत्र संख्या: 3(1)/2020-पीई-**VI** दिनांक 28/01/2021 के माध्यम से जारी एक नोटिस के कारण, कंपनी के सभी संचालन स्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं और उक्त पत्र में दिए गए निर्देशों और उक्त नोटिस के अनुसार, कंपनी के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यमुक्त कर दिया गया है।

22. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि:

कंपनी का संचालन बंद है; इसलिए, कोई कर्मचारी नहीं है। 31.03.2025 तक, कंपनी की कुल जनशक्ति शून्य है।

23. स्वतंत्र निदेशक की घोषणा:

दो स्वतंत्र निदेशक, श्रीमती राकेश शर्मा और श्री एम.पी. कंपनी के बोर्ड में श्री सिंह, अपना कार्यकाल पूरा होने पर 28.01.2023 से निदेशक नहीं रहेंगे। इसके अतिरिक्त, श्री राज कुमार भी अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 01 नवंबर, 2024 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहेंगे। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशक द्वारा यह घोषणा करने के संबंध में धारा 149(7) के प्रावधान कि वह कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 5 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 25 के साथ पठित धारा 149(6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है, कंपनी पर लागू नहीं होंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित

नहीं की गई। बैठक अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशकों और किसी अन्य प्रबंधकीय कार्मिक की उपस्थिति के बिना आयोजित की गई थी।

24. स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति पर प्रकटीकरण:

वर्ष 2024-25 के दौरान, एसआईएल के निदेशक मंडल में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई और आलोच्य वर्ष के दौरान कोई पुनर्नियुक्ति नहीं की गई। कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं होता।

25. निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति, जिसमें योग्यता, विशेषताएँ, स्वतंत्रता आदि निर्धारित करने के मानदंड शामिल हैं:

कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक का पारिश्रमिक डीपीई द्वारा जारी ग्रेड और अन्य नियमों व शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। हालाँकि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक-वित्त की नियुक्ति अतिरिक्त प्रभार के आधार पर की जाती है और वे अपना पारिश्रमिक अपनी मूल कंपनी, यानी भेल, से प्राप्त करते हैं, न कि कंपनी से। कंपनी के बोर्ड में शामिल सरकारी निदेशक अपना पारिश्रमिक भारत सरकार से प्राप्त करते हैं, न कि कंपनी से। स्वतंत्र निदेशकों, यदि कोई हों, को बैठक में भाग लेने के खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा, एसोसिएशन के नियमों के अनुसार केवल बैठक शुल्क (कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर) का भुगतान किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में, बोर्ड स्तर से नीचे के सभी संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार की जाती है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया गया है। चूँकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों को धारा 178(2), (3) और (4) के प्रावधानों से छूट दी है, जिनके तहत निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता और वार्षिक मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति बनाना आवश्यक है। पारिश्रमिक से संबंधित अन्य मामले, यदि कोई हो,

26. बोर्ड, उसकी समिति और निदेशकों के कार्य-निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन:

बंद करने के संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या एफ. संख्या 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28.01.2021 के अनुसार, अगले वर्ष के लक्ष्यों और उनके मूल्यांकन के संबंध में समझौता ज्ञापन वार्ता के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

27. निदेशकों के गुण, योग्यताएँ और स्वतंत्रता तथा उनकी नियुक्ति:

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, गैर-कार्यकारी निदेशकों का चयन व्यवसाय/वित्त/कानून/लोक प्रशासन और उद्यमों में अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह में से किया जाता है। आपकी कंपनी की बोर्ड विविधता नीति के अनुसार, बोर्ड में कंपनी के लिए उपयुक्त कौशल, अनुभव और दृष्टिकोणों की विविधता का संतुलन होना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा निर्धारित निदेशकों के कौशल, विशेषज्ञता और योग्यताएँ 'कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट' में दी गई हैं, जो रिपोर्ट और लेखा-जोखा का एक भाग है। आपकी कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों में यह प्रावधान है कि बोर्ड के सदस्यों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए। निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति सदस्यों के अनुमोदन से तीन से पाँच वर्ष या उससे कम अवधि के लिए, सेवानिवृत्ति दिशानिर्देशों के अनुसार और समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जा सकती है। स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशक, सदस्यों द्वारा अन्यथा अनुमोदित किए जाने तक, चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो सकते हैं। चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों में से एक-तिहाई निदेशक हर साल सेवानिवृत्त होते हैं और पुनर्निर्वाचन के पात्र होते हैं।

28. बोर्ड मूल्यांकन:

एसआईएल की इस मान्यता के अनुरूप कि बोर्ड की सामूहिक प्रभावशीलता ही कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित करती है, प्राथमिक मूल्यांकन मंच समग्र रूप से बोर्ड के सामूहिक प्रदर्शन का मूल्यांकन है। बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन अधिनियम और लिस्टिंग विनियम 2015 में उल्लिखित बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारियों के आधार पर किया जाता है, जिसे कंपनी की शासन नीति के साथ पढ़ा जाता है। बोर्ड के प्रदर्शन मूल्यांकन के मानदंड, शेयरधारक मूल्य की रक्षा और वृद्धि करने के साथ-साथ कंपनी के रणनीतिक पर्यवेक्षण के माध्यम से अन्य हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु बोर्ड की ट्रस्टीशिप की मुख्य भूमिका से लिए गए हैं। बोर्ड समितियों के कामकाज का मूल्यांकन समिति के सदस्यों के बीच विचार-विमर्श पर आधारित होता है और संबंधित समिति अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के साथ साझा किया जाता है। प्रत्येक निदेशक का मूल्यांकन, बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्य के रूप में प्रत्येक निदेशक द्वारा निभाई गई भूमिका के संदर्भ में किया जाता है, ताकि बोर्ड को कंपनी के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में कंपनी के कामकाज के रणनीतिक पर्यवेक्षण की अपनी भूमिका को साकार करने में सहायता मिल सके। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्तिगत निदेशकों का मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों के आधार पर, गुमनाम रूप से किया गया।

अधिनियम की अनुसूची IV और लिस्टिंग विनियमन 2015 के विनियमन 25 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

29. चालू व्यवसाय की स्थिति:

मुख्य स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. संख्या 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28.01.2021 के अनुसार, कंपनी का संचालन बंद कर दिया गया है और एसआईएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी चालू व्यवसाय नहीं रह गई है और उक्त सूचना के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, उक्त सूचना के अनुपालन में, कंपनी की अधिकांश संपत्तियों की नीलामी कर दी गई है।

30. प्रबंध निदेशक, होल्डिंग या सहायक कंपनी से कमीशन या पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं:

कंपनी की कोई होल्डिंग या सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं होता।

31. आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता:

कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण की एक उचित और पर्याप्त प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण किया जाए, परिसंपत्तियों के किसी भी अनधिकृत उपयोग या निपटान के विरुद्ध, और लेन-देन को सही ढंग से अधिकृत, रिकॉर्ड और रिपोर्ट किया जाए।

कंपनी सभी आंतरिक नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ सभी नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया और डिज़ाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट योग्य भौतिक कमज़ोरी नहीं पाई गई।

धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं था, जिसके लिए वैधानिक लेखा परीक्षक को अधिनियम की धारा 143(12) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लेखा परीक्षा समिति/और/या बोर्ड को रिपोर्ट करना आवश्यक है।

32. सावधि जमा:

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

33. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 21.09.2024 के पिछले पत्र के स्थान पर मेसर्स वी. खन्ना एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अभिलाषा, 23, श्याम नगर, खुर्रम नगर, पिकनिक स्पॉट रोड के पास, लखनऊ-226016 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 35,000/- रुपये के पारिश्रमिक पर सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने हेतु दिनांक 08.05.2025 को पत्र संख्या CA.V/COU/केन्द्रीय सरकार, SCOOTR(1)/2237 जारी किया है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अनुलग्नक-2 में संलग्न है।

कंपनी के लेखे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनकी रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत किए गए थे, और उनकी रिपोर्ट अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न है।

लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर **अनुलग्नक-3ए** में दिए गए हैं।

34. वैधानिक लेखा परीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मेसर्स वी. खन्ना एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, "हरि प्रेम भवन", 111-ए/403, अशोक नगर, कानपुर-208012 को वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

35. कॉर्पोरेट प्रशासन:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते, क्योंकि कंपनी के इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड से दिनांक 01.04.2015 से डीलिस्ट कर दिया गया था। सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरुवार, 20 जून, 2024 को यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक विस्तृत रिपोर्ट एक अलग खंड में उपलब्ध कराई गई है और यह वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के अंतर्गत निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में मेसर्स अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों का एक प्रमाण पत्र, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट के साथ, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-4 और 4ए के रूप में संलग्न है।

36. सचिवीय लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, मेसर्स अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों को वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखापरीक्षा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रपत्र MR-3 में रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है और अनुबंध-5 में दी गई है। उक्त रिपोर्ट में टिप्पणियों/योग्यताओं के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मामलों को MHI के साथ उठाया है। हालाँकि, उक्त नियुक्तियों में देरी के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 और लिस्टिंग समझौते-विनियमों के प्रावधानों का बोर्ड की संरचना, विभिन्न समितियों जैसे लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति आदि के गठन के संबंध में विभिन्न गैर-अनुपालन हुआ है। इसके अलावा, कंपनी रिपोर्ट में उल्लिखित लागू प्रावधानों का अनुपालन करने की प्रक्रिया में है, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रार, कानपुर के पास आवश्यक रिटर्न दाखिल करना भी शामिल है।

37. सचिवीय मानक:

निदेशकगण बताते हैं कि 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'सामान्य बैठकों' से संबंधित लागू सचिवीय मानकों, अर्थात् एसएस-1 और एसएस-2 का विधिवत पालन किया गया है।

38. महत्वपूर्ण एवं सारवान आदेश:

एमएचआई के पत्र संख्या एफ. संख्या 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28.01.2021 के अनुसार, कंपनी का संचालन रोक दिया गया है, और एसआईएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कंपनी अब चालू व्यवसाय नहीं रह गई है, तथा उक्त संचार के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई अन्य महत्वपूर्ण एवं सारवान आदेश पारित नहीं किया गया है जो चालू व्यवसाय की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करता हो।

39. लेखा परीक्षा समिति और सतर्कता तंत्र:

भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 और सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 18 के साथ पठित, कंपनी में एक लेखा परीक्षा समिति है, जिसमें स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

कंपनी का सतर्कता तंत्र, जिसमें लिस्टिंग समझौते के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर नीति भी शामिल है, कंपनी की वेबसाइट http://www.scootersindialimited.com लिंक पर उपलब्ध है। इस नीति में एक व्हिसल अधिकारी की नियुक्ति शामिल है जो मामले की जाँच करेगा, विस्तृत जाँच करेगा और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। संरक्षित खुलासे व्हिसलब्लोअर द्वारा ईमेल, समर्पित टेलीफ़ोन लाइन या व्हिसलब्लोअर अधिकारी को पत्र के माध्यम से किए जा सकते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी कर्मचारी को व्हिसलब्लोअर अधिकारी तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया।

40. वार्षिक विवरणी का वेब लिंक:

आपकी कंपनी का वार्षिक विवरणी इसकी कॉर्पोरेट वेबसाइट https://www.scootersindialimited.com/ पर उपलब्ध है।

41. निदेशकों के पारिश्रमिक का औसत कर्मचारियों के पारिश्रमिक से अनुपात और अन्य प्रकटीकरण:

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के औसत कर्मचारियों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है। (अनुलग्नक-8)।

42. ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार, दिए गए ऋणों, किए गए निवेशों, दी गई गारंटियों या प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण, साथ ही प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण, गारंटी या प्रतिभूति का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना प्रस्तावित है, वित्तीय विवरणों में प्रदान किया जाता है। कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं का अनुपालन करती है, जिसे कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 11 के साथ पढ़ा जाए।

43. संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण:

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएँ/लेनदेन सामान्य व्यावसायिक क्रम में और एकांतिक आधार पर किए गए थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण, जैसा कि अधिनियम की धारा 134(3)(h) के अंतर्गत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पढ़ा जाए, निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक-9 में फॉर्म AOC 2 में प्रस्तुत किया गया है।

निदेशक मंडल ने संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने के लिए एक नीति अपनाई है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति कंपनी की वेबसाइट www.scootersindialimited.com पर देखी जा सकती है।

44. जोखिम प्रबंधन:

SIL का लक्ष्य कंपनी भर में जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक औपचारिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना है। यह कंपनी के लिए प्रमुख जोखिमों पर यथासंभव पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ज्ञान और अनुभव साझा करने को प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण जोखिम जागरूकता को बढ़ाता है और दैनिक प्रबंधन गतिविधियों के हिस्से के रूप में जोखिमों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

जोखिम प्रबंधन नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.scootersindialimited.com पर देखी जा सकती है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का उद्देश्य उन प्रमुख जोखिमों और अनिश्चितताओं की पहचान, प्राथमिकता, प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए एक संरचित और सुसंगत दृष्टिकोण का समर्थन करना है जो इसके रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिनमें जोखिमों की पहचान और जागरूकता पैदा करने, इष्टतम जोखिम शमन और आंतरिक नियंत्रण एवं आश्वासन गतिविधियों के कुशल प्रबंधन के लिए लेखा परीक्षा कार्यों और प्रक्रियाओं की शुरुआत शामिल है।

45. लिस्टिंग:

कंपनी बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध थी और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों से जुड़ी हुई है। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, दिल्ली की मान्यता सेबी ने 19 नवंबर, 2014 के अपने आदेश के तहत रद्द कर दी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को देय लिस्टिंग शुल्क का भुगतान कर दिया है।

5 जून, 2024 के नोटिस के अनुसार, बीएसई द्वारा जारी नोटिस - एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार कंपनी ने इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग की औपचारिकताओं का पालन किया है। तदनुसार, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (स्क्रिप कोड: 505141) के इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग 15 जून, 2024 से बंद कर दी गई है। बुधवार, 12 जून, 2024। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त शेयर को गुरुवार, 20 जून, 2024 से एक्सचेंज के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है।

सदस्यगण यह भी ध्यान दें कि शेष शेयरधारक 17 अगस्त, 2024 को उन्हें भेजे गए एग्जिट लेटर ऑफ ऑफर और उसके बाद 16 नवंबर, 2024, 4 जनवरी, 2025, 5 अप्रैल, 2025 और 2 अगस्त, 2025 को भेजे गए अनुस्मारकों के अनुसार, प्रति इक्विटी शेयर 31.78 रुपये (केवल इकतीस रुपये और अट्ठहत्तर पैसे) की दर से अपने इक्विटी शेयर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि निर्धारित एग्जिट मूल्य है।

46. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

एसआईएल सतत विकास की अवधारणा में दृढ़ता से विश्वास करता है और सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से अपने परिचालन को संचालित करने और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की निवल संपत्ति, या 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार, या 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ वाली सभी कंपनियों को निदेशक मंडल की एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति गठित करनी आवश्यक है, जिसमें तीन या अधिक निदेशक शामिल हों, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए और ऐसी कंपनी को कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होगा। घाटे को देखते हुए, कंपनी ने सीएसआर खर्च करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

47. सतर्कता मामले:

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 अक्टूबर 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 66/1/2018-ई-ओएमएम(सीवीओ) के तहत एसीसी अनुमोदन के अनुसरण में, श्री अशोक माहेश्वरी, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), जयपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अतिरिक्त, 13.09.2019 से आगे उनके कार्यकाल की समाप्ति तक अर्थात 30.04.2020 तक या एसआईएल में नियमित सीवीओ की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। उक्त कार्यकाल की समाप्ति के बाद, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के लिए किसी सीवीओ की नियुक्ति नहीं की गई है। तदनुसार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.सं.26(1)/2016पीई-VI दिनांक 24 जनवरी, 2018 के अनुसरण में सतर्कता मामलों के संबंध में सीवीओ की कोई रिपोर्ट आलोच्य वर्ष के लिए प्राप्त नहीं हुई है।

सूचना का अधिकार मामले:

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.सं.26(1)/2016पीई-VI दिनांक 24 जनवरी, 2018 के अनुसरण में, भारी उद्योग विभाग समिति वर्ष के दौरान आरटीआई मामलों को शामिल करने की सिफारिश करती है।

रिपोर्ट इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आरटीआई मामलों की स्थिति						
	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त आवेदन	अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध/अपील अस्वीकृत कर दिए गए *	निर्णय जहां अनुरोध/अपील स्वीकार किए गए	वित्त वर्ष 2024-25 में निपटाए गए मामले	लंबित मामले
अनुरोध	4	-	-	-	4	Nil
प्रथम अपील	-	-	-	-	-	-
द्वितीय अपील	-	-	-	-	-	-

48. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटीकरण:

यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर कंपनी की नीति हमेशा से ही बहुत सख्त रही है और इस मामले में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है। अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना कंपनी और उसके प्रबंधन की एक प्रमुख प्राथमिकता है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का पालन किया है। कंपनी ने सभी मामलों या उससे संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया है। आपकी कंपनी के 40 से अधिक वर्षों के इतिहास में, किसी भी कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान:

क) वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या - शून्य
ख) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या - शून्य
ग) नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या - शून्य

49. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुपालन

कंपनी ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है।

50. सामान्य:

आपके निदेशकगण बताते हैं कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं हुआ:

- अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों से संबंधित विवरण।
- लाभांश, मतदान या अन्य प्रकार के विभेदक अधिकारों वाले इक्विटी शेयरों का निर्गमन।
- कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना सहित किसी भी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर (स्वेट इक्विटी शेयरों सहित) जारी करना।
- कंपनी के पास कर्मचारियों द्वारा या ट्रस्टियों द्वारा कर्मचारियों के लाभ के लिए अपने स्वयं के शेयरों की खरीद हेतु धन के प्रावधान की कोई योजना नहीं है।
- न तो प्रबंध निदेशक और न ही कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक अपनी किसी भी सहायक कंपनी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त करते हैं।
- नियामकों या न्यायालयों, या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करता हो।
- लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड को किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।
- वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत किए गए किसी आवेदन या लंबित किसी

कार्यवाही का कोई विवरण नहीं है, साथ ही वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं थी।

- एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच के अंतर का विवरण, साथ ही उसके कारण, आवश्यक नहीं हैं, क्योंकि किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान का कोई उदाहरण नहीं है।

51. आभार:

निदेशक मंडल अपने बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, डीलरों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिए गए सच्चे समर्थन और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है। निदेशक भारत सरकार, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय, बीएसई, सेबी, राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिए गए निरंतर समर्थन, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए प्राप्त सहयोग और सलाह के लिए भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

आपके निदेशक संविदा सलाहकारों की समर्पित सेवाओं के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं और हम पर अपना विश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए शेयरधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ताक्षरित/-

नवीन कौल
डीआईएन: 10604669
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
लखनऊ

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 31.10.2025

अनुलग्नक-1

ऊर्जा संरक्षण, **प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा विनिमय का विवरण-**

ऊर्जा संरक्षण प्रकटीकरण:

कंपनी अधिनियम, **2013** और कंपनी (लेखा) नियम, **2014** के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है। आवश्यक अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है:

I. **ऊर्जा संरक्षण:**

मंत्रालय के दिनांक **28/01/2021** के पत्र के अनुसार, सभी वाणिज्यिक परिचालन बंद कर दिए गए हैं और कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए, वर्ष के दौरान बिजली और ईंधन की खपत केवल प्रशासनिक गतिविधियों तक ही सीमित है। ऊर्जा-बचत लाइटों का उपयोग करके बिजली की खपत को न्यूनतम रखा जाता है। विवरण संलग्न अनुलग्नक **1-**ए में दिए गए हैं।

II. **प्रौद्योगिकी अवशोषण:**

प्रौद्योगिकी अवशोषण हेतु किए गए प्रयास अनुलग्नक **1-**बी में संलग्न हैं।

III. **विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय:**

निर्यात के संबंध में प्रयास एवं पहल:
वस्तुओं के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा **2024-25** में शून्य रही, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह शून्य थी।

अनुलग्नक-1 क

-ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरण के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र-		
विवरण	**2024-25***	**2023-24**
A बिजली और ईंधन की खपत		
1. बिजली		
क) खरीदी गई (₹)		
इकाई*	3584	30133
कुल राशि (₹) दर/इकाई	345	3254
ख) स्वयं उत्पादन	7.5	9.26
i डीजल जनरेटर इकाई के माध्यम से*		
प्रति लीटर डीजल तेल की इकाई लागत प्रति इकाई (₹)		
ii स्टीम टर्बाइन/जनरेशन इकाई के माध्यम से*	शून्य	शून्य
प्रति लीटर डीजल तेल की इकाई लागत/इकाई (₹)		
iii स्टीम टर्बाइन/जनरेशन इकाई के माध्यम से*	शून्य	शून्य
प्रति लीटर डीजल तेल की इकाई लागत/इकाई (₹)	शून्य	शून्य
*सरकारी समापन पत्र दिनांक 28/01/2021 के अनुसार कंपनी के वाणिज्यिक संचालन बंद होने के कारण बिजली खर्च में कमी।		
2**. कोयला**		
मात्रा (टन)/ कुल लागत/ औसत दर	शून्य	शून्य
3 (क) भट्ठी तेल		
मात्रा (टन)		
कुल राशि (₹)		
प्रति किलोग्राम औसत दर (₹)		
3 (ख) हल्का डीजल तेल		
मात्रा (किलो लीटर) शून्य		
कुल राशि (₹)		
4. अन्य/आंतरिक उत्पादन (कृपया विवरण दें) मात्रा कुल लागत दर/इकाई		

ख. उत्पादन की प्रति इकाई खपत			
विवरण	मानक (यदि कोई)	**2024-25**	**2023-24**
उत्पादन (संख्या में)	शून्य	- -	- -
बिजली (इकाई) भट्ठी तेल (टन)			

*इकाई KWH को दर्शाती है

<u>अनुलग्नक -1 ख</u>

अनुसंधान एवं विकास (R&D)		
01	कंपनी द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास के विशिष्ट क्षेत्र	**मंत्रालय के दिनांक 28/01/2021 के पत्र के अनुसार, सभी वाणिज्यिक परिचालन बंद कर दिए गए हैं और कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई अनुसंधान एवं विकास गतिविधि, प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन और नवाचार संबंधी गतिविधि नहीं की गई।**
02	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ	
03	भविष्य की कार्य योजना	
04	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	
	क) पूंजी	
	ख) आवर्ती	

प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार		
01	प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास, संक्षेप में।	**मंत्रालय के दिनांक 28/01/2021 के पत्र के अनुसार, सभी वाणिज्यिक परिचालन बंद कर दिए गए हैं और कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई अनुसंधान एवं विकास गतिविधि, प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन और नवाचार संबंधी गतिविधि नहीं की गई।**
02	उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ, जैसे उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास आदि।	
03	आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले पाँच वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में, निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है:	

अनुलग्नक – 2

V. KHANNA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Phone : 0512-3553797
Mobile : 9839079576
Email : khannavk@gmail.com
"Hari Prem Bhawan" 111- A/403
Ashok Nagar, Kanpur - 208 012

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यों को,
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड,
लखनऊ।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हमने मेसर्स स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें **31** मार्च **2025** तक की बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, और वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है (जिसे आगे "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम **2013** (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा **133** के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों, संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, **2015** ("इंड एएस") और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। **31** मार्च, **2025** तक कंपनी के कामकाज, और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **143(10)** के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। इन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, **2013** और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले पर ज़ोर

हम वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. नोट संख्या 1 के बिंदु संख्या 2(ii) की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, कंपनी एक चालू व्यवसाय इकाई नहीं रह गई है और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का वित्तीय विवरण "गैर-चालू व्यवसाय आधार" पर तैयार किया गया है।
2. नोट संख्या 1 के बिंदु संख्या 2(x) की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, कंपनी ने 31.03.2021 के बाद भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण देयता के विरुद्ध कोई अंशदान नहीं किया है।
3. 557.52 लाख रुपये के व्यापार देय राशि के संबंध में नोट संख्या 21 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, कंपनी द्वारा ऑडिट से पहले नाम और संबंधित देय राशि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. 557.52 लाख रुपये के अग्रिम और जमा (अन्य चालू देयताएं) के संबंध में नोट संख्या 23 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। 32.60 लाख रुपये के ऋण के संबंध में, कंपनी द्वारा लेखा परीक्षक के समक्ष नाम और देय राशि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त 20.00 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति के संबंध में नोट संख्या 49 की ओर कृपया ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने केवल 4.00 करोड़ रुपये चुकाए हैं और शेष 16.00 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है।
6. नोट संख्या 49 की ओर कृपया ध्यान आकर्षित किया जाता है, कंपनी को लंबित देनदारियों का भुगतान करने के लिए 29.03.2021 को 41.00 करोड़ रुपये (@13.50%) का ऋण प्राप्त हुआ है (कुल स्वीकृत ऋण 65.12 करोड़ रुपये में से) और इसे कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री आय से चुकाया जाना है। उक्त ऋण के विरुद्ध भारत सरकार को ब्याज सहित 41.00 करोड़ रुपये अभी भी चुकाए जाने हैं।
7. सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक, अपने इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग से संबंधित नोट संख्या 46 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। डीलिस्टिंग और एग्जिट ऑफर के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3457420 शेयर अधिग्रहित किए गए हैं। रजिस्ट्रार द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम इन शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि होने तक, अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई 1096.84 लाख रुपये की राशि को नोट संख्या 11 में अन्य ऋणों और अग्रिमों के रूप में प्रकट किया गया है।

उपरोक्त मामले पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

1. व्यापारिक प्राप्तियों, अग्रिमों, सुरक्षा जमाओं और अन्य प्राप्तियों के विरुद्ध बकाया और वसूली योग्य बड़ी राशियाँ हैं। कंपनी द्वारा इनका नामवार, आयुवार और संबंधित राशियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए वसूली की संभावनाएँ और राशि अनिश्चित हैं और वित्तीय विवरण पर इसका परिणामी प्रभाव पड़ेगा।

उपरोक्त मामले पर हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य मामले

1. भारतीय जीवन बीमा निगम के पास ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के रूप में **9.98** करोड़ रुपये की राशि पड़ी है, लेकिन न तो इसका बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है और न ही भारतीय जीवन बीमा निगम से इसका कोई परिपक्वता मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।
2. कंपनी द्वारा उन्हें प्रदान किए गए वाहन के बदले "मार्ज़ मेकाट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड" द्वारा **1,00,000.00** रुपये की बैंक गारंटी दी गई थी। उक्त बैंक गारंटी **18/12/2019** को समाप्त हो गई। न तो उक्त वाहन मार्ज़ मेकाट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंपनी को वापस किया गया और न ही कंपनी ने बैंक गारंटी को भुनाया और राशि वसूल की।
3. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली पत्र संख्या **3(1)/2020-**पीई-**VI,** दिनांक **28.01.2021** सरकार द्वारा जारी किया गया। भारत सरकार ने उस कंपनी को बंद करने का आदेश दिया है जिसके विरुद्ध कंपनी को **20/06/2024** को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया गया था; हालाँकि, विक्रम और विजय सुपर के ट्रेडमार्क और ब्रांड को वित्तीय वर्ष **31.03.2025** के अंत तक बेचा नहीं गया है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों के प्रबंधन और संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की ज़िम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, **2013 ("**अधिनियम") की धारा **134(5)** में उल्लिखित मामलों के लिए ज़िम्मेदार है। ये स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं, जो अधिनियम की धारा **133** के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है। इस ज़िम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं की रोकथाम व पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हों, जो एक सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हों और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखे, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार होता है।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयान धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

क) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयान के जोखिम की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलतबयान का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलतबयान की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

ख) लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

ग) प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

घ) लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना होगा कि संबंधित प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, ताकि हम अपनी राय को संशोधित कर सकें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

च) प्रकटीकरणों सहित, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, और यह भी देखें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और

घटनाओं को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

भौतिकता, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलतबयानों की वह मात्रा है जो, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के किसी उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलतबयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं, जिनकी हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के प्रभारी व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी।

शासन के प्रभारी व्यक्तियों को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता न हो या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से जनहित से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा **143(11)** के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश**, 2020 ("**आदेश") के अनुसरण में**,** हम अनुलग्नक "क" में आदेश के अनुच्छेद **3** और **4** में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
2. कंपनी अधिनियम**, 2013** की धारा **143** की उपधारा (**5**) के अनुसार**,** हम अनुलग्नक "ख" में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उक्त धारा के अंतर्गत जारी निर्देशों पर एक विवरण देते हैं।
3. अधिनियम की धारा **143(3)** के अनुसार**,** हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर**,** हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i. हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
   ii. हमारी राय में**,** जहाँ तक उन लेखापरीक्षा पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जाँच से पता चलता है**,** प्रभाग द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं।
   iii. इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट**,** लाभ विवरण (अन्य व्यापक आय सहित)**,** इक्विटी में परिवर्तन

विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं

iv. हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा **133** के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, **2014** के नियम **7** के साथ पढ़ा जाए।

v. निदेशक मंडल द्वारा **31** मार्च, **2025** तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों को अभिलेख में दर्ज करने के आधार पर, अधिनियम की धारा **164 (2)** के अनुसार **31** मार्च, **2024** तक कोई भी निदेशक निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

vi. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध "ग" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

vii. भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर **463(ई)** दिनांक **5** जून **2015** के अनुसार, कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **197** के प्रावधान, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं; और

viii. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, **2014** के नियम **11** के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरणों और हमें प्रदान किए गए प्रबंधन अभ्यावेदनों के अनुसार:

a) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमे के अपने वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलासा किया है। (वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या **36** देखें)।

b) कंपनी ने दीर्घकालिक नियंत्रण अनुबंधों पर, यदि कोई हो, तो भौतिक पूर्वानुमानित हानियों के लिए, लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान नहीं किए हैं। कंपनी का कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं है।

c) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

d) कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

4. अधिनियम के नियम **11** के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, **2014** के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि,

i) प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन किया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, लेखा-टिप्पणियों में प्रकट की गई जानकारी के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को, जिसमें विदेशी संस्थाएँ ("मध्यस्थ") भी शामिल हैं, कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से, शेयर प्रीमियम से, या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा आदि प्रदान करेगा;

ii) प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन किया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार,

लेखा-टिप्पणियों में प्रकट की गई जानकारी के अतिरिक्त, कंपनी को किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्थाओं, जिनमें विदेशी संस्थाएँ ("निधिकरण पक्ष") शामिल हैं, से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस सहमति के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा आदि प्रदान करेगी; और

iii) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (**i)** और (**ii)** के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदनों में कोई भी महत्वपूर्ण गलत कथन है।

5. हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, **2014 (**संशोधित **2024** संस्करण) के नियम **11(**जी) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट ट्रेल पर रिपोर्टिंग पर कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार एक परीक्षा की है।

For V. Khanna & Co.
Chartered Accountants
FRN 000200C

V. KHANNA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS KANPUR

Vishal Khanna
(Partner)
M.No. 077146
UDIN NO. 25077146BMIKQ02702

Place: Lucknow
Date: 05 AUG 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की आज की रिपोर्ट में उल्लिखित **अनुलग्नक 'ए'**।

हमने जिन परीक्षणों को लागू करना उचित समझा, उनके आधार पर, लेखापरीक्षा के दौरान प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं: -

(i)	(a)	कंपनी के बंद होने के बाद, कंपनी में कोई अचल संपत्ति नहीं बची है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अचल संपत्तियों का मात्रात्मक विवरण और स्थिति दर्शाने वाला कोई अचल संपत्ति रजिस्टर आवश्यक नहीं है।
	(b)	कंपनी के बंद होने के बाद, विक्रम और विजय सुपर ब्रांड के अलावा कंपनी में कोई अचल संपत्ति नहीं बची है, इसलिए कंपनी द्वारा अचल संपत्तियों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।
(ii)		कंपनी के सभी संचालन निलंबित और बंद कर दिए गए हैं और कोई इन्वेंट्री नहीं छोड़ी गई है और न ही प्रबंधन द्वारा किसी इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है।
(iii)		कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को कंपनी द्वारा कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया गया है।
(iv)		कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा शामिल नहीं है। इस प्रकार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
(v)		कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उनके अंतर्गत बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते।
(vi)		कंपनी के सभी परिचालन निलंबित और बंद कर दिए गए हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के तहत निर्धारित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोई लागत रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कंपनी परिचालन बंद होने के कारण, कंपनी में लागत लेखा परीक्षा नहीं की गई। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।
(vii)	(a)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है। उपरोक्त के अलावा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर के संबंध में कोई अन्य निर्विवाद राशि देय नहीं है।
	(b)	जैसा कि हमें सूचित किया गया है, विवादों के कारण अधिकारियों के पास कोई बकाया राशि लंबित नहीं है।
(viii)		कंपनी को भारत सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपये का नियोजित ऋण और 65.12 करोड़ रुपये का समापन गतिविधि ऋण मंजूर किया गया है वर्ष 2020-21 के दौरान 41.00 करोड़ रुपये की क्लोजर गतिविधि प्राप्त हुई। इसमें से कंपनी ने भारत सरकार को केवल 4.00 करोड़ रुपये का नियोजित ऋण चुकाया है और शेष 16.00 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। 41.00 करोड़ रुपये के क्लोजर गतिविधि ऋण में से ब्याज सहित कुल राशि का भुगतान लंबित है।
(ix)		कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं

		जुटाया है।
(x)		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान न तो कंपनी द्वारा और न ही उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना मिली है या रिपोर्ट की गई है, और न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई है।
(xi)		कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य आवश्यक अनुमोदनों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रावधान किया है।
(xii)		कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं होता है।
(xiii)		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन, जहाँ लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं और ऐसे लेन-देनों का विवरण, लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक (स्टैंडअलोन इंड एएस) वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
(xiv)		कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।
(xv)		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xv) लागू नहीं होता।
(xvi)		कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

For V. Khanna & Co.
Chartered Accountants
FRN 000200C

Vishal Khanna
(Partner)
M.No. 077146
UDIN NO. 25077146BMIKQ02702

Place: Lucknow
Date: 05 AUG 2025

31 मार्च, **2025** को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की उसी तिथि की रिपोर्ट में उल्लिखित **अनुलग्नक ग**

कंपनी अधिनियम **2013** की धारा **143** की उपधारा **3** के खंड (**i**) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने **31** मार्च, **2025** तक स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है, साथ ही उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक (**IDA**) वित्तीय विवरणों का भी लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी:

कंपनी प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षण संबंधी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, **2013** के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी:

हमारी ज़िम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **143(10)** के तहत निर्धारित माने जाने वाले, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनानी होगी और उसे क्रियान्वित करना होगा कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित हुए थे।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था।

चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय

नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ:

किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ:

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

राय

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमज़ोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से कार्यरत थे, जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर थे, जिसमें भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया था।

हमने कंपनी के 31 मार्च 2025 के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है और ये भौतिक कमजोरियां कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

For V. Khanna & Co.
Chartered Accountants
FRN 000200C

Vishal Khanna
(Partner)
M.No. 077146
UDIN NO. 25077146BMIKQ02782

Place: Lucknow
Date: 05 AUG 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ख"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान लेखा परीक्षकों द्वारा जाँचे जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाले निर्देश।

I. क्या कंपनी के पास सभी लेखा लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखा लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाए।

कंपनी के पास आईटी प्रणाली मौजूद है और सभी लेखा प्रक्रियाएँ टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से संसाधित की जाती हैं। सभी लेखा लेनदेन केवल आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। आईटी प्रणाली के बाहर कोई भी लेनदेन संसाधित नहीं किया जाता है, जिसका कोई प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव हो।

II. क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले सामने आए हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा-जोखा रखा गया है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)।

किसी भी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है और साथ ही ऋणदाता द्वारा लिए गए किसी भी ऋण/ब्याज को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं पाया गया।

III. क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसकी शर्तों के अनुसार उचित लेखा-जोखा रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी को भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत उप-निर्देश-शून्य

For V. Khanna & Co.
Chartered Accountants
FRN 000200C

Vishal Khanna
(Partner)
M.No. 077146
UDIN NO. 25077146BMIKQ02702

Place: Lucknow
Date: 05 AUG 2025

अनुलग्नक 3

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ऑडिट भवन, आई.पी. एस्टेट
नई दिल्ली–110 0 0 2

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
AUDIT BHAWAN, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

संख्याः एएमजी-III/वार्षिक लेखा/एसआईएल/(2024-25)/25-26/331-332

दिनांक / DATE 15 OCT 2025

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड,
प्रथम तल, 3/481, विकल्प खंड,
गोमती नगर, लखनऊ – 226 010

विषय: **कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।**

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है ।

भवदीय,

प्रमोद कुमार

(प्रमोद कुमार)
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(उद्‌योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

Ph. : +91-11-23702357 Fax : +91-11-23702359 E-mail : pdaica@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF SCOOTERS INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of Scooters India Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 05 August 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Scooters India Limited for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to enquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comments on Profitability

A.1 Statement of Profit and Loss

A.1.1 Other Income (Note No. 27): ₹312.27 lakh
Other Equity – Retained Earnings (Note No. 14): (-) ₹11,834.67 lakh
Other Current Liabilities (Note No. 23) – ₹2,546.70 lakh

Scooters India Limited (SIL/Company), had leased out 4,160 sq. meters of land to Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL). Consequent to the closure decision of the Company in January 2021, the entire land was handed over (1 December 2022) to Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA). HPCL continued making the payment of lease rent to the Company till December 2024. The same was stopped on a request made (9 December 2024) by SIL to HPCL to not transfer further lease rent to the Company as the ownership of the land had already been transferred to UPSIDA. The Company, however, considered the lease rent received for the period December 2022 to December 2024 as Other Income, instead of recognising it as a liability.

This resulted in overstatement of Other Income by ₹8.23 lakh, overstatement of Other Equity by ₹14.76 lakh[1] and understatement of Current Liabilities by ₹22.99 lakh. Consequently, the Loss for the year was also understated by ₹8.23 lakh.

---

[1] Prior period rent

A.1.2 Expenses - Finance Cost (Note No. 31): ₹553.50 lakh
Current liabilities: Short Term Borrowing (Note No. 19): ₹5,700.00 lakh

The Ministry of Heavy Industries released (26 March 2021) a loan of ₹41 crore to the Company for payment of salary and wages and statutory dues of employees and other Government/statutory dues. The Company requested (23 January 2025) the Ministry for reduction in loan amount from ₹41 crore to ₹24 crore with effect from 24 July 2023 after depositing an amount of ₹17 crore in an Escrow account for acquiring shares[2] for GoI. The Ministry agreed (28 April 2025) to the request of the Company for treating ₹17 crore as returned to GoI and directed that the Company has to pay interest at the rate of 13.50 *per cent* per annum from 26 March 2021 to 24 July 2023 on full loan amount of ₹41 crore and from 25 July 2023 onwards, the Company will pay interest on the balance loan amount of ₹24 crore.

The Company, however, recognised interest liability on the full loan amount of ₹41 crore for the period 25 July 2023 till 31 March 2025, instead of recognising the interest on the balance loan amount of ₹24 crore. This resulted in non-compliance with Para 8 of Ind AS 10 (Events after the reporting period), which stipulates that an entity shall adjust the amounts recognised in its financial statements to reflect adjusting events after the reporting period.

Moreover, the Company did not give any disclosure regarding aforesaid approval dated 28 April 2025 of the Ministry and payment of ₹24 crore made to GoI on 1 July 2025, resulting in non-compliance to the Para 19 of Ind AS 10, which stipulates that, if an entity receives information after the reporting period about conditions that existed at the end of the reporting period, it shall update disclosures that relate to those conditions, in the light of the new information.

This also resulted in overstatement of Expenses (Finance cost) by ₹2.29 crore[3], understatement of Other Equity by ₹1.53 crore[4] and overstatement of Other Current Liabilities by ₹3.82 crore (₹2.29 crore *plus* ₹1.53 crore). Consequently, Loss for the year was also overstated by ₹2.29 crore.

B. Comments on Cash Flow Statement

B.1 Cash Flow Statement for the period ended 31 March 2025

As per para 48 of Ind AS-7 (Statement of Cash Flows), an entity shall disclose, together with a commentary by management, the amount of significant cash and cash equivalent balances held by the entity that are not available for use by the group.

---

[2] Shares of the Company are being purchased from the public in the name of Hon'ble President of India
[3] ₹17 crore * 13.5 *per cent* (for FY 2024-25)
[4] ₹17 crore * 13.5 *per cent* * 8 months (August 2023 to March 2024)

It was observed that the Cash and Bank balances (Note No. 10) included Bank Balances amounting to ₹6.27 crore[5] held in Escrow account representing funds earmarked for payment to public shareholders as part of the delisting offer. The said amount was not available for general use by the Company. However, the same was not disclosed under Cash Flow Statement in line with the above provision of Ind AS-7. As a result, the Cash Flow Statement was deficient to that extent.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Pramod Kumar)
Addl. Deputy Comptroller and Auditor General
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 15 OCT 2025

[5] ₹3.93 crore (held in fixed deposit) *plus* ₹ 2.34 crore (held in current account)

अनुलग्नक 3क

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों के उत्तरों का विवरण

क्र.सं	पैरा सं	सीएजी की टिप्पणियां	एसआईएल उत्तर
1.	**क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ**	A.1 **लाभ-हानि विवरण** A.1.1 **अन्य आय (नोट संख्या** 27): ₹312.27 **लाख** **अन्य इक्विटी - प्रतिधारित आय (नोट संख्या** 14): (-) ₹11,834.67 **लाख अन्य चालू देयताएँ (नोट संख्या** 23) - ₹2,546.70 **लाख** स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल/कंपनी) ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को **4,160** वर्ग मीटर भूमि पट्टे पर दी थी। जनवरी **2021** में कंपनी के बंद होने के निर्णय के परिणामस्वरूप**,** पूरी भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) को सौंप दी गई (**1** दिसंबर **2022)**। एचपीसीएल ने दिसंबर **2024** तक कंपनी को लीज़ रेंट का भुगतान जारी रखा। एसआईएल द्वारा एचपीसीएल से किए गए अनुरोध (**9** दिसंबर **2024)** पर इसे रोक दिया गया था**,** जिसमें कंपनी को आगे लीज़ रेंट हस्तांतरित न करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि भूमि का स्वामित्व पहले ही यूपीएसआईडीए को हस्तांतरित किया जा चुका था। हालाँकि**,** कंपनी ने दिसंबर **2022** से दिसंबर **2024** की अवधि के लिए प्राप्त लीज़ रेंट को देनदारी मानने के बजाय अन्य आय के रूप में माना। इसके परिणामस्वरूप अन्य आय को **8.23** लाख रुपये से अधिक**,** अन्य इक्विटी को **14.76** लाख रुपये से अधिक और चालू देनदारियों को **22.99** लाख रुपये से कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप**,** वर्ष का घाटा भी **8.23** लाख रुपये से कम दर्शाया गया।	समापन कार्यवाही के एक भाग के रूप में, पूरी भूमि 01.12.2022 को यूपीएसआईडीए को सौंप दी गई और एचपीसीएल सहित सभी हितधारकों को इसकी सूचना दे दी गई। हालाँकि, भूमि हस्तांतरण के बाद भी एचपीसीएल ने एसआईएल के खाते में किराया भेजना जारी रखा। कंपनी ने ऐसी प्राप्तियों को दिसंबर 2024 तक देनदारी माना और बकाया राशि के दावों को आमंत्रित करते हुए समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की। इसके बावजूद, प्रेषित किराए की राशि के संबंध में यूपीएसआईडीए या एचपीसीएल से कोई दावा या मांग प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद, एसआईएल ने 09.12.2024 को एचपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उप महाप्रबंधक को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर एसआईएल के खाते में आगे किराया हस्तांतरण को तत्काल रोकने का अनुरोध किया। हालाँकि, न तो एचपीसीएल और न ही यूपीएसआईडीए ने पहले से प्राप्त किराए की वापसी के संबंध में कोई सूचना जारी की है। इसके अलावा, यदि यह राशि हमारे खातों में बनी रहती है, तो इसे अंततः बाद के वर्षों में बट्टे खाते में डालना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी का समापन अपने अंतिम चरण में है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। बंद होने की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए तथा किसी औपचारिक दावे या निर्देश के अभाव में, कंपनी के पास प्राप्त किराये को "बिना विकल्प" के आधार पर आय के रूप में मान्यता देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

2.		A.1.1 व्यय - वित्तीय लागत (नोट संख्या 31): ₹553.50 लाख वर्तमान देनदारियाँ: सहकारी ऋण (नोट संख्या 19): ₹5,700.00 लाख हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कंपनी को कर्मचारियों के वेतन, पारिश्रमिक, वैधानिक देय राशि और अन्य सरकारी/वैधानिक कार्मिक पद के लिए ₹41 करोड़ का कर्ज जारी किया (26 मार्च 2021)। मिनिस्ट्री से (23 जनवरी 2025) कर्ज राशि को ₹41 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, जो 24 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। इसके लिए कंपनी ने भारत सरकार के शेयर शेयर एस्क्रो बैंक में ₹17 करोड़ जमा कराए थे। मंत्रालय ने कंपनी के ₹17 करोड़ को भारत सरकार को वापस कर दिया है। हालाँकि, कंपनी ने 25 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए 41 करोड़ रुपये की शेष ऋण राशि पर ब्याज पर सहमति दी। इसके अनुरूप भारतीय लेखा मानक 10 (अवधि के बाद की घटनाओं की रिपोर्टिंग) के पैरा 8 का संयोजन नहीं हुआ, जिसमें यह प्रावधान है कि एक इकाई अपने वित्तीय दस्तावेजों में स्वीकृत सहमति को अवधि के बाद की घटनाओं को दर्शाने के लिए जारी करती है। इसके अलावा, कंपनी ने मंत्रालय की 28 अप्रैल, 2025 की उपरोक्त मंजूरी और 1 जुलाई 2025 को भारत सरकार को किए गए ₹24 करोड़ के भुगतान के संबंध में कोई खुलासा नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप इंड एएस 10 के पैरा 19 का अनुपालन नहीं हुआ, जिसमें कहा गया है कि, यदि कोई इकाई रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों के बारे में रिपोर्टिंग अवधि के बाद जानकारी प्राप्त करती है, तो वह उन शर्तों से संबंधित खुलासे को नए के आलोक में अपडेट करेगी। जानकारी। इसके परिणामस्वरूप व्यय (वित्तीय लागत) को ₹2.29 करोड़ अधिक, अन्य	भारतीय लेखा मानक 10, रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं को अनुकूल या प्रतिकूल घटनाओं के रूप में परिभाषित करता है जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति और निदेशक मंडल (कंपनी के मामले में) या संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी (अन्य संस्थाओं के मामले में) द्वारा वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु अनुमोदित किए जाने की तिथि के बीच घटित होती हैं। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को कंपनी को बंद करने के लिए भारत सरकार से ₹41 करोड़ का ब्याज-असर वाला ऋण प्राप्त हुआ था। इसमें से ₹17 करोड़ एक एस्क्रो खाते में जमा कर दिए गए और स्वीकृत ऋण के विरुद्ध समायोजित कर दिए गए, और शेष ₹24 करोड़ बाद में 01.07.2025 को भारत सरकार को चुका दिए गए। इस समायोजन के लिए मंत्रालय से अनुमोदन संबंधी औपचारिक सूचना 28.04.2025 को, अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि (31.03.2025) के बाद प्राप्त हुई। तदनुसार, रिपोर्टिंग तिथि तक, कंपनी ने दिनांक 26.03.2021 के स्वीकृति आदेश के अनुपालन में ₹41 करोड़ के संपूर्ण ऋण पर देयता और ब्याज की पहचान जारी रखी। इसके अतिरिक्त, उक्त लेन-देन अनुकूल या प्रतिकूल घटना की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि पुनर्भुगतान आवधिक आधार से जुड़ा हुआ है। उपरोक्त के मद्देनजर, पुनर्भुगतान और ब्याज समायोजन को आगामी वित्तीय वर्ष (2025-26) में लेखांकन के लिए विचार किया गया है, जब मंत्रालय की स्वीकृति और पुनर्भुगतान प्रभावी हो गया हो। इसलिए अपनाया गया व्यवहार विवेक पर आधारित है और 31.03.2025 तक उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप है।

		इक्विटी को ₹1.53 करोड़ कम और अन्य चालू देनदारियों को ₹3.82 करोड़ अधिक (₹2.29 करोड़ + ₹1.53 करोड़) अधिक दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए घाटा भी ₹2.29 करोड़ अधिक दर्शाया गया।	
3.	**क. नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियाँ**	8.1 31 **मार्च** 2025 **को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण** इंड एएस-**7** **(**नकदी प्रवाह विवरण) के पैरा **48** के अनुसार**,** किसी भी इकाई को प्रबंधन की टिप्पणी के साथ**,** इकाई द्वारा धारित महत्वपूर्ण नकदी और नकदी समतुल्य शेष राशि का खुलासा करना होगा जो समूह द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। यह देखा गया कि नकदी और बैंक शेष (नोट संख्या **10)** में एस्क्रो खाते में रखे गए **6.27** करोड़ रुपये के बैंक शेष शामिल थे**,** जो डीलिस्टिंग प्रस्ताव के तहत सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान के लिए निर्धारित धनराशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उक्त राशि कंपनी के सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थी। हालाँकि**,** इंड एएस-**7** के उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप नकदी प्रवाह विवरण के तहत इसका खुलासा नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप**,** नकदी प्रवाह विवरण उस सीमा तक अपूर्ण था।	एस्क्रो खाते में ₹6.27 करोड़ की राशि वास्तव में शेयरधारकों के साथ निपटान के लिए निर्धारित है और सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी इस अवलोकन से सहमत है और भविष्य के वित्तीय विवरणों में लेखा नोट्स और नकदी प्रवाह विवरण में प्रतिबंधित नकदी शेष के संबंध में उचित प्रकटीकरण शामिल करेगी। हालाँकि, इस मामले का वर्तमान वित्तीय विवरणों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

अनुलग्नक -4

1. कॉर्पोरेट प्रशासन:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी के इक्विटी शेयरों को सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरुवार, 20 जून, 2024 से बीएसई लिमिटेड से डीलिस्ट कर दिया गया है। कंपनी के कॉर्पोरेट प्रशासन के दर्शन का उद्देश्य शेयरधारकों, ऋणदाताओं, कर्मचारियों और आम जनता सहित अपने विभिन्न हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उनमें मूल्यवर्धन करना है। एसआईएल अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के सभी कार्य पेशेवर रूप से सुदृढ़ और सक्षम तरीके से निष्पादित हों। एसआईएल ने कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों को भी अपनाया है।

क. कॉर्पोरेट प्रशासन पर एसआईएल का दर्शन:

पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय व्यावसायिक परिवेश में बदलाव, उदारीकरण और बदलती बाज़ार स्थितियों के साथ, शेयरधारक मूल्य बढ़ाने के प्रबंधन के दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव आया है। इस संदर्भ में, सभी हितधारकों के प्रति निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। कंपनी का मानना है कि उसके सभी संचालन और कार्य एक सतत अवधि में समग्र शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने के अंतर्निहित लक्ष्य को पूरा करने वाले होने चाहिए।

ख. व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता:

कंपनी के निदेशक मंडल ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता और आचार संहिता अपनाई है, जिसमें कॉर्पोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया गया है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट **www.scootersindialimited.com** पर भी उपलब्ध है। सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 26(3) के अनुसार, सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संहिता के अनुपालन के संबंध में सीएमडी/सीईओ और सीएफओ से पुष्टि अनुबंध में दी गई है।

ग. व्हिसल ब्लोअर नीति:

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय विवरण प्रकटीकरण, लेखांकन, आंतरिक लेखा नियंत्रण, लेखा परीक्षा संबंधी मामलों या अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों या चिंताओं को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है।

घ. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन:

सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार, वित्तीय विवरण का सीएमडी/सीईओ और सीएफओ द्वारा प्रमाणन प्राप्त कर लिया गया है और अनुबंध 4ए के रूप में संलग्न है।

च. लेखा परीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र:

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने इस रिपोर्ट के साथ सेबी लिस्टिंग विनियमन, 2015 के विनियमन 34(3) में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में वैधानिक लेखा परीक्षक मेसर्स अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों से प्राप्त प्रमाणपत्र संलग्न किया है। (अनुलग्नक - 4बी)।

2. निदेशक मंडल:

31.03.2025 तक, कंपनी के निदेशक मंडल में चार निदेशक शामिल हैं, जिनमें से दो भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक आधिकारिक निदेशक हैं। एसआईएल के निदेशक मंडल में दो कार्यकारी निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) हैं, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और एक निदेशक (वित्त) शामिल हैं।

क. निदेशक मंडल के सदस्यों का परिचय एवं प्रशिक्षण:

एसआईएल का मानना है कि कंपनी और उसके मामलों से अच्छी तरह वाकिफ/परिचित निदेशक मंडल, हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करते हुए ट्रस्टीशिप की अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके लिए, कंपनी के

निदेशकों को घरेलू/वैश्विक कॉर्पोरेट और उद्योग परिदृश्य में होने वाले परिवर्तनों/विकासों, जिनमें क़ानूनों/कानूनों और आर्थिक परिवेश तथा कंपनी को प्रभावित करने वाले मामलों के बारे में जानकारी शामिल है, के बारे में अद्यतन जानकारी दी जाती है, ताकि वे सुविचारित और समय पर निर्णय ले सकें। निदेशकों के लिए कंपनी की सुविधाओं का दौरा भी आयोजित किया जाता है। एसआईएल अपने निदेशकों को औद्योगिक क्षेत्र के विकास से अवगत कराने के लिए समय-समय पर उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करती है। कंपनी अपने निदेशक मंडल को अपने व्यवसाय के साथ-साथ बोर्ड बैठकों के दौरान व्यवसाय के जोखिम मानदंडों के बारे में भी प्रशिक्षित करती है। विभिन्न कानूनों के तहत निदेशकों को उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, शक्तियों और भूमिकाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रस्तुतियाँ भी दी जाती हैं।

ख. भेदिया व्यापार की रोकथाम हेतु एसआईएल आचार संहिता:

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भेदिया व्यापार की रोकथाम हेतु एसआईएल आचार संहिता, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी से संबंधित अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी के कब्जे में रहते हुए निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाती है। सेबी भेदिया व्यापार विनियमों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी के इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड से दिनांक 01.04.2018 से डीलिस्ट कर दिया गया था। सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरुवार, 20 जून, 2024 को।

ग. **विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2)(ख) से (i) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का अनुपालन:** लागू नहीं, क्योंकि कंपनी के इक्विटी शेयरों को सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरुवार, 20 जून, 2024 से बीएसई लिमिटेड से डीलिस्ट कर दिया गया था।

क्र.सं. .	विवरण	विनियम	अनुपालन हाँ/नहीं	मुख्य अनुपालन देखा गया
1.	निदेशक मंडल	17	हाँ, संयोजन के संबंध में छोड़कर	• निदेशकों की संरचना और नियुक्ति • बैठकें और कोरम • अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा • नियुक्तियों के लिए व्यवस्थित उत्तराधिकार की योजनाएँ • आचार संहिता • गैर-कार्यकारी निदेशकों को शुल्क/मुआवजा • बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली न्यूनतम जानकारी • सीईओ और सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र • जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन योजना • स्वतंत्र निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन • विशेष व्यवसाय के प्रत्येक मद के लिए बोर्ड की सिफ़ारिश
2.	निदेशक पदों की अधिकतम संख्या	17A	हाँ	• सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद
3.	लेखा परीक्षा समिति	18	हाँ	• संरचना • बैठकें और कोरम

				• वार्षिक आम बैठक में उपस्थित अध्यक्ष • समिति की भूमिका
4.	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	19	हाँ	• संरचना • वार्षिक आम बैठक में उपस्थित अध्यक्ष • बैठकें और कोरम • समिति की भूमिका
5.	हितधारक संबंध समिति	20	हाँ	• संरचना • वार्षिक आम बैठक में उपस्थित अध्यक्ष • बैठकें और कोरम • समिति की भूमिका
6.		21	लागू नहीं; कंपनी बंद होने वाली है	• संरचना • बैठकें और कोरम • समिति की भूमिका
7.	जोखिम प्रबंधन समिति	22	हाँ	• निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र • लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच
8.	सतर्कता तंत्र	23	हाँ	• संबंधित पक्ष लेनदेन की महत्ता और संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति • संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए लेखा परीक्षा समिति की सर्वव्यापी स्वीकृति सहित पूर्व अनुमोदन। • संबंधित पक्ष लेनदेन की आवधिक समीक्षा • संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण
9.	संबंधित पक्ष लेनदेन	24	लागू नहीं	महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के बोर्ड में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति लेखा परीक्षा समिति द्वारा सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों और निवेशों की समीक्षा सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल के कार्यवृत्त निदेशक मंडल की बैठक में रखे जाते हैं • सहायक कंपनी के महत्वपूर्ण लेनदेन और व्यवस्थाएँ निदेशक मंडल की बैठक में रखी जाती हैं
10.	कंपनी की सहायक कंपनियाँ	24A	हाँ	• वार्षिक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट • भारत में निगमित कोई भी महत्वपूर्ण असूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है।

11.	सचिवीय लेखा परीक्षा	25	हाँ। 02.11.2024 से लागू नहीं	• अधिकतम निदेशक पद और कार्यकाल • स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें • स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त और नियुक्ति • स्वतंत्र निदेशकों का परिचय • स्वतंत्र निदेशकों द्वारा यह घोषणा कि वे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं • सभी स्वतंत्र निदेशकों के लिए निदेशकों और अधिकारियों का बीमा
12.	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, निदेशकों और प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के संबंध में दायित्व	26	हाँ	• समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता • निदेशकों और वरिष्ठों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि • गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा शेयरधारिता का प्रकटीकरण • वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संभावित हितों के टकराव के बारे में प्रकटीकरण • प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, निदेशक और प्रमोटर द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों के लेन-देन के संबंध में मुआवजे या लाभ के बंटवारे के संबंध में कोई समझौता नहीं
13.		27	हाँ	• विवेकाधीन आवश्यकताओं का अनुपालन • कॉर्पोरेट प्रशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करना
14.	अन्य कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताएँ	46(2)(b) to (i)	हाँ	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की शर्तें और नियम निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की आचार संहिता सतर्कता तंत्र/व्हिसलब्लोअर नीति की स्थापना का विवरण संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति • स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए जाने वाले परिचय कार्यक्रमों का विवरण

क. निदेशकों की सूची:

निदेशक का नाम	अवधि	अन्य निदेशक पदों की संख्या	अन्य समिति सदस्यों की संख्या	
			सदस्य	अध्यक्ष
पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक				
नवीन कौल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - अतिरिक्त प्रभार	25.04.2024	1	2	-
*अमित श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	25.04.2023	1	-	-
मुकेश कुमार, निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार	20.04.2024	1	1	-
अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक (आधिकारिक)				
डॉ. रेणुका मिश्रा, निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित	16.11.2023	1	3	3
अरुण कुमार दीवान, निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित)	18.05.2023	1	3	-
**राज कुमार, स्वतंत्र निदेशक	02.11.2021	1	3	3

*25 अप्रैल, 2024 से प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है, और श्री नवीन कौल को 25 अप्रैल, 2024 से प्रभावी रूप से CMD नियुक्त किया गया है।

**01 नवंबर, 2024 से प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है।

बोर्ड बैठकों की संख्या और बोर्ड बैठकों तथा वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की छह बैठकें हुईं। बोर्ड बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

Sl. No.	निदेशकों का नाम	302nd BM dated 25.04.2024	303rd BM dated 28.05.2024	304th BM dated 06.08.2024	305th BM dated 04.09.2024	306th BM dated 27.09.2024	306th Adj. BM dated 29.10.2024	307th BM dated 13.03.2025	52nd AGM dated 27.09.2024
	कुल संख्या ->	6	5	5	5	5	5	4	5
1	नवीन कौल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	P	P	P	P	P	P	P	P
2	अमित श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	P	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	मुकेश कुमार, निदेशक (वित्त)	P	P	P	P	P	P	P	P
4	अरुण कुमार दीवान, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	P	P	P	P	P	P	P	P
5	डॉ. रेणुका मिश्रा	P	P	P	P	P	P	P	P
6	श्री राज कुमार, स्वतंत्र निदेशक	P	P	P	P	P	P	NA	P

वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और अन्य समिति बैठकों, तथा वार्षिक आम बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति **P:** उपस्थित, **A:** अनुपस्थित, **NA:** लागू नहीं

एक बैठक को छोड़कर, दो बोर्ड बैठकों के बीच **120** दिनों से अधिक का अंतराल नहीं रहा है और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई है।

बोर्ड समितियाँ:
कंपनी में तीन समितियाँ हैं - लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति।

श्री महेंद्र प्रताप सिंह और श्रीमती राकेश शर्मा का तीन वर्षीय कार्यकाल 27 जनवरी, 2023 से पूरा होने के बाद लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया। श्री राज कुमार का तीन वर्षीय कार्यकाल 1 नवंबर, 2024 से पूरा होने पर उक्त समितियों का पुनः पुनर्गठन किया गया। समितियों के गठन में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों का अभाव है।

बैठकों के लिए गणपूर्ति समितियों के सदस्यों के दो या एक-तिहाई सदस्यों में से जो भी अधिक हो, की होती है।

लेखा परीक्षा समिति:
लेखा परीक्षा समिति में तीन निदेशक होते हैं, जिनमें से एक गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक और दो गैर-कार्यकारी नामित निदेशक होते हैं। हालाँकि, 1 नवंबर, 2025 से समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। मुख्य वित्तीय अधिकारी और बाह्य एवं आंतरिक लेखा परीक्षक नियमित आमंत्रित सदस्य हैं। लेखा परीक्षा समिति की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।

<u>लेखा परीक्षा समिति की संरचना: -</u>

समिति के सदस्योंकेनाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख
*राज कुमार	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष	22-04-2022
अरुण कुमार दीवान	गैर-कार्यकारी - अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, सदस्य	29-05-2023
**रेणुका मिश्रा	गैर-कार्यकारी - अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, सदस्य	13-02-2024
मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त)	13-03-2025

*1 **नवंबर**, 2024 **से प्रभावी**
****अध्यक्ष** 13 **मार्च**, 2025 **से प्रभावी**

संदर्भ और शक्तियाँ:
समिति के सभी सदस्यों को वित्त और लेखा का अच्छा ज्ञान है। लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ और शक्तियाँ सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 और कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 177 के अंतर्गत उल्लिखित क्षेत्रों को कवर करती हैं। समिति कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का अवलोकन करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।

- बाहरी लेखा परीक्षक की नियुक्ति और निष्कासन, लेखा परीक्षा शुल्क निर्धारित करने और किसी भी अन्य सेवाओं के भुगतान के लिए अनुमोदन की सिफारिश करती है।
- बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही, अर्ध-वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है।
- बाह्य और आंतरिक लेखा परीक्षकों की समीक्षा, और प्रबंधन के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा।
- आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, विभागाध्यक्ष के स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना सहित आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा।

- आंतरिक लेखा परीक्षा का दायरा और आवृत्ति।
- संदिग्ध धोखाधड़ी वाले मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा।
- लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले बाह्य लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा, साथ ही लेखा परीक्षा के बाद किसी भी चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा।
- कंपनी की वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा, साथ ही जमाकर्ताओं, शेयरधारकों और लेनदारों को भुगतान में भारी चूक के कारणों की जाँच।

बैठकें और उपस्थिति: -

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, 28 मई 2024, 27 सितंबर 2024, 29 अक्टूबर 2024 (स्थगित बैठक) और 13 मार्च 2025 को चार समिति बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें सभी सदस्य उपस्थित थे।

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की उपस्थिति
1	*राजकुमार	अध्यक्ष	3	3
2	**रेणुका मिश्रा	सदस्य	4	4
3	अरुणकुमार दीवान	सदस्य	4	4
4	मुकेश कुमार	सदस्य	1	1

*1 नवंबर, 2024 से प्रभावी
**13 मार्च, 2025 से अध्यक्ष

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

पारिश्रमिक समिति में तीन निदेशक होते हैं, जिनमें से एक गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक और दो गैर-कार्यकारी निदेशक होते हैं। श्री राज कुमार सिंह समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। डॉ. रेणुका मिश्रा को 13 मार्च, 2025 से समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। विवरण इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पद	श्रेणी
1	*राज कुमार	अध्यक्ष	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
2	**रेणुका मिश्रा	सदस्य	गैर-कार्यकारी - अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
3	अरुण कुमार दीवान	सदस्य	गैर-कार्यकारी - अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
4	नवीन कौल	सदस्य	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

*1 नवंबर, 2024 से प्रभावी रूप से समाप्त
**13 मार्च, 2025 से अध्यक्ष

हितधारक संबंध समिति:

हितधारक संबंध समिति में तीन निदेशक होते हैं, जिनमें से एक गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक और दो गैर-कार्यकारी निदेशक होते हैं। श्री राज कुमार सिंह समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। डॉ. रेणुका मिश्रा को 13 मार्च, 2025 से समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। विवरण इस प्रकार हैं

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पद	श्रेणी
1.	*राज कुमार	अध्यक्ष	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
2.	**रेणुका मिश्रा	सदस्य	गैर-कार्यकारी - अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
3.	अरुण कुमार दीवान	सदस्य	गैर-कार्यकारी - अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
4.	नवीन कौल	सदस्य	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

*1 नवंबर, 2024 से प्रभावी
**अध्यक्ष 13 मार्च, 2025 से प्रभावी

बी. बोर्ड को दी गई जानकारी:

बोर्ड को कंपनी के कामकाज को प्रभावित करने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों के साथ-साथ उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श की आवश्यकता वाले मामलों पर सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाती है। विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है, जैसे:

- o उत्पादन, बिक्री और पूंजीगत व्यय बजट और अद्यतन,
- o बिक्री, निवेश और वित्तीय प्रदर्शन आँकड़े,
- o क्षेत्रवार व्यवसाय की समीक्षा
- o कंपनी के तिमाही परिणाम,
- o वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों और विस्तारों सहित कर्मचारी मामले,
- o कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही, जिसमें कारण बताओ, माँग, नोटिस आदि शामिल हैं,
- o शेयर हस्तांतरण और डीमैट अनुपालन,
- o लेखा परीक्षा समिति और निदेशकों की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त,
- o कंपनी के अनुसंधान एवं विकास प्रयास,
- o श्रम मामले और मानव संसाधन मुद्दे,
- o कंपनी के प्रति और कंपनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल का पर्याप्त भुगतान न करना,
- o सतर्कता और संबंधित मामले,
- o पूंजीगत वस्तुओं का अपलेखन और निपटान,
- o कानूनी अनुपालन रिपोर्टिंग प्रणाली और ऐसे अन्य मामले
- o घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, खतरनाक घटनाएँ, कोई भी भौतिक अपशिष्ट या प्रदूषण संबंधी समस्याएँ
- o सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के लिए भुगतान से जुड़े लेनदेन
- o निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएँ

कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में निदेशक मंडल द्वारा आवश्यक रूप से पहचाने गए मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं की सूची निम्नलिखित है, और ये कौशल बोर्ड के सदस्यों के पास उपलब्ध हैं:

i. कंपनी के व्यवसायों (विनिर्माण), नीतियों और संस्कृति (मिशन, विजन और मूल्यों सहित), प्रमुख जोखिमों/खतरों, संभावित अवसरों और उस उद्योग का ज्ञान जिसमें कंपनी संचालित होती है।

ii. कंपनी के विकास में प्रभावी योगदान देने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने हेतु व्यवहारिक कौशल, विशेषताएँ और क्षमताएँ।

iii. व्यावसायिक रणनीति, बिक्री और विपणन, कॉर्पोरेट प्रशासन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, प्रशासन, निर्णय लेना,

iv. कंपनी के व्यवसाय के संबंध में तकनीकी/व्यावसायिक कौशल और विशिष्ट ज्ञान।

3. आम सभा की बैठकें:

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं:-

क्र.सं.	वर्ष	स्थान	दिनांक	समय
1.	2024-25	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	सितम्बर 27, 2024	12.30 PM
2.	2023-24	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	दिसम्बर 02, 2023	12.30 PM
3.	2021-22	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	दिसम्बर 30, 2022	12.30 PM
4.	2020-21	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	दिसम्बर 29, 2021	10.30 AM

विशेष प्रस्ताव (यदि कोई हो) एवं डाक मतपत्र:

एजीएम तिथि	विशेष प्रस्ताव	चाहे डाक मतपत्र के माध्यम से डाला जाए	मतदान पैटर्न का विवरण	वह व्यक्ति जो डाक मतपत्र का संचालन करता है
29.12.2021	तीन (वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ए) के अंतर्गत	नही	अपेक्षित बहुमत से पारित	लागू नहीं

	प्रस्ताव)			
30.12.2022	एक (वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन)	नही	अपेक्षित बहुमत से पारित	लागू नहीं
02.12.2023	एक (वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन)	नही	अपेक्षित बहुमत से पारित	लागू नहीं
05.07.2023	एक (बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग का अनुमोदन)	हाँ	अपेक्षित बहुमत से पारित	सीएमडी
27.09.2024	एक (वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन)	नही	अपेक्षित बहुमत से पारित	लागू नहीं

पारिश्रमिक नीति:

वर्ष 2024-25 के लिए निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है:

(राशि ₹ में)

नाम	पदनाम एवं अवधि	बैठने का शुल्क (Rs)	वेतन (Rs.)	लाभ और पीएफ/पेंशन में योगदान /अन्य	कुल
श्री नवीन कौल	सीएमडी (25.04.2024 to 31.03.2025)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री मुकेश कुमार	डीएफ (20.04.2024 to 31.03.2025)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुसार, केवल स्वतंत्र निदेशकों को ही बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति अतिरिक्त प्रभार के आधार पर की गई है और तदनुसार, कंपनी द्वारा उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।

सामान्य शेयरधारक जानकारी:

वार्षिक सामान्य बैठक		
दिनांक और समय	:	**[.]**
वित्तीय कैलेंडर	:	1st April 2024 to 31st March 2025
स्थान	:	through VC/OAVM
बुकिंग बंद होने की तिथि	:	No Book Closure is proposed
कटऑफ तिथि	:	[.]
ई-वोटिंग प्रारंभ तिथि	:	[.] (09.00 AM)
ई-वोटिंग समाप्ति तिथि	:	[.] (05.00 PM)
अन्य विवरण	:	Nil
इक्विटी की लिस्टिंग	:	BSE (delisted w.e.f 20.06.2024), DSE (de-recognized w.e.f 19.11.2014)
बीएसई, स्टॉक कोड	:	505141
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट	:	स्काई लाइन फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड D-153/A,1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, NewDelhi-110020, Email:compliances@skylinerta.com
पंजीकृत कार्यालय का स्थान	:	3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमतीनगर, लखनऊ - 226 010, Uttar Pradesh, India, Tel. No.: 0522-3178490 Website: www.scootersindialimited.com Email Id: csscootersindia@gmail.com

4. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर मूल्यों का सारांश (मासिक) :

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर मूल्यों का सारांश (मासिक): उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी 20 जून, 2024 से डीलिस्ट हो गई है।

5. प्रकटीकरण:

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंजों/सेबी/वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा गैर-अनुपालन, दंड और प्रतिबंधों का विवरण:

क्र. सं.	अनुपालन आवश्यकता (विशिष्ट खंड सहित विनियम/परिपत्र/दिशानिर्देश))	विनियमन/ परिपत्र संख्या.	विचलन	द्वारा की गई कार्रवाई	जुर्माना राशि (रु.)	टिप्पणी
1)	कंपनी सचिव की अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्ति	विनियम 6(1)	कंपनी सचिव की कंपनी अधिकारी के रूप में नियुक्ति न होना	बीएसई लिमिटेड	94400	कंपनी ने कमज़ोर वित्तीय स्थिति और कंपनी को बंद करने के निर्णय को देखते हुए एसओपी जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है। सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरुवार, 20 जून, 2024 से बीएसई लिमिटेड से डीलिस्टिंग के आदेश के मद्देनजर यह मामला बंद किया जाता है।
2)	बोर्ड संरचना	विनियम 17(1)(क)	बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की कमी है। मार्च 2023, जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023 और मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की कमी है।	बीएसई लिमिटेड	1357000	सीपीएसई होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है और कंपनी ने एसओपी जुर्माना माफ करने के लिए बीएसई से अनुरोध किया है। सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरुवार, 20 जून, 2024 से बीएसई लिमिटेड से डीलिस्टिंग के आदेश के मद्देनजर यह मामला बंद किया जाता है।
3)	लेखा परीक्षा समिति की संरचना	विनियम 18	लेखा परीक्षा समिति में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है, जबकि न्यूनतम दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होना	शून्य	1085600	सीपीएसई होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति उसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और कंपनी ने एसओपी जुर्माना माफ करने के लिए बीएसई से अनुरोध किया

			आवश्यक है।			है। सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरुवार, 20 जून, 2024 से बीएसई लिमिटेड से डीलिस्टिंग के आदेश के मद्देनजर यह मामला बंद कर दिया गया है।
4)	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना	विनियम 19	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है, जबकि न्यूनतम दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है।	शून्य	1073800	सीपीएसई होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति उसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और कंपनी ने एसओपी जुर्माना माफ करने के लिए बीएसई से अनुरोध किया है। सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरुवार, 20 जून, 2024 से बीएसई लिमिटेड से डीलिस्टिंग के आदेश के मद्देनजर यह मामला बंद कर दिया गया है।
5)	30 सितंबर, 2023 को समाप्त छमाही के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन की रिपोर्ट	विनियम 23(9)	30 सितंबर, 2023 को समाप्त छमाही के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण देरी से प्रस्तुत किया गया।	बीएसई लिमिटेड	5900	कंपनी ने एसओपी जुर्माना माफ करने के लिए बीएसई से अनुरोध किया है, क्योंकि तकनीकी समस्या के कारण देरी हुई थी। गुरुवार, 20 जून, 2024 को सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में
6)	वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना	सूचीबद्धता विनियमों का विनियम 34	बीएसई को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी	बीएसई लिमिटेड	210040	बीएसई एसओपी जुर्माना गलत लगाया गया है, इसलिए कंपनी ने बीएसई से छूट का अनुरोध किया है। सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरुवार, 20 जून, 2024 से बीएसई लिमिटेड से डीलिस्टिंग के आदेश के मद्देनजर यह मामला बंद किया जाता है।
7)	कंपनी की वेबसाइट	सूचीबद्धता विनियमों का विनियम 46:	कंपनी की वेबसाइट अद्यतन और कार्यात्मक नहीं पाई गई है	शून्य	Nil	कंपनी ने नई वेबसाइट www.scootersindialimited.com बनाई है और सभी आवश्यक डेटा को माइग्रेट करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और लिस्टिंग

						विनियमों के विनियम 46 के अनुसार बीएसई पर भी अपडेट करना आवश्यक है। सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरुवार, 20 जून, 2024 से बीएसई लिमिटेड से डीलिस्टिंग के आदेश के मद्देनजर यह मामला बंद किया जाता है।

2. कंपनी के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंध: कोई नहीं
3. महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन, जिनका कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है: कोई नहीं
4. वरिष्ठ प्रबंधन के महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देन, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो सकता है, और जिनका कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है: कोई नहीं
5. अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों द्वारा निवेश के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण: लागू नहीं
6. कंपनी द्वारा किसी भी ऋण लिखत, सावधि जमा कार्यक्रम या धन जुटाने से संबंधित किसी अन्य योजना के लिए प्राप्त क्रेडिट रेटिंग: कोई नहीं
7. कंपनी के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय/सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है, जिसकी पुष्टि मेसर्स अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा भी की गई है।
8. स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में बोर्ड द्वारा पुष्टि प्रदान नहीं की गई है क्योंकि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं है।
9. 'कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियों' से संबंधित जानकारी 'निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण' और 'वित्तीय विवरणों के नोट्स' में दी गई है, जो रिपोर्ट और लेखा का हिस्सा हैं।
10. कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा मेसर्स वी. खन्ना एंड कंपनी, कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों और उसी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाली अन्य सभी संस्थाओं को भुगतान की गई कुल फीस 35,000/- रुपये है।
11. लिस्टिंग विनियम 2015 के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी: श्री नवीन कौल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त शुल्क), 20 जून 2024 को डीलिस्टिंग तक।

6. संचार के साधन:

क) समाचार पत्र प्रकाशन	कृपया बोर्ड रिपोर्ट का पैरा 13 देखें।
ख) प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	यह निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसे कंपनी के शेयरधारकों को भेजा जाता है।
ग) वेबसाइट	www.scootersindialimited.com

7. शेयर हस्तांतरण प्रणाली:

कंपनी ने क्रमशः 18 जनवरी 2002 और 25 फ़रवरी 2002 को एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंपनी को आईएसआईएन कोड संख्या INE 959E01011 आवंटित किया गया है और तब से, कंपनी के शेयरों का व्यापार डीमैट रूप में किया जा रहा है। कंपनी ने मेसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153/ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 को अपना रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) नियुक्त किया है।

8. 30 सितंबर, 2025 तक शेयरधारिता पैटर्न

9.

क्र.सं	श्रेणी	प्रतिशत
1	केंद्र सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	97.85
2	भारतीय जनता और अन्य	2.15
	कुल	100.00

9. अन्य प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, अधिनियम और लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत परिभाषित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए सभी लेन-देन, सामान्य व्यावसायिक क्रम में और एकतरफा मूल्य निर्धारण के आधार पर किए गए थे और अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों के अधीन नहीं हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ जो कंपनी के हितों के प्रतिकूल हो। लेखांकन मानकों के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किए गए हैं। बोर्ड ने संबंधित पक्ष लेनदेन की महत्ता और संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने के संबंध में एक नीति को मंजूरी दी है, और इसका खुलासा कंपनी की वेबसाइट https://www.scooters india limited.com /investors/Related_Party_Transaction_Policy.pdf लिंक पर किया गया है।

कंपनी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 22 के तहत निदेशकों और कर्मचारियों के लिए किसी भी अनैतिक व्यवहार के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने हेतु एक आवश्यक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। उक्त नीति का खुलासा कंपनी की वेबसाइट, लिंक https://www. Scootersindialimited /investors/ Whistle_Blower_Policy.pdf पर भी किया गया है।

10. वार्षिक रिपोर्ट पर कोई प्रश्न

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010, उत्तर प्रदेश, भारत

अनुलग्नक – 4क

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(8) के अंतर्गत प्रमाणपत्र:

I. हमने वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरणों की समीक्षा की है और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:
1. इन विवरणों में कोई भी भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण कारक को नहीं छोड़ा गया है जिसमें ऐसे कथन शामिल हों जो भ्रामक हो सकते हैं।
2. ये विवरण मिलकर कंपनी के मामलों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं।

II. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।

III. हम नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और हमने कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है, और हमने आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और संचालन में, यदि कोई हो, कमियों का लेखा परीक्षक के समक्ष खुलासा किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या प्रस्तावित हैं।

IV. हमने लेखा परीक्षकों को अवगत कराया है:
1. वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
2. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और उन्हें वित्तीय विवरणों के नोट्स में संलग्न किया गया है; और
3. महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के उदाहरण जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है और उनमें प्रबंधन या कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, है।
Sd/-

हस्त/-
नवीन कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10604669
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 31.10.2025

अनुलग्नक -4ख

कॉर्पोरेट प्रशासन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

हम, अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (b) से (i) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") की अनुसूची V के पैरा C, D और E में निर्धारित है।

प्रबंधन की ज़िम्मेदारी:

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी में सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

हमारी ज़िम्मेदारी:

हमारी ज़िम्मेदारी कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जाँच तक सीमित है। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।
हमने कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के अनुपालन का उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों और दस्तावेजों की जाँच की है।
हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("आईसीएसआई") द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रमाणपत्र पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार, जहाँ तक मामले में लागू हो, कंपनी के प्रासंगिक अभिलेखों की जाँच की है और आईसीएसआई लेखा मानकों पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार, जिसके अनुसार हमें आईसीएसआई द्वारा जारी नैतिक आवश्यकताओं और अन्य नियमों का पालन करना आवश्यक है।

राय:

संबंधित अभिलेखों की हमारी जाँच और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (ख) से (झ) तथा सूचीकरण विनियमों की अनुसूची V के पैरा ग, घ और ङ में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय:

1. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशकों वाले निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) और 17(1)(ख) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है।
2. कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड में न्यूनतम छह निदेशकों की आवश्यकता के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(सी) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है।
3. कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर रखे जाने वाले आवश्यक विवरणों के संबंध में विनियम 46 के उप-विनियम 2 के खंड (i) का अनुपालन नहीं किया है।
4. सेबी परिपत्र CIR/MRD/DP/10/2015 दिनांक 05 जून, 2015 का अनुपालन नहीं किया गया है।
5. कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के त्यागपत्र के कारण रिक्ति को भरने में देरी।

हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसा प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता का।

अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरकर्ता/-
सीएस अमित गुप्ता
प्रबंध भागीदार
एफसीएस – 5478, सी.पी. 4682
यूडीआईएन: F005478G001709611
दिनांक: 31.10.2025

अनुलग्नक – 5

प्रपत्र संख्या MR.3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में
सदस्य,
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड,
(सीआईएन - L25111UP1972GOI003599)
3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010,
उत्तर प्रदेश, भारत

हमने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस प्रकार किया गया है कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया है।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल प्रपत्रों और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर,

हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में
कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही
1. कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र विद्यमान हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और आगे की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:
हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल प्रपत्रों और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच की है:

I. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
II. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
III. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम;
IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक - लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है;

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') [बीएसई लिमिटेड से इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग के कारण 20 जून, 2024 से प्रभावी सूचीबद्ध इकाई पर लागू नहीं] के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं:-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम");
(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 ("आईसीडीआर विनियम");
(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 ("अधिग्रहण विनियम");
(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 ("पुनःखरीद विनियम")

- (समीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई पर लागू नहीं);

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, विनियम 2021 ("एसबीईबी विनियम") - (समीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई पर लागू नहीं);

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 ("गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूति विनियम") - (समीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई पर लागू नहीं);

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 ("डीलिस्टिंग विनियम");

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 ("पीआईटी विनियम");

(झ) कंपनियों और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंट के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 ("आरटीए विनियम") - लागू नहीं क्योंकि सूचीबद्ध इकाई समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंट के रजिस्ट्रार के रूप में पंजीकृत नहीं है;

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018 ("डीपी विनियम");

vi. अन्य कानून जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू हो सकते हैं: रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई अन्य उद्योग-विशिष्ट कानून लागू नहीं हैं।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:
(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; और
(ii) कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड के साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन, ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

क्र. सं.	अनुपालन आवश्यकता (विशिष्ट खंड सहित विनियम/परिपत्र/ दिशानिर्देश)	विनियमन/ परिपत्र सं.	विचलन	द्वरा कार्रवाई की गई	जुर्माना राशि	टिप्पणी
1)	कंपनी सचिव की अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्ति	विनियम 6(1)	कंपनी सचिव की कंपनी अधिकारी के रूप में नियुक्ति न होना	बीएसई लिमिटेड	94400	कंपनी ने कमजोर वित्तीय स्थिति और कंपनी को बंद करने के निर्णय को देखते हुए एसओपी जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है। सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरुवार, 20 जून, 2024 से बीएसई लिमिटेड से डीलिस्टिंग के आदेश के मद्देनजर यह मामला बंद कर दिया गया है।

2)	बोर्ड संरचना	विनियम 17(1)(क)	बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की कमी है। मार्च 2023, जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023 और मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की कमी है।	बीएसई लिमिटेड	1357000	सीपीएसई होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और कंपनी ने एसओपी जुर्माना माफ करने के लिए बीएसई से अनुरोध किया है। सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरुवार, 20 जून, 2024 से बीएसई लिमिटेड से डीलिस्टिंग के आदेश के मद्देनजर यह मामला बंद कर दिया गया है।
3)	लेखा परीक्षा समिति की संरचना	विनियम 18	लेखा परीक्षा समिति में न्यूनतम दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता के विपरीत केवल एक स्वतंत्र निदेशक है।	शून्य	1085600	सीपीएसई होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और कंपनी ने एसओपी जुर्माना माफ करने के लिए बीएसई से अनुरोध किया है। गुरुवार, 20 जून, 2024 को सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में
4)	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना	विनियम 19	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में न्यूनतम दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता के विपरीत केवल एक स्वतंत्र निदेशक है।	शून्य	1073800	सीपीएसई होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है और कंपनी ने एसओपी जुर्माना माफ करने के लिए बीएसई से अनुरोध किया है। गुरुवार, 20 जून, 2024 को सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में बीएसई लिमिटेड से डीलिस्टिंग के आदेश के मद्देनजर यह मामला बंद कर दिया गया है।

5)	30 सितंबर, 2023 को समाप्त छमाही के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन की रिपोर्ट	विनियम 23(9)	30 सितंबर, 2023 को समाप्त छमाही के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण देरी से प्रस्तुत किया गया।	बीएसई लिमिटेड	5900	कंपनी ने एसओपी जुर्माना माफ करने के लिए बीएसई से अनुरोध किया है, क्योंकि तकनीकी समस्या के कारण देरी हुई थी। गुरुवार, 20 जून, 2024, सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में
6)	वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना	सूचीबद्धता विनियमों का विनियम 34	बीएसई को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी।	बीएसई लिमिटेड	210040	बीएसई एसओपी जुर्माना गलत लगाया गया है, तदनुसार कंपनी ने बीएसई से छूट का अनुरोध किया है। सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में गुरुवार, 20 जून, 2024 से बीएसई लिमिटेड से डीलिस्टिंग के आदेश के मद्देनजर यह मामला बंद कर दिया गया है।
7)	कंपनी की वेबसाइट	सूचीबद्धता विनियमों का विनियम 46:	कंपनी की वेबसाइट अद्यतन और कार्यात्मक नहीं पाई गई।	शून्य	शून्य	अब कंपनी ने नई वेबसाइट www.scootersindialimited.com बनाई है और उस पर सभी आवश्यक डेटा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 46 के अनुसार बीएसई पर भी स्थिति को अपडेट करेगी। बीएसई लिमिटेड से डीलिस्टिंग के आदेश के मद्देनजर यह मामला बंद कर दिया गया है। गुरुवार, 20 जून, 2024 को सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में

इसके अलावा, हमने पाया है कि:

क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, *2013* के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके, कंपनी रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, कानपुर के पास कुछ फॉर्म/रिटर्न/दस्तावेज आदि देरी से दाखिल किए हैं।

ख) कंपनी ने कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *138* की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ नहीं किया गया है। जबकि कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *149(4)*, *149(5)* और *149(1)* के प्रावधानों के

साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, *2014* के नियम *4* और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, *2015* के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का होना आवश्यक है, कंपनी उक्त आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त, आलोच्य वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में न्यूनतम छह निदेशक नहीं थे। आलोच्य अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे। *01* अप्रैल, *2022* से कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में श्री समर्थ दवे के इस्तीफे के कारण उत्पन्न रिक्ति को *12* अगस्त, *2022* से श्री प्रखर सर्वेयल की नियुक्ति के साथ भरा गया, जिन्होंने *30* अगस्त, *2022* से इस्तीफा दे दिया, और रिक्ति को *29* दिसंबर, *2022* से श्री रवि प्रकाश तिवारी की नियुक्ति के साथ भरा गया, जिन्होंने *12* जुलाई, *2023* से इस्तीफा दे दिया, और रिक्ति जारी है।

- बोर्ड की बैठकों की समय-सारणी बनाने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, और एजेंडा तथा विस्तृत नोट्स आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं। हालाँकि, हमने कुछ मामलों में एजेंडा पत्र भेजने में देरी देखी है, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

- बहुमत के निर्णय को लागू किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, तो उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन को ध्यान में रखते हुए, प्रभावी निगरानी को सक्षम करने और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी की प्रणालियों और प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ करने और सुधारने की आवश्यकता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी के मामलों पर प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाएँ देखी गईं:

i. एमएचआई के पत्र संख्या एफ. संख्या ***3(1)/2020*-पीई-*VI*** दिनांक ***28.01.2021*** के अनुसार, कंपनी का संचालन बंद कर दिया गया है, एसआईएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, कंपनी एक चालू व्यवसाय नहीं रह गई है, और उक्त संचार के अनुसार आवश्यक कदम लागू किए जा रहे हैं। तदनुसार, सभी नियमित कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस के अनुसार कार्यमुक्त कर दिया गया है और ***29.04.2021*** से कंपनी की नियमित संख्या शून्य है। इसके अलावा, कंपनी ने एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा सभी चल संपत्तियों (कुछ ब्रांडों को छोड़कर) का निपटान कर दिया है।

ii. भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई), भारत सरकार द्वारा दिनांक ***21.10.2022*** के पत्र के माध्यम से दी गई स्वीकृति के अनुसार, सरोजिनी नगर में स्थित भवन/वृक्षों सहित ***147.49*** एकड़ लीजहोल्ड भूमि को "जहां और जहां के आधार पर" ***01.12.2022*** को यूपीएसआईडीए (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण), उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है।

iii. एसआईएल के इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग की प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक ***03*** मई, ***2023*** को की गई आरंभिक सार्वजनिक घोषणा के अनुसार शुरू की गई है, जो भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र संख्या एफ. संख्या ***3(1)/2020*-पीई-*VI***, दिनांक ***28.01.2021*** के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, ***2021*** के विनियमन ***8*** और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा दी गई विभिन्न छूटों के अनुसार है। डीलिस्टिंग ऑफर ***26*** दिसंबर, ***2023*** से ***8*** अप्रैल, ***2024*** तक ***75*** कार्य दिवसों के लिए खुला रहा, जिसके बाद ऑफर लेटर, टेंडर फॉर्म और अन्य संबंधित दस्तावेज ***5207*** पब्लिक शेयरधारकों को ईमेल के जरिए और ***21*** दिसंबर, ***2023*** को ***6130*** पब्लिक शेयरधारकों को डाक के जरिए भेजे गए और ***8-9*** दिसंबर, ***2023*** को देश भर के विभिन्न अखबारों में समाचार पत्र प्रकाशन किए गए।

iv. बीएसई ने ***5*** जून***, 2024*** के अपने नोटिस नंबर ***20240605-51*** के जरिए सूचित किया है कि कंपनी के इक्विटी शेयरों ***(***स्क्रिप कोड***: 505141)*** में ट्रेडिंग ***15*** दिसंबर***, 2023*** से बंद कर दी गई है। ***12.06.2024*** को***,*** और उपर्युक्त शेयर ***20*** जून***, 2024*** से बीएसई से डीलिस्ट किया जाता है।

अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित/-

अमित गुप्ता
प्रबंध भागीदार
सदस्यता संख्या*: F5478*
सी.पी. संख्या *4682*
UDIN - F005478G001709664
दिनांक*: 31.10.2025*
स्थान*:* लखनऊ

नोट: इस रिपोर्ट को सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा सम संख्या के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

सेवा में,
सदस्यगण,
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड,
3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड,
गोमती नगर, लखनऊ *- 226 010*,
उत्तर प्रदेश, भारत

इस पत्र के साथ हमारी सम तिथि की रिपोर्ट पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच प्रक्रिया के परीक्षण के आधार पर सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के संचालन की प्रभावशीलता या प्रभावशीलता का।

अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

अमित गुप्ता
प्रबंध भागीदार
सदस्यता संख्या*: F5478*
सी.पी. संख्या *4682*
UDIN: F005478G001709664
दिनांक*:31.10.2025*
स्थान*:* लखनऊ

निदेशकों की अयोग्यता संबंधी घोषणा

कंपनी के सभी निदेशकों ने एक घोषणा प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से प्रतिबंधित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। कार्यरत कंपनी सचिव श्री अमित गुप्ता ने इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। ***(अनुलग्नक-6)।***

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा कंपनी की आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा।

लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने *31* मार्च, *2025* को समाप्त वर्ष के लिए उन पर लागू संबंधित आचार संहिताओं का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया है।

हस्ताक्षरकर्ता/- नवीन कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - *10604669*

स्थान: लखनऊ
दिनांक: *31.10.2025*

<u>अनुलग्नक-6</u>

निदेशकों की अयोग्यता प्रमाणपत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा C के खंड 10(i) के अनुसार, उक्त सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 34(3) के साथ पठित]।

सेवा में
सदस्यगण,
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड,
लखनऊ

1. हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("विनियम") की अनुसूची V के पैरा C के खंड 10(i) के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की स्थिति की जाँच की है।
2. यह न तो कोई लेखा-परीक्षण है और न ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) या ऐसे किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा रोक लगाने या अयोग्य ठहराने की वैधता के संबंध में राय की अभिव्यक्ति है।

3. हमारी जाँच कंपनी के प्रासंगिक अभिलेखों और एमसीए, स्टॉक एक्सचेंज(ओं), सेबी और अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरण (प्राधिकरणों) (निर्दिष्ट करें) की वेबसाइट की समीक्षा तक सीमित थी, जैसा कि इस प्रमाणपत्र के अनुलग्नक में निर्दिष्ट है और प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में पूर्ण और सटीक जानकारी के साथ प्रासंगिक घोषणाएँ और प्रकटीकरण प्रस्तुत करना निदेशकों की पूर्ण जिम्मेदारी है।
4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, प्रासंगिक अभिलेखों, हमें दिए गए स्पष्टीकरणों, निदेशकों द्वारा की गई घोषणाओं और प्रकटीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन की हमारी जाँच के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरकर्ता/-
अमित गुप्ता
प्रबंध भागीदार
सदस्यता संख्या: F5478
सी.पी. संख्या 4682
UDIN – F005478G001709752
दिनांक: 310.2025
स्थान: लखनऊ

अनुलग्नक-8

कर्मचारियों का विवरण

कंपनियाँ (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 5(1) नियम 2014

(₹ लाख में)

पूर्णकालिक निदेशकों के नाम	पदनाम	वर्ष 2024-25 में पारिश्रमिक (₹ में)	वर्ष 2023-24 में पारिश्रमिक (₹ में)	पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि	कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक से पारिश्रमिक का अनुपात	शुद्ध लाभ से पारिश्रमिक का अनुपात (2024-25)
*श्री नवीन कौल	सीएमडी	-	-	-	-	-
*श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त)	-	-	-	-	-

*अतिरिक्त प्रभार के आधार पर

(₹ लाख में)

स्वतंत्र निदेशकों का नाम	*वर्ष 2024-25 में पारिश्रमिक	*वर्ष 2023-24 में पारिश्रमिक	पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि
श्री राज कुमार	शून्य	शून्य	-

*कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है; तथापि, प्रत्येक बैठक/समिति बैठक के लिए 5000/- रुपये प्रति बैठक की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। (लाखों रुपये में)

केएमपी का नाम	*वर्ष 2024-25 में पारिश्रमिक	*वर्ष 2023-24 में पारिश्रमिक	पारिश्रमिक और शुद्ध लाभ का अनुपात (2024-25)
श्री राज शेखर तिवारी	5,40,000.00	6,48,000.00	–

*19 फ़रवरी, 2025 से प्रभावी रूप से समाप्त

i. वर्ष 2024-25 और 2023-24 में कर्मचारियों का औसत पारिश्रमिक क्रमशः शून्य रुपये और शून्य रुपये है। औसत पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि 0% है।
ii. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष तक कंपनी के रोल पर स्थायी कर्मचारियों की संख्या शून्य थी।
iii. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष में कंपनी का शुद्ध लाभ (873.24) लाख रुपये रहा, जबकि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (3113.82) लाख रुपये था। कंपनी के शुद्ध घाटे में कमी का प्रतिशत (-) 71.96% है। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में डब्ल्यूटीडी और केएमपी के पारिश्रमिक में वृद्धि क्रमशः शून्य और शून्य रही।
iv. चालू वर्ष 2025 और पिछले वर्ष 2024 के समापन पर बाजार पूंजीकरण और मूल्य आय अनुपात में परिवर्तन लागू नहीं है (जैसा कि 20 जून, 2024 से असूचीबद्ध है)
vi. आलोच्य वर्ष के दौरान, किसी भी कर्मचारी को उच्चतम वेतन पाने वाले निदेशकों से अधिक पारिश्रमिक नहीं मिला।
vii. आलोच्य वर्ष के दौरान कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं था जिसका प्रकटीकरण कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत आवश्यक हो।

<u>*अनुलग्नक-8*</u>

प्रपत्र संख्या एओसी .2

संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं का विवरण

अधिनियम की धारा 134 **के उप-विनियम (**3) **के खंड (**h) **और कंपनी (लेखा) नियम**, 2014 **के नियम** 8(2) **के अनुसार**

यह प्रपत्र कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **188** की उप-धारा (**1**) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं का विवरण प्रकट करता है, जिसमें उसके तीसरे परंतुक के अंतर्गत कुछ निश्चित लेन-देन भी शामिल हैं।

1. ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं, या लेन-देनों का विवरण जो निष्पक्ष आधार पर नहीं हैं: आलोच्य वर्ष के दौरान किए गए ऐसे कोई अनुबंध या व्यवस्थाएँ नहीं हैं जो निष्पक्ष आधार पर नहीं थे।
2. महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं, या निष्पक्ष आधार पर किए गए लेन-देनों का विवरण: आलोच्य वर्ष के दौरान निष्पक्ष आधार पर किए गए अनुबंध या व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं:

सम्बंधित पक्ष का नाम	सम्बंध की प्रकृति	अनुबंध / व्यवस्था / लेन-देन की प्रकृति	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	मुख्य शर्तें	राशि
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरकर्ता/-

नवीन कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन – *10604669*
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

स्थान : लखनऊ
दिनाँक : 31.10.2025

31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट

Particulars	Note No.	As At 31.03.2025 ₹ in Lakhs	As At 31.03.2024 ₹ in Lakhs
A. ASSETS			
(I) Non-current assets			
(a) Property, Plant & Equipment	2	-	-
(b) Right of Use Assets	2.1	-	-
(c) Capital work-in progress	2.2	-	-
(d) Other intangible assets	2.3	-	-
(e) Financial Assets			
(i) Non-Current Investments	3.1	-	-
(ii) Trade receivables	4	-	-
(iii) Loans		-	-
(iv) Others -Security Deposits	5	-	-
(f) Deferred tax assets (Net)	6	-	-
(g) Other non-current assets	7	-	-
Total non-current assets (I)		-	-
(II) Current assets			
(a) Inventories	8	-	-
(b) Financial Assets			
(i) Current Investments	3.2	-	-
(ii) Trade receivables	9	(10.85)	15.09
(iii) Cash and cash equivalent	10	454.68	1,776.23
(iv) Bank balance other than (iii) above	10	2,860.26	3,625.26
(v) Loans		-	-
(vi) Others financial Assets (Security Deposits)	11	1,097.59	93.50
(c) Current tax assets (Net)		-	-
(d) Other current assets	12	1,492.22	1,918.32
Sub-total current assets		5,893.90	7,428.40
Non-current assets held for sale		-	-
Total current assets (II)		5,893.90	7,428.40
Total assets (I+II)		5,893.90	7,428.40
B. EQUITY AND LIABILITIES			
(I) Equity			
(a) Equity share capital	13	8,727.39	8,727.39
(b) Other Equity			
(i) Equity component of other financial instruments		-	-
(ii) Retained Earnings	14	(11,834.67)	(10,961.43)
(iii) Reserves	14	4.90	4.90
(iv) Money received against share warrants		-	-
(v) Other		-	-
Total equity (I)		(3,102.38)	(2,229.14)
(II) Liabilities			
(1) Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	15	-	-
(ii) Lease Liabilities	16	-	-
(iii) Trade payables			
(A) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		-	-
(B) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small		-	-
(iv) Other financial liabilities		-	-
(b) Non-Current Provisions	17	-	-
(c) Deferred tax liabilities (Net)		-	-
(d) Other non-current liabilities	18	-	-
Total non-current liabilities (1)		-	-
(2) Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Short Term Borrowings	19	5,700.00	5,700.00
(ii) Lease Liabilities	20	-	-
(iii) Trade & Other payables			
(A) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	21	-	-
(B) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small	21	557.52	533.00
(iv) Other financial liabilities	22	-	-
(b) Other current liabilities	23	2,546.70	1,982.44
(c) Current Provisions	24	18.01	1,268.05
(d) Current tax liabilities (Net)	25	174.05	174.05
Total current liabilities (2)		8,996.28	9,657.54
Total liabilities (II)=[(1)+(2)]		8,996.28	9,657.54
Total equities and liabilities (I+II)		5,893.90	7,428.40

Accompanying Notes 1 to 56 are an integral part of the Financial Statements

As per our report of even date attached
For V. Khanna & Co.
Chartered Accountants
FR No. -000200C

(CA. Vishal Khanna)
Partner
M . N. 077146

Place: Lucknow
Date:
05 AUG 2025
UDIN:- 25077146BMSKQ02702

For and on behalf of the Board of Directors of **Scooters India Limited**

(Mukesh Kumar)
Director (Finance)
DIN - 10592715

(Navin Kaul)
Chairman and Managing Director
DIN - 10604669

लाभ और हानि विवरण (31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए)

Particulars	Note No	Year Ended on 31.03.2025 ₹ in Lakhs	Year Ended on 31.03.2024 ₹ in Lakhs
I. Revenue from Operations	26	-	-
II. Other income	27	312.27	307.03
III. Total income (I +II)		312.27	307.03
IV. Expenses:			
Cost of materials consumed	28	-	-
Cost of sales at petrol pump	28	-	-
Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and disposal store	29	-	-
Employee benefit expense	30	-	-
Finance cost	31	553.50	553.50
Other expenses	32	356.35	173.06
Depreciation and amortization expenses	33	-	-
Total		909.85	726.56
Less: Expenditure included in above capitalized		-	-
Total Expenses (IV)		909.85	726.56
V. Profit/(loss) before exceptional and items and tax (III - IV)		(597.58)	(419.53)
VI. Exceptional Items		-	-
VII. Profit(loss) before tax (V-VI)		(597.58)	(419.53)
VIII. Tax expense:			
(1) Current tax	34	275.66	2,694.29
(2) Deferred tax		-	-
IX. Profit (Loss) from the period from continuing operations (VII-VIII)		-	-
X. Profit/(Loss) from discontinued operations		(873.24)	(3,113.82)
XI. Tax expense of discontinued operations		-	-
XII. Profit/(Loss) from discontinued operations (after tax) (X - XI)		(873.24)	(3,113.82)
XIII. Profit/(Loss) for the period (IX+XII)		(873.24)	(3,113.82)
XIV. Other Comprehensive income			
A. (i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
- Gain / (Loss) of defined benefit Obligation		-	-
(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss			
B. (i) Items that will be reclassified to profit or loss		-	-
(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss			
XV. Total comprehensive income for the period (XIII+XIV)		(873.24)	(3,113.82)
XVI. Earnings per equity share (for continuing operation):			
(1) Basic	35	(1.00)	(3.57)
(2) Diluted		(1.00)	(3.57)
XVII. Earnings per equity share (for discontinued operation):			
(1) Basic			
(2) Diluted			
XVII. Earnings per equity share (for discontinued & continuing operation):			
(1) Basic		(1.00)	(3.57)
(2) Diluted		(1.00)	(3.57)

संलग्न नोट 1 से 56 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

As per our report of even date attached
For V. Khanna & Co.
Chartered Accountants
FR No. -000[illegible]00C

(CA. Vishal Khanna)
Partner
M . N. 077146

V. KHANNA & CO.
KANPUR
CHARTERED ACCOUNTANTS

Place: Lucknow
Date:
05 AUG 2025
UDIN :- 25077146BMSKQ02702

For and on behalf of the Board of Directors of **Scooters India Limited**

(Mukesh Kumar)	**(Navin Kaul)**
Director (Finance)	Chairman and Managing Director
DIN - 10592715	DIN - 10604669

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

सूचीबद्धता समझौते के खंड 32 के अनुसार

विवरण	Year Ended 31.03.2025		Year Ended 31.03.2024	
	₹ in Lakhs		₹ in Lakhs	
Cash flow from operating activities:				
Net Profit/(Loss) before Tax		**(597.58)**		**(419.53)**
Adjustment for:				
- Depreciation				
(i) For Current Year	0.00		0.00	
(ii) For Prior Period	-		-	
-Prior Year items	-		-	
-Loss Written off	-		-	
-Provision for Loss in Value of Investment	-		-	
-Provision / Written off for Doubtful Debts	-		-	
-Provision for Inventory obsolescence	-		-	
-Excess Provision Written Back	-		-	
-Interest Income	(304.04)		(292.27)	
-GOI Interest Expense	553.50		553.50	
-(Profit)/Loss in exchange rate change	-		-	
-(Profit)/Loss on sale of fixed assets	-	249.46	-	261.23
Operating profit before working capital changes		**(348.12)**		**(158.30)**
Adjustment for:				
-Trade receivables	25.94		-	
-Inventories	-		-	
-Other current assets	426.10		86.09	
-Financial Assets - Others	-		-	
-Other Non-Current Assets	-		-	
-Other Non-Current Liabilities	-		-	
-Trade payables	24.52		(0.14)	
-Other Current Liabilities	564.26		527.50	
-Financial Assets - Loans & Advances	(1009.09)		13.15	
-Capital Reserve	-		-	
-Provisions	1,250.04	(1213.31)	1,250.04	1,876.64
Cash generated/(loss) from operations:		**(1,561.43)**		**1,718.34**
Less: - Taxes Paid	-		1,444.25	
Provision for Income Tax	275.66		1,250.04	
Net cash from operating activities		**(1837.09)**		**(975.95)**
Cash flow from Investing activities				
- Increase in fixed assets / capital expenditure	-		-	
- Sale/ Adjustments of assets	-		-	
- Interest Income	304.04		292.27	
- Other Fixed deposit with banks realized/(made)	765.00		2530.44	
-(Loss)/Gain in exchange rate	-		-	
Net cash used in investing activities		**1069.04**		**2,822.71**
Cash flow from financing activities				
-GOI Interest Expense	(553.50)		(553.50)	
-Increase in share capital	-		-	
- Repayment of term loan to G.O. I	-		-	
-Receipt of long-term loan from-G.O.I.	-		-	
-Settlement of GOI Loan	-		-	
-Viability Gap Funding from MNRE	-		-	
-(Decrease)/ Increase in cash credit limits	-		-	
Net cash used in financing activities		**(553.50)**		**(553.50)**
Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents		-1321.55		1293.26

Cash and cash equivalents (Opening balance)	1776.23	482.97
Cash and cash equivalents (Closing balance)	**454.68**	**1776.23**

नकदी प्रवाह विवरण के लिए नोट्स

1. नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7 के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है।
भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया विवरण।

नकद और नकद समतुल्य	**2024-25**	2023-23
हाथ में नकद	0.01	0.07
हाथ में चेक	-	-
बैंकों में शेष राशि		
चालू खाते	453.15	1774.74
बैंक में जमा राशि जिसकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से कम है	1.52	1.42
	454.68	1776.23

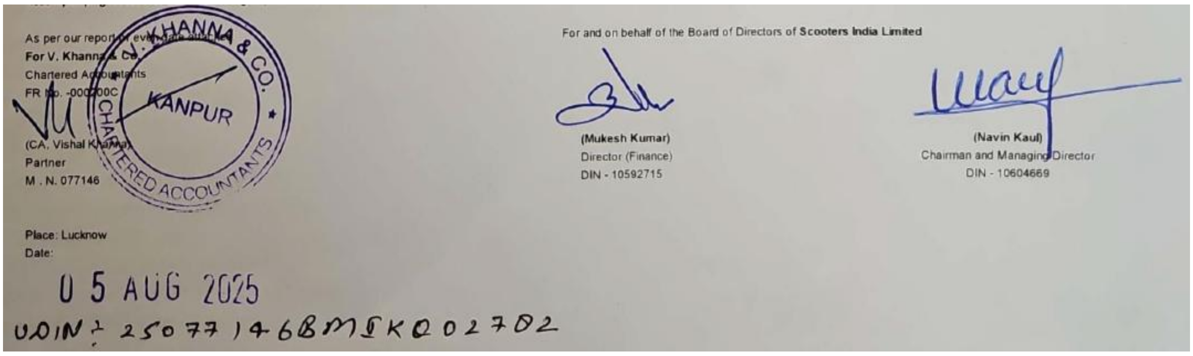
As per our report of even date attached
For V. Khanna & Co.
Chartered Accountants
FR No. -000200C

(CA. Vishal Khanna)
Partner
M . N. 077146

Place: Lucknow
Date:
05 AUG 2025
UDIN :- 25077146BMSKQ02702

For and on behalf of the Board of Directors of Scooters India Limited

(Mukesh Kumar)
Director (Finance)
DIN - 10592715

(Navin Kaul)
Chairman and Managing Director
DIN - 10604669

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

कंपनी का नाम: स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर

(1)वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि (₹लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
8,727.39	0	0	0	8,727.39

(2) पिछली रिपोर्टिंग अवधि (₹लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
8,727.39	0	0	0	8,727.39

ख. अन्य इक्विटी

(1) Current reporting period												(₹ In Lakhs)	
			Reserves and Surplus										
	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Capital Reserve	Securities Premium Reserve	Other Reserves (Specify nature)	Retained Earnings	Debt instrument through Other Comprehensive Income	Equity instrument through Other Comprehensive Income	Effective protion of cash flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of foreign operation	Other Items of Other Comprehensive Income (Specify Nature)	Money received against share warrants	Total
Balance at the beginning of the current reporting period			4.90			(10,961.43)								(10,956.53)
Changes in the accounting policy or prior period error			0.00			-								-
Restated balance at the beginning of the current reporting period			0.00			-								-
Total Comprehensive Income for the current year			0.00			-								-
Dividends			0.00			-								-
Transfer to retained earnings			0.00			-								-
Any other change (Net Profit/ Loss) During The Year)			0.00			(873.24)								(873.24)
Balance at the end of the current reporting period			4.90			(11,834.67)								(11,829.77)

(2) Previous reporting period										(₹ In Lakhs)			
			Reserves and Surplus									Money received against share warrants	Total
	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Capital Reserve	Securities Premium Reserve	Other Reserves (Spec fy nature)	Retained Earnings	Debt instrument through Other Comprehensive Income	Equity instrument through Other Comprehensive Income	Effective protion of cash flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of foreign operation	Other Items of Other Comprehensive Income (Specify Nature)		
Balance at the beginning of the current reporting period			4.90			(7,847.61)								(7,842.71)
Changes in the accounting policy or prior period			0.00			-								-

error														
Restated balance at the beginning of the current reporting period			0.00			-								-
Total Comprehensive Income for the current year			0.00			-								-
Dividends			0.00			-								-
Transfer to retained earnings			0.00			-								-
Any other change (Net Profit/ Loss) During The Year)			0.00			(3,113.82)								(3,113.82)
Balance at the end of the current reporting period			4.90			(10,961.43)								(10,956.53)

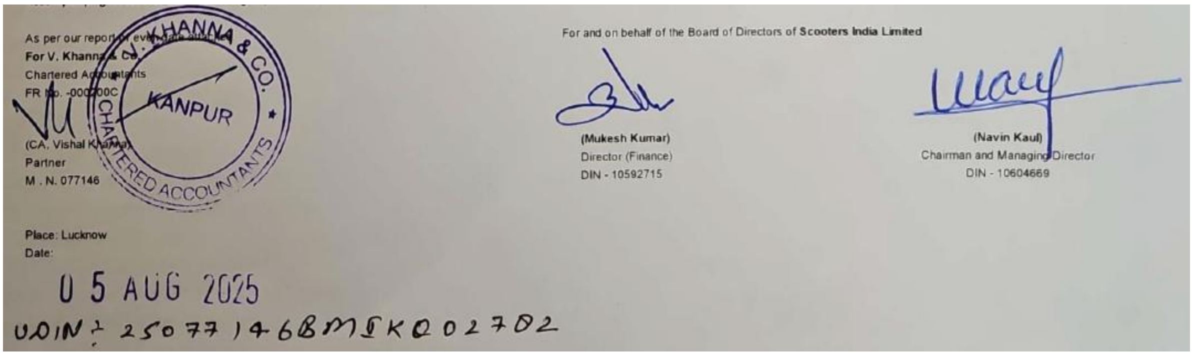
As per our report of even date attached
For V. Khanna & Co.
Chartered Accountants
FR No. -00[illegible]00C

(CA. Vishal Khanna)
Partner
M . N. 077146

Place: Lucknow
Date:
05 AUG 2025
UDIN:- 25077146BMSKQ02702

For and on behalf of the Board of Directors of **Scooters India Limited**

(Mukesh Kumar)
Director (Finance)
DIN - 10592715

(Navin Kaul)
Chairman and Managing Director
DIN - 10604669

खातों से संलग्न और उसका हिस्सा

नोट संख्या- 1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और इंड एएस वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

1. **अनुपालन विवरण :**
वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ा गया है। कंपनी ने सभी अवधियों में लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया है। 24 मार्च, 2021 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया और ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाली वित्तीय अवधियों के लिए लागू हैं। कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों पर संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और उसका अनुपालन किया है।

2. **लेखांकन प्रणाली:**

(i) मूलभूत मान्यताएँ:
लेखांकन ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार, उपार्जन आधार पर और लागू अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी एवं नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को बारह महीने निर्धारित किया है।

(ii) चालू व्यवसाय:
रणनीतिक कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली (भारत सरकार) ने पत्र संख्या एफ. संख्या 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28/01/2021 के माध्यम से कंपनी को बंद करने के संबंध में अपने निर्णय की सूचना दी और साथ ही दिनांक 14/06/2018 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार सभी परिचालनों को बंद करने का निर्णय लिया। निदेशक मंडल ने 11/02/2021 को आयोजित अपनी बैठक में इसके अनुपालन में कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, कंपनी एक चालू व्यवसाय इकाई नहीं रह गई है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं। कंपनी ने उपरोक्त पत्र के अनुपालन में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पिछले और चालू वर्ष के दौरान सभी इन्वेंट्री आइटम और परिसंपत्तियों की नीलामी की और शेष बंद करने की कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, भवन (सड़क सेवाओं और ट्यूबवेल सहित) को यूपीएसआईडीए को सौंप दिया गया है।

(iii) अनुमानों का उपयोग:
भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है, जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों व देनदारियों के प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशियों और प्रस्तुत वर्षों के लिए राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्य किए जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है और भविष्य की अवधियाँ प्रभावित होती हैं।

(iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली (भारत सरकार) के पत्र के माध्यम से कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी ने समापन पत्र के अनुपालन में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पिछले और चालू वर्ष के दौरान सभी इन्वेंट्री आइटम और परिसंपत्तियों की नीलामी की थी। इसके अलावा, भवन (सड़क सेवाएँ और नलकूप सहित) को यूपीएसआईडीए को सौंप दिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी शेष समापन कार्यवाही को भी यथाशीघ्र पूरा करने की प्रक्रिया में है।

विभागीय रूप से निर्मित/खरीदे गए उपकरण, जिनका मूल्य व्यक्तिगत रूप से ₹1,00,000 से कम है और जिनका अनुमानित उपयोगी जीवन एक अवधि से कम है और जो उपभोग्य प्रकृति के हैं, उन्हें संबंधित प्राकृतिक शीर्षों के अंतर्गत राजस्व व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता है। निर्माण अवधि के व्यय, जो केवल परियोजनाओं से संबंधित हैं, पूंजीकृत होते हैं।

(v) उधार लागत:

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित उधार लागत, जिन्हें अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि ऐसी परिसंपत्तियाँ इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएँ। अन्य उधार लागतों को उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

(vi) निवेश:

क) चालू निवेशों का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। हालाँकि, निवेशों के मूल्य में स्थायी कमी की स्थिति में, लेखा पुस्तकों में उपयुक्त प्रावधान किया जाता है।

ख) गैर-चालू निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। हालाँकि, निवेशों के मूल्य में स्थायी कमी की स्थिति में, लेखा पुस्तकों में उपयुक्त प्रावधान किया जाता है।

ग) लाभांश से आय को लेखा पुस्तकों में तब मान्यता दी जाती है जब ऐसा लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

घ) सहायक कंपनियों, संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगी संस्थाओं में निवेश को अलग वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है।

इंड-एएस संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने अलग वित्तीय विवरणों में सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए संक्रमण तिथि पर निवेश के पिछले GAAP वहन मूल्य को मानी गई लागत के रूप में मानने का विकल्प चुना है।

(vii) प्रावधान:

संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान:
रूढ़िवादिता के एक उपाय के रूप में, सामान्यतः उन देनदारों के लिए प्रावधान किया जा रहा है जिनके बीच तीन वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है या जहाँ कंपनी ने चूककर्ता देनदारों के विरुद्ध कानूनी मामला दर्ज किया है।

(viii) इनपुट क्रेडिट:
पात्र राजस्व/पूंजीगत खरीद पर इनपुट क्रेडिट ऐसी सामग्री प्राप्त होने पर लिया जाता है।

(ix) राजस्व मान्यता
भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" के अनुसार राजस्व मान्यता मानदंड। चूँकि, दर्ज की गई बिक्री उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक के अनुसार दर्ज की जानी चाहिए थी।

अन्य वस्तुओं की बिक्री:
कंपनी एमएसटीसी से अपेक्षित विवरण प्राप्त होने के बाद नकद आधार पर अन्य वस्तुओं (स्क्रैप वस्तुओं/स्थायी संपत्तियों/इन्वेंट्री/अन्य वस्तुओं की बिक्री) की बिक्री से राजस्व की पहचान करती है।

बिक्री:
बिक्री माल बिक्री अधिनियम के अनुसार निर्धारित की जाती है। ये कॉर्पोरेट कार्यालय से बेचे गए माल के मूल्य को दर्शाते हैं।

(x) कर्मचारी लाभ:

नौकरी के बाद के दायित्व
परिभाषित लाभ योजनाएँ

भविष्य निधि में अंशदान कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट में किया जाता है। इस निधि की तुलना कुल देयता से की जाती है और यदि कोई कमी है, तो कंपनी द्वारा अतिरिक्त अंशदान किया जाता है और उसे व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण देयता का निर्धारण प्रबंधन अनुमान के आधार पर किया जाता है। हालाँकि, ग्रेच्युटी के मामले में एलआईसी द्वारा प्रबंधित निधियों में देयता की तुलना में किसी भी अतिरिक्त/घाटे को तुरंत परिसंपत्ति/देयता के रूप में मान्यता दी जाती है और इस मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले परिणामी लाभ/हानि को उस वर्ष के राजस्व में शामिल किया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

(xi) आय पर कर:
वर्तमान कर: वर्तमान कर, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू या मूल रूप से लागू कर दरों (कर कानूनों) का उपयोग करते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है और इसमें पिछले वर्षों के संबंध में कर के कारण समायोजन शामिल है।

आस्थगित कर: आस्थगित कर, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कर योग्य लाभों की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतरों पर मान्यता प्राप्त होता है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त होती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और उपगत कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त होती है जहाँ यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर किसी ऐसे लेनदेन में परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन को छोड़कर) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है और न ही लेखांकन लाभ को। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और उसे उस सीमा तक कम कर दिया जाता है जहाँ यह संभावना नहीं रह जाती है कि परिसंपत्ति के संपूर्ण या आंशिक हिस्से की वसूली के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती हैं जिसमें देनदारी का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है, जो उन कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू हो चुकी हैं या मूल रूप से लागू हो चुकी हैं। आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षित विधि से उत्पन्न होंगे।

(xii) आय और व्यय का लेखा:
चालू वर्ष में आय और व्यय का लेखा प्राकृतिक लेखा शीर्षों के अंतर्गत उपार्जन आधार पर किया जाता है।

3. आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएँ:

क. विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को दायित्व नहीं माना जाता है।

ख. जब ऐसे कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध माँग नोटिस जारी किए जाते हैं और कंपनी द्वारा उन पर विवाद किया जाता है, तो उन्हें विवादित दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग. प्रत्येक मामले में, विवादित दायित्वों के संबंध में निम्नलिखित व्यवहार किया जाता है:

क) वर्तमान दायित्वों के संबंध में एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जहाँ संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है;
ख) अन्य सभी मामलों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम न हो।

घ. पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ:
पूँजीगत खातों पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि को प्रकटीकरण के लिए माना जाता है।

नोट संख्या 2

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण राशि **(लाख रुपये में)**

	विवरण	लागत पर सकल ब्लॉक						संचित मूल्यह्रास					नेट ब्लॉक	
		AS AT 01.04.2024	वर्ष के दौरान परिवर्धन: व्यावसायिक संयोजन के माध्यम से अधिग्रहण	अन्य वृद्धि	वर्ष के दौरान कुल वृद्धि	कटौती/समायोजन/स्थानांतरण	31.03.2025	AS AT 01.04.2024	Addition	Ded /Trf	For The Year	**AS AT 31.03.2025**	**AS AT 31.03.2025**	AS AT 01.04.2024
क	**मूर्त संपत्तियाँ**													
	भवन (सड़क सेवाएँ और नलकूप सहित)													
	विद्युत उपकरण													
ख	**स्थापना और फिटिंग,**													
	वाहन		-					-				-	-	-
	कुल		-					-				-	-	-
ग	**उपयोग में न आने वाली संपत्तियाँ****	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
घ	**अमूर्त संपत्तियाँ**													
	प्रगतिशील पूँजीगत कार्य, ब्रांड-लैम्ब्रेटा और लैम्ब्रो,	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	कुल		-					-				-	-	-

नोट: -

1. जैसा कि कंपनी ने अपने लेखा-जोखा में पहले ही उल्लेख किया है कि भारत सरकार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र संख्या एफ. संख्या **3(1)/2020-**पीई-vi, दिनांक **28/01/2021** के अनुसरण में, जिसमें कंपनी को बंद करने के निर्णय के साथ-साथ डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार सभी परिचालनों को बंद करने के संबंध में दिनांक **14/06/2018** के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सूचित किया गया था, निदेशक मंडल ने **11/02/2021** को आयोजित अपनी बैठक में उसी के अनुपालन में कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, वर्तमान में कंपनी एक चालू व्यवसाय नहीं रह गई है।

नोट सं 2.1:

उपयोग का अधिकार संपत्ति **(लाख रुपये में)**

विवरण	भूमि	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक शेष	**0.00**	**0.00**
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.00
व्यावसायिक संयोजन के माध्यम से वृद्धि	0.00	0.00
वर्ष के दौरान विलोपन	0.00	**0.00**
अवधि के दौरान मूल्यह्रास	0.00	0.00
अनुवाद समायोजन	0.00	0.00
अंतिम शेष	**0.00**	**0.00**

नोट संख्या 2.2: -

प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

(क) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के लिए, निम्नलिखित आयु निर्धारण अनुसूची दी जाएगी: सीडब्ल्यूआईपी आयु निर्धारण अनुसूची

(लाख रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	सीडब्ल्यूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				कुल
	1वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च, 2025 तक समापन शेष	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00

ख) **सीडब्ल्यूआईपी पूर्णावधि विवरण** (लाख रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	पूरा किया जाना है			
	1वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1	0.00	0.00	0.00	0.00
परियोजना 2	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च, 2025 तक समापन शेष	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**

नोट संख्या 2.3: -

अन्य अमूर्त संपत्तियाँ

(क) विकास आयु अनुसूची के अंतर्गत अमूर्त संपत्तियाँ

(ख) **राशि ₹ (लाखों में)**

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	सीडब्ल्यूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				कुल
	1वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च, 2025 तक समापन शेष		0.00	0.00	0.00	0.00

विकास पूर्णता अनुसूची के अंतर्गत अमूर्त संपत्तियां

राशि ₹ (लाखों में)

विकास पूर्णता के अंतर्गत अमूर्त संपत्तियां	पूरा किया जाना है				
	1वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
परियोजना 2	0.00	0.00	0.00	0.00	
31 मार्च, 2025 तक समापन शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	

नोट संख्या 3.1: -

वित्तीय परिसंपत्तियाँ - गैर-वर्तमान निवेश

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
इक्विटी उपकरणों में निवेश (अउद्धृत) - लागत पर (अउद्धृत पूर्णतः भुगतान किया गया)	-	-
	-	-
	-	-

नोट संख्या 3.2

वित्तीय परिसंपत्तियाँ - वर्तमान निवेश

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (अउद्धृत) - लागत पर (अउद्धृत पूर्ण भुगतान) यूपी इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड 1,55,030 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1,55,030 इक्विटी शेयर) ₹10 प्रति शेयर	-	15.50
यूपी टायर्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड 5,22,800 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 5,22,800 इक्विटी शेयर) ₹10 प्रति शेयर	-	52.28
को-ऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड 5,700 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 5,700 इक्विटी शेयर) ₹10 प्रति शेयर	-	0.57
घटाएँ: मूल्य में अनुमानित हानि के लिए प्रावधान	-	68.35
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (अउद्धृत) - लागत पर (अउद्धृत पूर्ण भुगतान)	-	68.35
	-	-

क. भारत सरकार ने मेसर्स यू.पी. इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (एक राज्य सरकार का उपक्रम) की इक्विटी शेयर पूंजी में ₹15.68 लाख, यानी इक्विटी शेयर पूंजी का 49%, की भागीदारी को मंजूरी दी है और कंपनी/नामितियों ने अब तक इक्विटी शेयर पूंजी में ₹15.50 लाख का निवेश किया है। कंपनी को सूचित किया गया है कि यूपीआईएल की भूमि, भवन और संयंत्र एवं मशीनरी सहित सभी संपत्तियां उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के माध्यम से बेच दी गई हैं। तदनुसार, 1996-1997 के दौरान ₹12.71 लाख और 2004-2005 के दौरान ₹2.79 लाख के निवेश के लिए संभावित हानि का लेखा-जोखा में प्रावधान किया गया है।

ख. भारत सरकार ने मेसर्स यूपी टायर्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड (यूपीटीटी) (एक राज्य सरकारी उपक्रम) के इक्विटी शेयरों में ₹52.28 लाख, यानी उनकी इक्विटी शेयर पूंजी का 49%, की सीमा तक भागीदारी को मंजूरी दी है और कंपनी/नामितियों ने अब तक इक्विटी शेयर पूंजी में ₹52.28 लाख का निवेश किया है। चूँकि यूपीटीटी का निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया है, इसलिए शेयरों का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य शून्य माना जाता है। तदनुसार, निवेश में संभावित हानि (₹52.28 लाख) का प्रावधान 1996-1997 के दौरान के लेखों में किया गया है।

ग. कंपनी ने वर्ष 1984 में को-ऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड के शेयरों में ₹0.57 लाख का निवेश किया था। कंपनी के निवल मूल्य के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध न होने के कारण, वर्ष 2006-2007 में इसके लिए प्रावधान किया गया है।

नोट संख्या 4

व्यापार प्राप्य- गैर-चालू

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
असुरक्षित		
(i) व्यापारिक प्राप्य - गैर-चालू	-	-
a) अच्छा माना जाता है	-	-
b) संदिग्ध माना जाता है	-	-
(ii) अन्य ऋण अच्छे माने जाते हैं	-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-
	-	-

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया							कुल
	बिल न किए गए बकाया	देय नहीं	6 महीने से कम	6 माह -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण क्षीण	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण क्षीण	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ - संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 तक	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट संख्या 5

गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
सुरक्षा जमा	-	-
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिम/प्राप्ति के लिए प्रावधान।	-	-
	-	-
अन्य ऋण एवं अग्रिम	-	-
	-	-

नोट संख्या 6
आस्थगित कर संपत्तियाँ

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
(A) आस्थगित कर देयता		
मूल्यह्रास के संबंध में समय के अंतर के कारण।	-	-
कुल A	-	-
(B) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
आयकर में प्रावधान की अस्वीकृति के संबंध में समय के अंतर के कारण। अनवशोषित मूल्यह्रास, वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय और आगे ले जाने वाली हानियों के संबंध में समय के अंतर के कारण।	-	-
	-	-
कुल B	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (B-A)	-	-

नोट संख्या 7
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
पूंजीगत अग्रिम	-	-
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
1 असुरक्षित जिन्हें अच्छा माना जाता है:		
क) सुरक्षा जमा	-	-
ख) अन्य	-	-
	-	-
2 असुरक्षित जिन्हें संदिग्ध माना जाता है	-	-
	-	-
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		
	-	-

नोट संख्या 8
इन्वेंट्री

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
कच्चा माल और घटक* भंडार और पुर्जे	-	-
ढीले औज़ार और उपभोग्य वस्तुएँ*	-	-
कार्य प्रगति पर @	-	-
तैयार माल @	-	-
परिवहन में सामग्री	-	-
निरीक्षणाधीन सामग्री	-	-
निपटान भंडार	-	-
अन्य स्टॉक #	-	-
	-	-
घटाएँ: इन्वेंट्री अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	-
: उप-ठेकेदार के पास पड़ी ऐसी सामग्री के लिए प्रावधान जिसकी वसूली संदिग्ध है	-	-
	-	-

नोट संख्या 9
व्यापार प्राप्य-चालू

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
असुरक्षित		
(i) व्यापारिक प्राप्य - चालू		
a) अच्छा माना जाता है	**(10.85)**	15.09
b) संदिग्ध माना जाता है	**91.57**	415.84
	80.72	430.93
	-	-
(ii) अन्य ऋण अच्छे माने जाते हैं	**80.72**	430.93
	91.57	415.84
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**(10.85)**	15.09

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया							कुल
	बिल न किए गए बकाया	देय नहीं	6 महीने से कम	6 माह -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	(10.85)	(10.85)
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण क्षीण	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण क्षीण	-	-	-	-	-	-	91.57	91.57
घटाएँ - संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	91.57	91.57
31 मार्च, 2024 तक	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(10.85)**	(10.85)

नोट संख्या 10

नकद और नकद समतुल्य

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	**31.03.2024 तक ₹ लाख में**
नकद और नकद समतुल्य		
हाथ में नकद #	**0.01**	0.07
हाथ में चेक	**-**	-
बैंकों में शेष राशि		
चालू खाते*	**453.15**	1,774.74
घटाएँ: - संदिग्ध शेष राशि के लिए प्रावधान	**1.52**	1.42
	454.68	1,776.23
	-	-
	454.68	1,776.23
बैंक शेष		
बैंकों में सावधि जमा	**-**	-
बैंक में 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली जमा राशि	**2,860.26**	3,625.26
अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए रखी गई		
बैंक में 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली जमा राशि	**-**	-
अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए रखी गई		
घटाएँ: - संदिग्ध शेष राशि के लिए प्रावधान	**2,860.26**	3,625.26
	3,314.94	5,401.49

- इसमें ₹13.59 लाख शामिल हैं, जिन्हें पहले इंडियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया गया था और एक कानूनी मामले में अदालत के आदेश के तहत कंपनी के बैंक खाते में जमा कर दिया गया है और उस पर ग्रहणाधिकार (लियन मार्क) लगा दिया गया है। इसके अलावा, इसमें एस्क्रो खाते में शेष ₹234.30 लाख और बैंक जमाओं में सावधि जमा के रूप में रखे गए ₹393.32 लाख करोड़ भी शामिल हैं; जिनका उपयोग कंपनी के शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए किया जाएगा।

नोट संख्या 11

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (प्रतिभूति जमा)

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	**31.03.2024 तक ₹ लाख में**
सुरक्षा जमा	**0.75**	17.67
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिम/प्राप्ति के लिए प्रावधान।	**-**	4.07
	0.75	13.60
अन्य ऋण और अग्रिम	**1,096.84**	79.90
	1,097.59	93.50

नोट संख्या 12

अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
क. पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
1. सुरक्षित माना गया अच्छा	**-**	0.02
1.1. असुरक्षित माना गया अच्छा:		
क) जमा राशि	**1.89**	34.10
ख) अन्य अग्रिम	**1,327.07**	1752.05
(एलआईसी को अग्रिम, कर्मचारी अग्रिम और पार्टियों/विक्रेताओं को अन्य अग्रिम शामिल हैं)		
3 असुरक्षित माना गया संदिग्ध	**114.63**	114.63
	1,443.59	1,900.80
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**114.63**	114.63
	1,328.96	1,786.17
ख. अन्य- सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	**163.26**	132.15
	1,492.22	1,918.32

नोट संख्या 13

इक्विटी शेयर पूंजी

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
अधिकृत पूँजी 25,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 25,00,00,000)	**25,000.00**	25,000.00
₹10 प्रति शेयर। जारी पूँजी		
8,72,75,500	**8,727.55**	8,727.55
इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 8,72,75,500) प्रत्येक ₹10 के अभिदत्त और पूर्ण चुकता पूँजी अवधि की शुरुआत में शेष राशि	**8,727.23**	8,727.23
(8,72,72,255 इक्विटी शेयर* प्रत्येक ₹10 के) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	**-**	-
	8,727.23	**8,727.23**
अवधि के अंत में शेष राशि	**0.16**	0.16
जब्त शेयर	**-**	-
	8,727.39	**8,727.39**

*अभिदत्त और चुकता पूँजी में से ₹10 प्रति शेयर मूल्य के 9,05,000 शेयर (पिछले वर्ष 9,05,000 शेयर) भारत सरकार को 1972-73 और 1975-76 के दौरान नकद भुगतान प्राप्त किए बिना एक अनुबंध के अनुसार पूर्णतः भुगतान के रूप में आवंटित किए गए।

क. रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान इस प्रकार है:

विवरण	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
	संख्या	₹	संख्या	₹
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	87275500	8,727.55	87275500	8,727.55
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	0	-	0	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	87275500	8,727.55	87275500	8,727.55

भारत सरकार की कैबिनेट समिति द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार पैकेज के अनुसार पूंजीगत व्यय हेतु ₹3190.00 लाख की प्राप्ति के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹10/- प्रति शेयर के 31900000 शेयर जारी किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान एसआईएल को जारी किए गए ₹189 लाख के गैर-योजना ऋण पर कंपनी को जारी होने की तिथि से ब्याज की खाता फ्रीजिंग के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹10/- प्रति शेयर के 1890000 शेयर जारी किए गए हैं।

ख . कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या, शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए, निम्नानुसार है:

शेयरधारक का नाम	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का %	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का %
भारत सरकार	8,53,81,449	97.83	8,19,24,029	93.87

ग. इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार के इक्विटी शेयर हैं जिनका सममूल्य ₹10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार

नोट संख्या 14

प्रतिधारित आय और आरक्षित निधियाँ

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
रिज़र्व (पूंजी रिज़र्व) *		
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि, लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटि	**4.90**	4.90
घटाएँ: IND AS के अनुसार समायोजन	**-**	-
	-	-
	4.90	4.90
जोड़ें: वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ/(हानि) जोड़ें: अन्य व्यापक आय	**-**	-
	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	**4.90**	4.90
प्रतिधारित आय		
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि, लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटि	**(10,961.43)-**	(7,847.61)
घटाएँ: पिछले वर्ष का व्यय	**-**	-
घटाएँ: IND AS के अनुसार समायोजन	**-**	-
	(10,961.43)	(7,847.61)
जोड़ें: वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ/(हानि) जोड़ें: अन्य व्यापक आय	**(873.24)**	(3,113.82)
	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	**(11,834.67)**	(10,961.43)

* * 1980-81 के दौरान शेयर ज़ब्ती समायोजन ₹ 4.90 लाख था

नोट संख्या 15

गैर-वर्तमान उधार

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
संबंधित पक्ष से असुरक्षित ऋण		
भारत सरकार से ऋण*	**-**	-
	-	-

नोट संख्या 16

गैर-वर्तमान-पट्टा देयताएँ

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
पट्टा दायित्व	**-**	-
	-	-

नोट संख्या 17

गैर-वर्तमान प्रावधान

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान		
ग्रेच्युटी	**-**	-
छुट्टी नकदीकरण	**-**	-
	-	-

नोट संख्या 18

अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
ग्राहकों की सुरक्षा जमा राशि से अग्रिम राशि	- -	- -
संबंधित पक्ष	-	-
भारत सरकार को देय ब्याज पर टीडीएस की वापसी	-	-
	-	-

नोट संख्या 19

वर्तमान उधार

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
सुरक्षित		
बैंकों से ऋण और अग्रिम		
भारतीय स्टेट बैंक	-	-
इंडियन ओवरसीज बैंक	-	-
इलाहाबाद बैंक	-	-
	-	-
संबंधित पक्ष से असुरक्षित ऋण		
भारत सरकार से ऋण*	5,700.00	5,700.00
	5,700.00	5,700.00

* नोट संख्या 46 देखें

नोट संख्या 20

वर्तमान- पट्टा देयताएँ

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
पट्टा दायित्व	-	-
	-	-

नोट संख्या 21

व्यापार एवं अन्य देय राशियाँ

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
स्वीकृतियाँ	-	-
	-	-
अन्य व्यापारिक देय		
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	-	-
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया (विविध लेनदारों (सामान्य, सहायक और अन्य) सहित)	557.52	533.00
	557.52	533.00
	557.52	533.00

व्यापार देयताओं की आयु निर्धारण अनुसूची

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						कुल
	बिल न किए गए बकाया	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	26.95	-	-	530.57	557.52
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 तक	**-**	**-**	**26.95**	**-**	**-**	**530.57**	**557.52**

नोट संख्या 22

अन्य वित्तीय देनदारियाँ

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
संबंधित पक्ष भारत सरकार से दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता*	-	-
	-	-

* नोट संख्या 46 देखें

नोट संख्या 23

अन्य चालू देयताएँ

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
अग्रिम और जमा राशि	32.60	32.79
उपार्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	-	-
भारत सरकार के ऋणों पर उपार्जित और देय ब्याज	2,218.55	1,665.05
कर्मचारी आवास कॉलोनी के विरुद्ध अप्रयुक्त शेष राशि	42.32	42.32
अन्य देयताएँ और देय राशियाँ (वेतन और मजदूरी, व्यय और अनुदान के लिए देयताएँ शामिल हैं)	253.23	242.28
	2,546.70	1,982.44

नोट संख्या 24

वर्तमान प्रावधान

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टियों का नकदीकरण	18.01	18.01
	18.01	18.01
अन्य के लिए प्रावधान		
वारंटी	-	-
आयकर	-	1,250.04
	18.01	1,268.05

विवरण	2024-25	2023-24
प्रारंभिक शेष	-	-
जोड़ें: वर्ष के लिए प्रावधान (शुद्ध) जिसमें अतिरिक्त प्रावधान शामिल है/ घटाएँ	-	-
कुल	-	-
घटाएँ: भुगतान/डेबिट	-	-
अंतिम शेष	-	-

नोट संख्या 25

अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ

	31.03.2025 तक ₹ लाख में	31.03.2024 तक ₹ लाख में
ग्राहकों से अग्रिम राशि	1.90	1.90
सुरक्षा जमा	172.15	172.15
	174.05	174.05
संबंधित पक्ष भारत सरकार को देय ब्याज पर टीडीएस की वापसी	-	-
ग्राहकों से अग्रिम राशि	174.05	174.05

नोट संख्या 26

परिचालन से राजस्व

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में	31.03.2024 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में
उत्पाद की बिक्री		
तिपहिया वाहन	-	-
स्पेयर पार्ट्स	-	-
पेट्रोल, डीज़ल, लुब्रिकेंट आदि	-	-
	-	-
अन्य परिचालन राजस्व		
विविध वस्तुएँ और स्क्रैप	-	-
उत्पाद की बिक्री	-	-
	-	-

नोट संख्या 27

अन्य आय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में	31.03.2024 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में
विविध प्राप्तियाँ: बिक्री:		
क) खाली	-	-
क) अचल संपत्तियाँ और इन्वेंट्री आइटम	-	-
इन पर ब्याज:		
क) कर्मचारियों को वाहन अग्रिम	238.35	232.98
क) आपूर्तिकर्ताओं/डीलरों को अग्रिम		
क) सावधि जमा	65.69	59.29
क) अन्य	-	-
रॉयल्टी	-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
विनिमय दर में लाभ	-	-
पिछले वर्षों के प्रावधानों का प्रत्यावर्तन	-	-
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया	8.23	14.76
अन्य प्राप्तियाँ (प्राप्त किराया, पेट्रोल पंप वसूली, आदि सहित) कुल	312.27	307.03

नोट संख्या 28

सामग्री की खपत

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में	31.03.2024 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में
(I) उपभोग की गई सामग्री की लागत:		
क) कच्चा माल और घटक		
आरंभिक स्टॉक	-	-
जोड़ें: खरीदारी	-	-
ख) घटाएँ:		
i) अंतिम स्टॉक		
ii) बट्टे खाते में डाली गई इन्वेंट्री की कमी		
	-	-
ग) सामग्री की खपत (a - b)	-	-
(II) पेट्रोल पंप पर बिक्री की लागत		
क) आरंभिक स्टॉक		
जोड़ें: खरीदारी		
	-	-
ख) घटाएँ: i) अंतिम स्टॉक	-	-

ii) बट्टे खाते में डाली गई कमी	-	-
ग) पेट्रोल पंप पर बिक्री की लागत (a - b)		

नोट संख्या 29

तैयार माल, प्रगतिरत कार्य, निपटान भंडारों की सूची में परिवर्तन

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में	31.03.2024 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में
प्रारंभिक स्टॉक		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
निपटान भंडार	-	-
क	-	-
अंतिम स्टॉक		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
निपटान भंडार	-	-
ख	-	-
(**अभिवृद्धि) / ह्रास (क-ख**)	-	-

नोट संख्या 30

कर्मचारी लाभ व्यय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में	31.03.2024 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में
वेतन, मजदूरी और बोनस	-	-
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	-	-
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
कुल	-	-

नोट संख्या 31

वित्तीय लागत

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में	31.03.2024 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में
निम्नलिखित से ऋण और अग्रिम पर ब्याज:		
भारत सरकार	**553.50**	553.50
बैंक	-	-
अन्य	-	-
	553.50	553.50

नोट संख्या 32

अन्य व्यय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में	31.03.2024 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में
भंडार, पुर्जों और औजारों की खपत	-	-
बिजली और ईंधन	**0.03**	13.70
किराया	**5.50**	9.00
अन्य (विविध मरम्मत)	**0.50**	-
दरें और कर	**6.51**	-
विविध व्यय	**17.49**	24.62
बट्टे खाते में डाली गई संपत्तियाँ	**245.87**	-

डाक, तार और टेलीफोन	**8.11**	0.07
डिलिस्टिंग से संबंधित डाक व्यय	**-**	9.84
निदेशक की बैठक शुल्क	**1.00**	0.70
यात्रा व्यय	**6.29**	3.04
मुद्रण और स्टेशनरी	**17.13**	1.07
कानूनी व्यय	**16.34**	5.37
परामर्श शुल्क	**30.93**	33.00
बैंक शुल्क	**0.51**	0.05
करों पर माँग और ब्याज	**0.14**	0.16
विज्ञापन और बिक्री संवर्धन व्यय	**-**	72.44
कुल	**356.35**	173.06

नोट संख्या 33

मूल्यह्रास

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष **₹ लाख में**	**31.03.2024** को समाप्त वर्ष **₹ लाख में**
मूल्यह्रास	-	-
उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति पर मूल्यह्रास	-	-
	-	-

* भारत सरकार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र संख्या एफ. संख्या 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28/01/2021 के अनुसरण में, जिसमें कंपनी को बंद करने के निर्णय के साथ-साथ डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार दिनांक 14/06/2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सभी परिचालनों को बंद करने की सूचना दी गई थी, निदेशक मंडल ने 11/02/2021 को आयोजित अपनी बैठक में उसी के अनुपालन में कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, वर्तमान में कंपनी एक चालू व्यवसाय नहीं रह गई है।

* उपरोक्त पत्र के अनुपालन में, कंपनी द्वारा पिछले वर्षों में नीलाम किए गए सभी स्टॉक आइटम और अन्य संपत्तियां। इस प्रकार, IND AS 105 के अनुसार वर्ष के दौरान कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया।

नोट संख्या 34

कर व्यय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष **₹ लाख में**	**31.03.2024** को समाप्त वर्ष **₹ लाख में**
चालू वर्ष का आयकर	**-**	-
पिछले वर्षों से संबंधित आयकर	**275.66**	2694.29
	275.66	2,694.29

नोट संख्या 35

प्रति शेयर आय (ईपीएस)

	31.03.2025	**31.03.2024**
लाभ-हानि खाते के अनुसार लाभ (लाख रुपये में)	**(873.24)**	(3,113.82)
इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपये)	**87272255**	87272255
प्रति शेयर मूल और तनु आय (रुपये में)	**(1.00)**	(3.57)

नोट संख्या- 36

आकस्मिक देयता **(₹ लाख में)**

विवरण	मार्च 31, 2025 तक	मार्च 31, 2024 तक
(क) न्यायालय एवं मध्यस्थता मामले	**433.12**	328.91
(ख) आयकर	**-**	-
(ग) सेबी गैर-अनुपालन दंड	**-**	56.79
(घ) अन्य मामले (विवादित कर्मचारी मामलों सहित)	**11085.53**	11418.03

क) कंपनी द्वारा विवादित विभिन्न अदालती मामलों, मुकदमों और दावों को देखते हुए, इस स्तर पर संसाधनों के बहिर्वाह का पता लगाना संभव नहीं है। आम तौर पर, अदालती और मध्यस्थता मामलों के संबंध में आकस्मिक देयता को पुरस्कार/अदालत के फैसले में दिखाया जाता है और आकस्मिक देयता में इसकी रिपोर्टिंग के लिए केस-दर-केस आधार पर समीक्षा भी की जाती है।

ख) संबंधित कार्यवाही के लंबित समाधान के कारण, कंपनी के लिए मद (क) से (घ) के संबंध में वास्तविक नकदी बहिर्वाह के समय का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है, यदि कोई हो। हालाँकि, नकदी बहिर्वाह की संभावना आकस्मिक है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में आंदोलन के कारण उपरोक्त मामलों का स्पष्टीकरण: -

क) उक्त आंदोलन मुख्य रूप से वर्कर्स हाउसिंग कॉलोनी मामले के कारण है जिसे यूपीएसआईडीए को भूमि सौंपने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 की आकस्मिक देयता की सूची से हटा दिया गया है।

ख) कुल बकाया आयकर देयता ₹. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा 1117.22 लाख रुपये का भुगतान किया गया और आयकर विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

ग) वर्ष के दौरान कंपनी को बीएसई से डीलिस्ट कर दिया गया और सेबी द्वारा सभी बकाया जुर्माना/जुर्माना माफ कर दिया गया

नोट संख्या- 37

वित्तीय वर्ष 2017-18 तक यूपीवैट और सीएसटी दोनों के अंतर्गत बिक्री कर का निर्धारण पूरा हो चुका है। आयकर का निर्धारण निर्धारण वर्ष 2024-25 (31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष) तक पूरा हो चुका है।

नोट संख्या- 38

देनदारों/लेनदारों के खातों में शेष राशि, वसूली योग्य दावे, ऋण और अग्रिम, तृतीय पक्षों के पास संपत्ति/सामग्री, उपरोक्त शेष राशि के अधिकांश भाग के लिए समाधान पर समायोजन और पुष्टि, यदि कोई हो, के अधीन हैं। बिजली, सीमा शुल्क, बंदरगाह न्यास, चुंगी, बिक्री कर, मकान मालिक और कुछ पक्षों से संबंधित विभिन्न जमाओं का विवरण/पुष्टि उपलब्ध/प्राप्त नहीं है।

नोट संख्या- 39

कंपनी मुख्य रूप से मोटर वाहनों और स्पेयर पार्ट्स (ऑटोमोबाइल) के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई थी। तदनुसार, परिचालन खंडों पर भारतीय लेखा मानक-108 के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट योग्य खंड नहीं था। वर्ष के दौरान कंपनी में कोई विनिर्माण कार्य नहीं हुआ क्योंकि कंपनी भारत सरकार के दिनांक 28/01/2021 के पत्र के अनुसार पहले ही बंद हो चुकी है, जिसके तहत सभी वाणिज्यिक संचालन बंद कर दिए गए हैं।

नोट संख्या- 40

भारतीय लेखा मानक-24 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संबंधित पक्षों की सूची

भारत सरकार

I. पूर्णकालिक निदेशक

श्री अमित श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) - 25 अप्रैल 2023 से 24 अप्रैल 2024 तक
श्री नवीन कौल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) - 25 अप्रैल 2024 से
श्री मुकेश कुमार, निदेशक वित्त (अतिरिक्त प्रभार) - 20 अप्रैल 2024 से

अंशकालिक निदेशक

श्री राज कुमार, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (02 नवंबर 2021 से 01 नवंबर, 2024 तक)
श्रीमती रेणुका मिश्रा, नामित निदेशक (16 नवंबर 2023 तक)
श्री अरुण दीवान, नामित निदेशक (18 मई 2023 से)

(क) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन **(₹ लाख में)**

क्र.सं.	निदेशक का नाम	लेन-देन की प्रकृति	पारिश्रमिक/व्यय (2024-25)	पारिश्रमिक/व्यय (2023-24)
1.	श्री राज कुमार	निदेशक की बैठक फीस	1.00	0.70
2.	श्री नवीन कौल	निदेशक के आवास व्यय #	0.26	-
3.	श्री नवीन कौल	यात्रा व्यय	4.41	-
4.	श्री मुकेश कुमार	यात्रा व्यय	0.07	-

5.	श्री अमित श्रीवास्तव	यात्रा व्यय	0.18	2.31
	कुल		**5.92**	**3.01**

क्रम संख्या 2 पर निदेशक के आवास व्यय में एसआईएल के उद्देश्य से आधिकारिक दौरे पर सीएमडी और निदेशक-वित्त के लिए होटल आवास शामिल है।

$ यात्रा व्यय में सीएमडी के लिए कार शामिल है जिसका उपयोग एसआईएल के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें लखनऊ और जगदीशपुर आदि के बीच संबंधित कर्मचारियों की आवाजाही भी शामिल है।

नोट संख्या- 41

31 मार्च, 2009 तक कंपनी की निवल संपत्ति में आई गिरावट के कारण, कंपनी द्वारा किए गए संदर्भ के परिणामस्वरूप, बीआईएफआर द्वारा 18 फरवरी, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में एसआईसीए की धारा 3(1)(ओ) के अंतर्गत कंपनी को रुग्ण घोषित कर दिया गया। भारत सरकार की कैबिनेट समिति ने ₹20,196 लाख के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नई धनराशि का निवेश, योजनागत और गैर-योजनागत ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करना और ब्याज में छूट शामिल है। परिचालन एजेंसी (एसबीआई) द्वारा मसौदा पुनर्वास योजना (डीआरएस) तैयार की जा रही थी और इसे बीआईएफआर के समक्ष स्वीकृति के लिए यथासमय प्रस्तुत किया जाना था। हालांकि डीआरएस को अंतिम रूप दिए जाने और माननीय बीआईएफआर द्वारा मंजूरी दिए जाने तक, पुनरुद्धार पैकेज के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए कंपनी द्वारा दायर विविध आवेदन को बीआईएफआर ने 19 जून, 2013 की अपनी सुनवाई में एसआईसीए की धारा 18 और 32ए के अनुसार मंजूरी दे दी थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकृत शेयर पूंजी को 7500 लाख रुपये से बढ़ाकर 25000 लाख रुपये करना, 8521.12 लाख रुपये के योजनागत और गैर-योजनागत ऋण को इक्विटी में बदलना, 1049 लाख रुपये के आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि के विरुद्ध इक्विटी शेयरों को जारी करना और आवंटित करना, संचित घाटे के विरुद्ध इक्विटी शेयर पूंजी में 8521.12 लाख रुपये की कमी करना, संचित घाटे के विरुद्ध 2637.60 लाख रुपये के योजनागत और गैर-योजनागत ऋणों पर उपार्जित और देय ब्याज और उपार्जित लेकिन देय नहीं ब्याज को बट्टे खाते में डालना और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115JB के अंतर्गत यदि कोई आयकर आवश्यक हो, तो बही लाभ के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान स्वीकृत ₹189 लाख के गैर-योजना ऋण पर मूलधन और ब्याज की अदायगी का मामला, जिस पर वर्ष 2013-14 से भारी उद्योग विभाग के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है, स्वीकृत हो गया है और भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या F3-33/2009 PE-VI(खंड-IV) दिनांक 5 जून 2018 के माध्यम से ₹1.89 करोड़ के गैर-योजना ऋण पर ब्याज को स्थिर करने और ₹1.89 करोड़ की बकाया मूल राशि को इक्विटी में परिवर्तित करने की सूचना दी है।

15 सितंबर 2015 को, बीआईएफआर, नई दिल्ली की माननीय पीठ ने परिचालन एजेंसी (भारतीय स्टेट बैंक) द्वारा प्रस्तुत इस निवेदन पर कंपनी को बीआईएफआर से मुक्त कर दिया कि 31 मार्च, 2014 तक कंपनी का निवल मूल्य सकारात्मक हो गया है। बीआईएफआर ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देशों के साथ कंपनी को एसआईसीए के दायरे से मुक्त कर दिया:

क. कंपनी मेसर्स स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, एसआईसीए की धारा 3(1)(ओ) के अंतर्गत एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं रह गई है क्योंकि इसका निवल मूल्य सकारात्मक हो गया है। इसलिए, इसे एसआईसीए/बीआईएफआर के दायरे से मुक्त किया जाता है।
ख. बोर्ड एसबीआई को बोर्ड के प्रति ओए की जिम्मेदारी से मुक्त करता है।
ग. सभी सुरक्षित लेनदार, वैधानिक प्राधिकरण कानून के अनुसार अपने बकाया, यदि कोई हो, वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।

कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, बीआईएफआर द्वारा कंपनी को उसके अधिकार क्षेत्र से मुक्त करने के आदेश के बावजूद, विविध आवेदन संख्या 316/2013 में स्वीकृत राहत और रियायतें वैध और प्रभावी बनी रहेंगी।

नोट संख्या- 42

बोर्ड ने 28 मई, 2013 को आयोजित अपनी 224वीं बैठक में कर्मचारियों के लिए बातचीत से तय वेतनमान (2002) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल वसूली योग्य राशि लगभग ₹125.83 लाख और कुल देय राशि लगभग ₹42.25 लाख अनुमानित की। उक्त राशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः लगभग ₹1.87 लाख, ₹16.28 लाख, ₹12.82 लाख, ₹8.26 लाख, ₹5.53 लाख और ₹1.22 लाख की वसूली की गई है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹1.11 लाख और ₹0.97 लाख का भुगतान किया गया है।

अधिकारियों के संशोधन के संबंध में। 01.01.2007 को, कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए 01.04.2013 को कटऑफ तिथि 01.04.2013 के साथ संशोधन के कार्यान्वयन का प्रस्ताव मंत्रालय को विचारार्थ भेज दिया गया है। कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए 01.04.2013 को कटऑफ तिथि 01.01.2007 से वेतन संशोधन के संबंध में, कंपनी के कर्मचारियों से 01.04.2013 की कटऑफ तिथि के साथ वेतन संशोधन के कार्यान्वयन हेतु सहमति मांगी गई थी। अधिकारियों का संशोधन (2007) भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

कर्मचारियों के वेतन संशोधन को अंतिम रूप दिए जाने और कर्मचारी एवं अधिकारी संघों सहित यूनियनों द्वारा केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, लखनऊ के समक्ष मामला संख्या 36/2012 के तहत दायर मामलों के समाधान तक, कर्मचारियों, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए संशोधन पूरा नहीं किया जा सका।

सभी कर्मचारियों को 01.01.2013 से अंतरिम राहत का भुगतान किया जा रहा है। जनवरी 2015.

उपरोक्त अंतरिम राहत का भुगतान वेतन/मजदूरी/बकाया में वेतन/मजदूरी संशोधन 2007 के कारण हुई वृद्धि से अंतिम समायोजन, यदि कोई हो, के विरुद्ध किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अंतरिम राहत के रूप में ₹54.22 लाख, 2019-20 के लिए ₹72.49 लाख, 2018-19 के लिए ₹104.73 लाख, 2017-18 के लिए ₹162.62 लाख, 2016-17 के लिए ₹254.29 लाख, 2015-16 के लिए ₹333.68 लाख, 2014-15 के लिए ₹99.70 लाख का भुगतान किया गया है।

अंतरिम राहत का भुगतान दिनांक 01.04.2018 से किया जा रहा है। 01.01.2015 को लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। भारत सरकार से अधिकारियों, कर्मचारियों और कामगारों के लिए संशोधन प्रस्ताव के अनुमोदन तक, बकाया राशि, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया था।

नोट संख्या- 43

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार ने कैबिनेट/बीआईएफआर द्वारा एसआईएल के पुनरुद्धार पैकेज के अनुमोदन के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु इक्विटी के रूप में ₹3190.00 लाख जारी किए।

इन निधियों पर सावधि जमा के माध्यम से अर्जित ₹128.11 लाख का ब्याज, भारत सरकार के पत्र संख्या एफ. संख्या 3(15)/2013-पीई-VI दिनांक 31 मार्च 2014 के तहत जारी तत्कालीन निर्देश के अनुसार भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

हालाँकि, कंपनी ने उपरोक्त के विरुद्ध प्रतिनिधित्व किया है और भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ. संख्या 3(15)/2013-पीई-VI दिनांक 05 मार्च 2015 के माध्यम से सूचित किया है कि यह राशि एसआईएल में इक्विटी निवेश के रूप में जारी की गई है, अतः भारत सरकार को अर्जित ब्याज के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत सरकार को पहले से जमा ब्याज अब वापस नहीं किया जा सकता।

इसे देखते हुए, एसआईएल ने 23.07.2016 को देय ₹2000 लाख के कार्यशील पूंजी योजना ऋण की किस्त भुगतान के विरुद्ध भारत सरकार को पहले से जमा ब्याज को समायोजित कर लिया है और ₹271.89 लाख (₹400 लाख में से ₹128.11 लाख घटाकर) का भुगतान कर दिया है।

नोट संख्या- 44

बीआईएफआर के दिनांक 22.06.2013 के आदेश के आधार पर, एसआईएल के निदेशक मंडल ने 12.07.2013 को आयोजित अपनी 225वीं बैठक में, एसआईएल के पुनरुद्धार हेतु व्यावसायिक योजना के अनुरूप, संचित हानियों के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 तक भारत सरकार द्वारा धारित कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में ₹8,521.12 लाख की कटौती की। इस योजना की पुष्टि कंपनी के शेयरधारकों ने 30 सितंबर, 2013 को आयोजित अपनी 41वीं वार्षिक आम बैठक में की।

नोट संख्या- 45

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 ("डीलिस्टिंग विनियम"), यथासंशोधित, और अन्य लागू कानूनों के अनुसार, कंपनी ने ₹16.99 करोड़ में से ₹16.99 करोड़ का भुगतान कर दिया है। पत्र संख्या एफ. संख्या 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28.01.2021 के अनुसरण में भारत सरकार से प्राप्त 41.00 करोड़ रुपये, एक्सिस बैंक लिमिटेड के साथ एक अधिग्रहणकर्ता (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा खोले गए एस्क्रो खाते में, बीएसई लिमिटेड से स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए ₹ 31.78 प्रति शेयर के निकास मूल्य पर सार्वजनिक शेयरधारकों से 53,48,226 इक्विटी शेयरों की खरीद के लिए।

नोट संख्या 46: -

सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 ("सेबी डीलिस्टिंग विनियम") के प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 05 जून, 2024 के बीएसई नोटिस के अनुसार, कंपनी के इक्विटी शेयरों को 20 जून, 2024 से बीएसई लिमिटेड से डीलिस्ट कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने सेबी डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों को 31.78 रुपये (केवल इकतीस रुपये अट्ठहत्तर पैसे) प्रति इक्विटी शेयर की दर से अधिग्रहण के लिए दिए गए डीलिस्टिंग ऑफर और एग्जिट ऑफर के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक 34,57,420 इक्विटी शेयर (डीलिस्टिंग ऑफर में दिए गए 33,71,461 इक्विटी शेयर और एग्जिट ऑफर में दिए गए 85,959 इक्विटी शेयर सहित) अर्जित किए हैं, जो सेबी के अनुसार निर्धारित एग्जिट मूल्य है। डीलिस्टिंग विनियम। स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा 34,57,420 शेयर 31.78 रुपये (केवल इकतीस रुपये अट्ठहत्तर पैसे) प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य पर दिए गए हैं, जो सेबी डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित निकास मूल्य है। तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास इक्विटी शेयर 31 मार्च, 2024 को 8,19,24,029 (93.87%) से बढ़कर 31 मार्च, 2025 को 8,53,81,449 (97.83%) हो गए। परिणामस्वरूप, सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान की गई 10.97 करोड़ रुपये की राशि को "अन्य ऋण और अग्रिम" (नोट संख्या 11) शीर्षक के अंतर्गत स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के बंद होने तक दिखाया गया है।

नोट संख्या 47: -

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के अनुसार अपने इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में, कंपनी ने 20/07/2023 को सेबी-पंजीकृत मर्चेंट बैंकर के माध्यम से एक्सिस बैंक में स्थित एक एस्क्रो खाते में ₹1699 लाख जमा कर दिए हैं।

यह एस्क्रो राशि डीलिस्टिंग प्रस्ताव के तहत सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान के लिए निर्धारित धनराशि है और डीलिस्टिंग प्रक्रिया पूरी होने या वापस लिए जाने तक एस्क्रो खाते में रहेगी। यह राशि कंपनी के सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है और तदनुसार इसे एक प्रतिबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रकट किया गया है।

31 मार्च, 2025 तक, एस्क्रो खाते में ₹234.00 लाख की राशि जमा है।

बैलेंस शीट में वर्गीकरण:
- राशि को चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत "नकद और नकद समकक्ष" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

नोट संख्या 48: -

- एस्क्रो राशि, इसके उपयोग पर प्रतिबंधों के कारण, नकद और नकद समकक्ष के रूप में योग्य नहीं है।

- नकद और नकद समकक्ष का समाधान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एस्क्रो में रखी गई प्रतिबंधित नकदी का प्रकटीकरण शामिल है।

नोट संख्या 49: -

भारत सरकार से ऋण **(लाखों रुपये में)**

विवरण	ऋण राशि	ब्याज की दर	अंतिम देय किश्त कामाह	31.03.2025 तक डिफ़ॉल्ट			31.03.2025 तक बकाया			31.03.2025 तक बकाया		
				मूलधना	सामान्य ब्याजt	दंडात्मक ब्याजt	मूलधना	सामान्य ब्याजt	दंडात्मक ब्याजt	मूलधना	सामान्य ब्याजt	दंडात्मक ब्याजt
Plan Loan	2,000.00	Interest Free	July-2020	1600.00	-	-	1,600.00	-	-	1,600.00	-	- -
VRS/ VSS Scheme Loan	4,100.00	13.50%	-	-	- -	- -	4,100.00	2,218.55	-	4,100.00	2,218.55	-
Total	**6,100.00**			**1,600.00**			**5,700.00**	**2,218.55**	-	**5,700.00**	**2,218.55**	-
Less: Included in Current Maturities (Note No. 22)							-	-	-	-	-	-
Less: Interest Accrued & Due on Government of India Loan (Note No. 23)							-	-	-	-	-	-
Amount Included in Note No. 19							**5,700.00**	**2,218.55**	-	**5,700.00**	**2,218.55**	-

***** विविध आवेदन के माध्यम से बीआईएफआर की स्वीकृति के आधार पर, कंपनी ने **₹189** लाख के गैर-योजना ऋण पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। हालाँकि, **₹189** लाख के इस गैर-योजना ऋण को वित्त वर्ष **2018-19** के दौरान दिनांक **13.02.2019** के पत्र और **03** अगस्त **2018** को आयोजित बोर्ड की **255**वीं बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है।

8 अप्रैल **2016** को आयोजित बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, और **5** मार्च **2015** के पत्र संख्या **3(15)/2013**-पीई-**VI** की पृष्ठभूमि में, अप्रैल **2014** में भारत सरकार को प्रेषित एफडीआर के रूप में अस्थायी रूप से नियोजित पूंजीगत व्यय निधि पर **₹128.11** लाख का ब्याज **₹** की किस्त में समायोजित किया जाएगा। **23** जुलाई **2016** को मूलधन की अदायगी हेतु **400.00** लाख रुपये देय हैं। तदनुसार, लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

कंपनी को वित्तीय वर्ष **2012-13** के दौरान **₹2000.00** लाख का नियोजित ऋण (ब्याज मुक्त) प्राप्त हुआ है। पहली किस्त के भुगतान के बाद, शेष किश्तें भुगतान हेतु लंबित हैं। इस प्रकार, कंपनी **31/03/2025** तक **₹1600.00** लाख के भुगतान में चूक कर चुकी है।

कंपनी को कंपनी के संचालन को बंद करने हेतु लंबित देनदारियों के भुगतान हेतु **₹6512.00** लाख की कुल स्वीकृत राशि में से **28/03/2021** को **₹4100.00** लाख का ऋण (**13.50%** ब्याज दर पर) भी प्राप्त हुआ है, जो समापन पत्र में निर्दिष्ट बिक्री से प्राप्त राशि से पुनर्भुगतान योग्य होगा।

<u>नोट क्रमांक 50:-</u>

वित्तीय अनुपात

अनुपात/ मापन	विधि	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए परिवर्तन का कारण (25% से अधिक)
		मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024	
(क) चालू अनुपात	चालू देनदारियों की तुलना में चालू परिसंपत्तियाँ	0.66	0.77	-
(ख) ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल शेयरधारकों की इक्विटी की तुलना में ऋण	-1.84	-2.56	संचित घाटे में वृद्धि के कारण
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	वर्तमान ऋण की तुलना में EBIT	-0.01	0.02	कंपनी के परिचालन बंद होने के कारण, कोई आय नहीं है, जिससे संचित घाटा बढ़ रहा है और सरकारी ऋण पर वार्षिक ब्याज बढ़ रहा है।
(घ) इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात	कुल औसत इक्विटी की तुलना में PAT	-0.10	-0.36	कंपनी के परिचालन बंद होने के कारण, कोई आय नहीं है, जिससे संचित घाटा बढ़ रहा है क्योंकि समापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए भुगतान किए जा रहे हैं।
(ङ) इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	औसत इन्वेंट्री की तुलना में बेची गई वस्तुओं की लागत	0.00	0.00	-
(च) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	औसत व्यापार प्राप्तियों की तुलना में परिचालन से राजस्व	0.00	0.00	-
(छ) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	औसत व्यापार देय राशि की तुलना में समायोजित व्यय	0.00	0.00	-
(ज) शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	औसत कार्यशील पूंजी की तुलना में परिचालन से राजस्व	-0.12	-0.17	कंपनी के परिचालन बंद होने के कारण, परिचालन से कोई राजस्व नहीं है, कंपनी

(i) शुद्ध लाभ अनुपात	राजस्व की तुलना में शुद्ध लाभ	-2.80	-10.14	का आगे बंद होना प्रक्रियाधीन है, जिससे संचित घाटा और इक्विटी में वृद्धि हो रही है।
(j) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	औसत नियोजित पूंजी की तुलना में PBIT	-0.01	0.02	वैधानिक बकाया, विवादों से संबंधित भुगतान और कंपनी समापन प्रक्रिया से संबंधित भुगतान के कारण कंपनी के निवेश/जमा में कमी के कारण।
(k) निवेश पर प्रतिफल।	भारित औसत निवेश की तुलना में ब्याज आय, निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ और शुद्ध उचित मूल्य लाभ।	0.09	0.06	कंपनी के परिचालन बंद होने के कारण, परिचालन से कोई राजस्व नहीं है, कंपनी का आगे बंद होना प्रक्रियाधीन है, जिससे संचित घाटा और इक्विटी में वृद्धि हो रही है।
(l) निवेश पर प्रतिफल	राजस्व की तुलना में EBITDA	-14%	44%	-
(m) ईबीआईटीडीए %	राजस्व की तुलना में EBIT	-14%	44%	

नोट संख्या 51

कंपनी अधिनियम, **2013** की अनुसूची **III** भाग **II** के अनुसार अतिरिक्त जानकारी

1. 31 मार्च, **2025** को समाप्त वर्ष के लिए स्टॉक और टर्नओवर

	स्टॉक्स					
	प्रारम्भ में		**बंद होने पर**		**कारोबार**	
	Nos	₹ in Lakhs		₹ in Lakhs	Nos	₹ in Lakhs
विक्रम थ्री-व्हीलर	**0**	**₹ -**	**-**	**-**		**₹ -**
स्पेयर और कंपोनेंट	**-**	**₹ -**	**-**	**-**		**₹ -**
पेट्रोल पम्प स्टॉक (मात्रा ली. में)	**-**	**₹ -**	**-**	**-**		**₹ -**

2. लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक

	2024-25 ₹ in Lakhs	2023-24 ₹ in Lakhs
(क) वैधानिक लेखा परीक्षक का लेखा परीक्षा शुल्क	**0.35**	1.60
(ख) त्रैमासिक सीमित समीक्षा शुल्क	**0.00**	1.40
(ग) प्रमाणन एवं परामर्श शुल्क	**0.00**	0.70
(घ) लागत लेखा परीक्षा शुल्क	**0.00**	0.00
(ङ) कर लेखा परीक्षा शुल्क	**0.00**	0.28
(च) आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	**0.00**	0.50
	0.35	4.48

नोट संख्या 52

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार तैयार किए गए हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ आवश्यक हो, पुनर्समूहित, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्गठित किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

नोट संख्या 53

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी आदेश संख्या 3(1)2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 के अनुपालन में, 31/03/2025 तक निम्नलिखित गतिविधियाँ पूरी होनी बाकी हैं: -

क) ब्रांड विक्रम और विजय सुपर का मुद्रीकरण।

नोट संख्या 54

भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या एफ. संख्या 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28/01/2021 के अनुसरण में। भारत सरकार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14/06/2018 के अनुसार डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार कंपनी को बंद करने के साथ-साथ सभी परिचालनों को बंद करने के निर्णय की सूचना देते हुए, निदेशक मंडल ने 11/02/2021 को आयोजित अपनी बैठक में इसके अनुपालन में कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, कंपनी एक चालू व्यवसाय नहीं रह गई है और पिछले वर्षों के दौरान कंपनी की सभी परिसंपत्तियों और इन्वेंट्री मदों की नीलामी कर दी गई है। इसके अलावा, भवन (सड़क सेवाओं और नलकूप सहित) यूपीएसआईडीए को सौंप दिया गया है।

नोट संख्या 55

नोट संख्या 50 के संदर्भ में, सभी कर्मचारियों के लिए तीन महीने की अवधि में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का विकल्प चुनना आवश्यक था। सभी कर्मचारियों ने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वीआरएस ले लिया है। उक्त देयता के निपटान के संबंध में कंपनी को रु. 28/03/2021 को भारत सरकार से 41 करोड़ रुपये (कुल स्वीकृत राशि 65.12 करोड़ रुपये में से) स्वीकृत।

नोट संख्या 56

सिलोवा (स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन) ने मार्च, 2021 में कंपनी के मौजूदा कर्मचारियों को किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम में स्थानांतरित करने के लिए एक याचिका दायर की थी और उक्त याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में लंबित है।

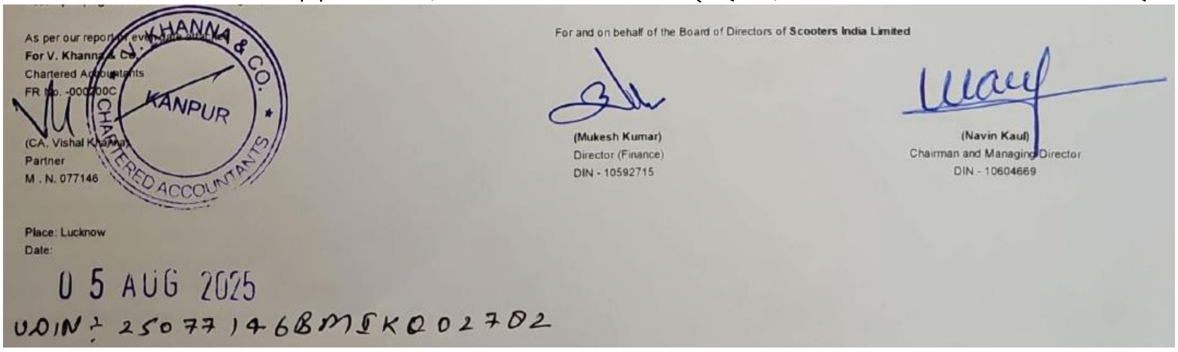

As per our report of even date attached
For V. Khanna & Co.
Chartered Accountants
FR No. -000?00C
(CA. Vishal Khanna)
Partner
M . N. 077146

V. KHANNA & CO. KANPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Place: Lucknow
Date:
05 AUG 2025
UDIN:- 25077146BMSKQ02702

For and on behalf of the Board of Directors of **Scooters India Limited**

(Mukesh Kumar)
Director (Finance)
DIN - 10592715

(Navin Kaul)
Chairman and Managing Director
DIN - 10604669

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम) कॉर्पोरेट पहचान संख्या L25111UP1972GOI003599
पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010, उत्तर प्रदेश, भारत
फ़ोन: 0522-3178490, ईमेल: csscootersindia@gmail.com वेबसाइट: www.scootersindialimited.com

सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 53वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 24.11.2025 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण कार्य:

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे अपनाना, और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिनमें 31 मार्च, 2025 तक का बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, निदेशक मंडल और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, एतद्द्वारा प्राप्त, विचारित और अपनाए जाते हैं।"

2. डॉ. रेणुका मिश्रा, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर चुकी हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि डॉ. रेणुका मिश्रा, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर चुकी हैं, को कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाता है और रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।"

3. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो इसे एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक वर्ष 2024-25 के लिए ₹35,000/- निर्धारित किया जाना अनुमोदित किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ताक्षरित/-

नवीन कौल
डीआईएन: 10604669
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 31.10.2025

लखनऊ

1 नोट्स:

1 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और परिपत्र संख्या के माध्यम से। 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") के आयोजन पर स्पष्टीकरण" के संबंध में (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") अपने परिपत्र संख्या के माध्यम से। सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या। सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या। सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, परिपत्र संख्या। सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024, "सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से छूट" (सामूहिक रूप से "सेबी परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के संबंध में, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति दी गई, बिना किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के। कंपनी 53वीं एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडिटर-विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित कर रही है। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010, उत्तर प्रदेश, भारत में आयोजित मानी जाएगी, जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का स्थल माना जाएगा। इस प्रकार, आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। अतः, सदस्य आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं।

2 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए, अधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक समझौता किया है। सीडीएसएल द्वारा एजीएम की तिथि पर सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

3 सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।.

4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति गिनी जाएगी।

5 एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार, इस वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के लिए उपस्थित होने और मतदान करने हेतु किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम,

2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसार, सदस्यों के प्रतिनिधि, जैसे भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या निगमित निकाय, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।

6 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020 के अनुरूप, वार्षिक आम बैठक (एजीएम)/अतिरिक्त आम बैठक (ईजीएम) के लिए सूचना कंपनी की वेबसाइट www.scootersindialimited.com पर अपलोड कर दी गई है। यह सूचना स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड, www.bseindia.com से भी प्राप्त की जा सकती है। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना सीडीएसएल (एजीएम/अतिरिक्त आम बैठक (ईजीएम) के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग प्रणाली प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट, अर्थात् www.evotingindia.com पर भी प्रसारित की जाती है।

7 श्री अमित गुप्ता, जिनके पास मेसर्स अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर 4682 है, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच करने के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

8 बैठक में ई-वोटिंग समाप्त होने के बाद, संवीक्षक बैठक में डाले गए वोटों और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों की संवीक्षा करेगा और एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट तैयार कर उसे अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। ई-वोटिंग का परिणाम बैठक समाप्त होने के दो कार्यदिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा और उसे समेकित संवीक्षक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.scootersindialimited.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर प्रदर्शित किया जाएगा। परिणाम, समेकित संवीक्षक रिपोर्ट के साथ, स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा।

9 लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, भौतिक रूप में रखी गई सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण केवल डीमैट मोड में ही किया जाएगा। इसके अलावा, सेबी ने यह भी अनिवार्य किया है कि सूचीबद्ध कंपनियाँ, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, दावा न किए गए सस्पेंस खातों से दावा करने, शेयर प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण/विनिमय, समर्थन, शेयर प्रमाणपत्रों का उप-विभाजन/विभाजन/समेकन, प्रेषण, स्थानांतरण आदि से संबंधित निवेशक सेवा अनुरोधों पर कार्रवाई करते समय, केवल डीमैट मोड में ही प्रतिभूतियाँ जारी करेंगी। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और डीमैटरियलाइज़ेशन के अंतर्निहित लाभों को प्राप्त करने के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को डीमैटरियलाइज़ेशन की सुविधा का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है।

10. अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता, अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत निदेशकों की रुचि वाले अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर, और सूचना में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज़, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। सूचना में उल्लिखित सभी दस्तावेज़, इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि तक, सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपना फ़ोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी बताते हुए csscootersindia@gmail.com.com पर ईमेल भेज सकते हैं।

11 भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे केवाईसी विवरण जैसे पैन (आधार से जुड़ा), नामांकन विवरण, संपर्क विवरण (पिन के साथ पता, मोबाइल नंबर और ईमेल पता), बैंक खाता विवरण (बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या और आईएफएस कोड) और नमूना हस्ताक्षर कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए"), स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण- I, नई दिल्ली - 110020, भारत, संपर्क व्यक्ति: श्री पवन सिंह बिष्ट, टेलीफोन: 011 - 26812682 / 83 और 40450193-97, ईमेल: admin@skylinerta.com, वेबसाइट: www.skylinerta.com पर पंजीकृत/अपडेट करें। उपरोक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए सेबी द्वारा निर्धारित प्रासंगिक फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.scootersindialimited के साथ-साथ आरटीए की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। www.skylinerta.com. उपर्युक्त प्रपत्रों को जमा करने के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण/प्रश्न के लिए, शेयरधारक उपर्युक्त विवरण पर आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ केवाईसी विवरण जैसे पैन (आधार से जुड़ा), नामांकन विवरण, संपर्क विवरण (पिन सहित पता, मोबाइल नंबर और ईमेल पता), बैंक खाता विवरण (बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या और आईएफएस कोड) और नमूना हस्ताक्षर पंजीकृत/अपडेट करें।

12. डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ केवाईसी विवरण जैसे पैन (आधार से जुड़ा), नामांकन विवरण, संपर्क विवरण (पिन सहित पता, मोबाइल नंबर और ईमेल पता), बैंक खाता विवरण (बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता 105 संख्या और आईएफएस कोड) और नमूना हस्ताक्षर पंजीकृत/अपडेट करें।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण:

13. **एमसीए परिपत्रों और लिस्टिंग विनियमों के विनियम** 36(1)(**ए**) **के अनुपालन में**, **वित्तीय वर्ष** 2024-25 **की वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक** (**एजीएम**) **की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनका ई-मेल पता कंपनी/रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंट** (**आरटीए**)/**डिपॉजिटरी प्रतिभागियों** (**डीपी**)/**डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त**, **लिस्टिंग विनियमों के विनियम** 36(1)(**बी**) **के अनुपालन में**, **वित्तीय वर्ष** 2024-25 **की वार्षिक रिपोर्ट के लिए वेब-लिंक**, **सटीक पथ सहित**, **उपलब्ध कराने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिनका ई-मेल पता कंपनी/रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंट** (**आरटीए**)/**डिपॉजिटरी प्रतिभागियों** (**डीपी**)/**डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है। सदस्य कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष** 2024-25 **के लिए सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी और इसे इस लिंक**: https://www.scootersindialimited.com, **और आरटीए की वेबसाइट** www.skylinerta.com **के माध्यम से देखा जा सकता है।**

14. **कंपनी से सभी संचार** (**वार्षिक रिपोर्ट सहित**) **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए**:
   क) **डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करें। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड** (NSDL) **ने इस लिंक**: https://eservices.nsdl.com/kyc-attributes/#/login **के माध्यम से ई-मेल पते के पंजीकरण/अपडेशन की सुविधा प्रदान की है। कृपया नोट संख्या** 12 **देखें।**
   ख) **भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस सूचना में नोट संख्या** 11 **में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।**

ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए शेयरधारकों के निर्देश इस प्रकार हैं:

चरण 1: **डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से प्रवेश।**

चरण 2: **भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से प्रवेश।**

(i) **मतदान अवधि** 21.11.2025 **को सुबह** 9:00 **बजे शुरू होगी और** 23.11.2025 **को शाम** 5:00 **बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान**, **कंपनी के शेयरधारक**, **जो** 17.11. 2025 **की कट-ऑफ तिथि** (**रिकॉर्ड तिथि**) **को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं**, **इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद**, **सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।**

(ii) **जिन शेयरधारकों ने बैठक की तिथि से पहले ही मतदान कर दिया है**, **वे बैठक स्थल पर मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।**

(iii) **सेबी परिपत्र संख्या** SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 **दिनांक** 09.12.2020 **के अनुसार**, **भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड** (**सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ**) **विनियम**, 2015 **के विनियम** 44 **के अंतर्गत**, **सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। हालाँकि**, **यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है।**

वर्तमान में, **भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधाएँ प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता** (**ईएसपी**)

हैं। इसके लिए विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और शेयरधारकों द्वारा कई उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाए रखना आवश्यक है।

मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, एक सार्वजनिक परामर्श के बाद, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी में दोबारा पंजीकरण किए बिना अपना वोट डाल सकेंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी, बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की सहजता और सुविधा भी बढ़ेगी।

चरण 1: डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से प्रवेश।

(i) **सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र संख्या** SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 **दिनांक** 9 **दिसंबर**, 2020 **के अनुसार**, **डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।**

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, **डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों**, **सीडीएसएल/एनएसडीएल के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है**:

शेयरधारकों का प्रकार	**लॉगिन विधि**
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/ईजीस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीस्ट में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ताओं का URL https://web.cdslindia.com/myeasitoken/home/login है या आप https://www.cdslindia.com पर जाकर लॉगिन आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और न्यू सिस्टम Myeasi का चयन कर सकते हैं। 2) सफल लॉगिन के बाद ईजी/ईजीस्ट उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं, जैसे CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी उपलब्ध हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता https://www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके या https://web.cdslindia.com/myeasitoken/home/login पर क्लिक करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुँच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर OTP भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और वह सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंच भी सकेगा।

एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही NSDL IDeAS सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया NSDL की ई-सेवा वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL: https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-सेवाओं का होम पेज खुलने पर, "लॉगिन" के अंतर्गत "लाभार्थी स्वामी" आइकन पर क्लिक करें, जो 'IDeAS' सेक्शन में उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "ई-वोटिंग तक पहुँच" पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग पृष्ठ दिखाई देगा। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "IDeAS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" पोर्टल चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन में उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (यानी NSDL के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/OTP और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए NSDL/CDSL में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आपको ई-वोटिंग विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको NSDL/CDSL डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य अपनी उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता आईडी भूल जाएँ" और "पासवर्ड भूल जाएँ" विकल्पों का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी, अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	**हेल्पडेस्क विवरण**
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य, helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	

चरण 2: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट रूप में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से प्रवेश।

(i) **भौतिक शेयरधारकों और डीमैट रूप में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।**

1) **शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट** https://www.evotingindia.com **पर लॉग ऑन करना चाहिए।**

2) "**शेयरधारक**" **मॉड्यूल पर क्लिक करें।**

3) **अब अपनी उपयोगकर्ता आईडी दर्ज करें।**

A
क. सीडीएसएल के लिए: 16 **अंकों की लाभार्थी आईडी**,
ख. एनएसडीएल के लिए: 8 **अंकों की डीपी आईडी और उसके बाद** 8 **अंकों की क्लाइंट आईडी**,
ग. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।

4) **इसके बाद प्रदर्शित छवि सत्यापन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।**

5) **यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं और आपने** https://www.evotingindia.com **पर लॉग इन करके किसी कंपनी की पिछली ई-वोटिंग में वोट किया है**, **तो आपको अपना मौजूदा पासवर्ड इस्तेमाल करना होगा।**

6) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

	भौतिक शेयरधारकों और डीमैट खाते में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए।
पैन	• आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फ़ा-न्यूमेरिक *पैन दर्ज करें (डीमैट और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू)
लाभांश बैंक विवरण	• जिन शेयरधारकों ने कंपनी/डिपॉज़िटरी प्रतिभागी के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।

(i) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

(ii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुँच जाएँगे। हालाँकि, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अब 'पासवर्ड निर्माण' मेनू पर पहुँच जाएँगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड फ़ील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के प्रस्तावों पर मतदान के लिए भी किया जा सकता है, जिस पर वे मतदान करने के पात्र हैं, बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुनती हो। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने का अत्यधिक ध्यान रखें।

(iii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस सूचना में निहित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

(iv) संबंधित <कंपनी का नाम> के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें जिस पर आप मतदान करना चुनते हैं।

(v) मतदान पृष्ठ पर, आपको "प्रस्ताव विवरण" दिखाई देगा और उसके सामने मतदान के लिए "हाँ/नहीं" विकल्प दिखाई देगा। अपनी इच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प चुनें। हाँ विकल्प का अर्थ है कि आप प्रस्ताव से सहमत हैं और नहीं विकल्प का अर्थ है कि आप प्रस्ताव से असहमत हैं।

(vi) यदि आप प्रस्ताव का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हैं, तो "प्रस्ताव फ़ाइल लिंक" पर क्लिक करें।

(vii) जिस प्रस्ताव पर आपने मतदान करने का निर्णय लिया है, उसे चुनने के बाद, "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "ठीक है" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना मत बदलने के लिए, "रद्द करें" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने मत को संशोधित करें।

(viii) एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपने मत की "पुष्टि" कर देते हैं, तो आपको अपने मत को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

(ix) आप मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक करके डाले गए मतों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(x) यदि कोई डीमैट खाताधारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, तो उपयोगकर्ता आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करें और "पासवर्ड भूल गए" पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(xi) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा - केवल दूरस्थ मतदान के लिए।

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) और संरक्षकों को https://www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होगा और "कॉर्पोरेट" मॉड्यूल में खुद को पंजीकृत करना होगा।
- संस्था की मुहर और हस्ताक्षर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल की जानी चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद, एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाना चाहिए। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वह वोट करना चाहता है।
- लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए, और खातों के अनुमोदन के बाद, वे अपना वोट डाल सकेंगे।
- बोर्ड के प्रस्ताव और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की स्कैन की गई प्रति, जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है, यदि कोई हो, तो उसे पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड किया जाना चाहिए ताकि जांचकर्ता उसे सत्यापित कर सकें।
- वैकल्पिक रूप से, गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों को संबंधित बोर्ड प्रस्ताव/प्राधिकरण पत्र आदि को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जांचकर्ता को और कंपनी को ईमेल पते पर भेजना होगा; csscootersindia@gmail.com (कंपनी द्वारा निर्दिष्ट ईमेल पता), यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से वोट किया है और इसे सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है ताकि जांचकर्ता उसे सत्यापित कर सकें।

बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1 **एजीएम/ईजीएम के दिन बैठक में भाग लेने और ई-वोटिंग की प्रक्रिया ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।**

2 **बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम का लिंक उपलब्ध होगा, जहाँ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।**

3 **जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे एजीएम/ईजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।**

4 **बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।**

5 **इसके अलावा, शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कैमरा चालू रखना होगा और अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करना होगा।**

6 **कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए, उपरोक्त किसी भी समस्या से बचने के लिए एक स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।**

7 **जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे बैठक से कम से कम तीन दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर (कंपनी ईमेल आईडी) पर बताकर अपना अनुरोध भेजकर खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रश्न हैं, वे बैठक से तीन दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर (कंपनी ईमेल आईडी) पर बताकर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर कंपनी द्वारा ईमेल द्वारा उचित रूप से दिया जाएगा।**

8 **जिन शेयरधारकों ने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।**

केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, ईजीएम/एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

9.**यदि शेयरधारकों द्वारा ईजीएम/एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई वोट डाला जाता है, और यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोट अमान्य माने जाएँगे, क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध है।**

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ईमेल/मोबाइल नंबर कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है।

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए - कृपया कंपनी/आरटीए ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।

2. डीमैट शेयरधारकों के लिए, कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।

3. व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें, जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।

   यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, (सीडीएसएल,) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेजें या 1800225533 पर कॉल करें।

शेयरधारकों के ध्यानार्थ

बीएसई लिमिटेड से इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग: **भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या एफ**. **संख्या** 3(1)/2020-**पीई**-VI, **दिनांक** 28.01.2021 **के अनुसार**, **भारत के राष्ट्रपति द्वारा** 3 **मई**, 2023 **को की गई आरंभिक सार्वजनिक घोषणा के अनुसार**, **एसआईएल के इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। भारत सरकार**, **भारी उद्योग मंत्रालय**, **नई दिल्ली के निर्देशानुसार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड** (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) **विनियम**, 2021 **के विनियम** 8 **और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड** ("**सेबी**") **द्वारा दी गई विभिन्न छूटों के अनुसार**, **डीलिस्टिंग ऑफर** 26 **दिसंबर**, 2023 **से** 8 **अप्रैल**, 2024 **तक** 75 **कार्य दिवसों के लिए खुला रहेगा। इसके लिए ऑफर लेटर**, **टेंडर फॉर्म और अन्य संबंधित दस्तावेज** 5207 **पब्लिक शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से और** 6130 **पब्लिक शेयरधारकों को डाक के माध्यम से** 21 **दिसंबर**, 2023 **को भेजे जाएंगे और** 8-9 **दिसंबर**, 2023 **को देश भर के विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार पत्र प्रकाशित किए जाएंगे।**

बीएसई ने अपने नोटिस नंबर 20240605-51 दिनांक 5 जून, 2024 के माध्यम से सूचित किया है कि कंपनी के इक्विटी शेयरों (स्क्रिप कोड: 505141) में ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। 12.06.2024 से प्रभावी, और उपर्युक्त शेयर 20 जून, 2024 से बीएसई से डीलिस्ट हो गए हैं।

एग्जिट ऑफर की सार्वजनिक घोषणा और एग्जिट लेटर ऑफ ऑफर का प्रेषण: सेबी डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 26 **के प्रावधानों के अनुसार**, **सभी शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को** 17 **अगस्त**, 2024 **को एक एग्जिट लेटर ऑफ ऑफर भेजा गया था और उसके बाद** 16 **नवंबर**, 2024, 4 **जनवरी**, 2025, 5 **अप्रैल**, 2025 **और** 1 **अगस्त**, 2025 **को अनुस्मारक भेजे गए थे**, **और एक प्रकाशन भी किया गया है।**

यह एग्जिट ऑफर सार्वजनिक घोषणा ("**एग्जिट ऑफर पीए**") **निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी** (**अर्थात**, **उन सभी समाचार पत्रों में जिनमें डिलिस्टिंग लेटर ऑफ ऑफर के लिए** 08/09 **दिसंबर**, 2023 **को पहले प्रकाशन किया गया था**), **सेबी** (**इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग**) **विनियम**, 2021 **के विनियमन** 26 **और अन्य लागू प्रावधानों और सेबी द्वारा समय-समय पर दी गई छूटों के अनुसार**

क्र.सं.	प्रकाशन	भाषा	संस्करण/ राज्य
1.	द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेज़ी	अखिल भारतीय
2.	जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
3.	दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेज़ी	जम्मू और श्रीनगर
4.	दैनिक आफ़ताब	उर्दू	श्रीनगर
5.	दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
6.	विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
7.	दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
8.	लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
9.	पुननगरी	मराठी	महाराष्ट्र
10.	तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
11.	द हिंदू	तामिल	तमिलनाडु
12.	केरल कौमडी	मलयालम	केरल
13.	बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
14.	संदेश	गुजराती	गुजरात

भुगतान चक्र: कृपया ध्यान दें कि अधिग्रहणकर्ता को मासिक आधार पर, उस संबंधित कैलेंडर माह की समाप्ति से 10 कार्यदिवसों के भीतर भुगतान करना होगा जिसमें अधिग्रहणकर्ता को निकास आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ("मासिक भुगतान चक्र")।

निकास अवधि: शेष शेयरधारक, जिन्होंने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के बाद भी इक्विटी शेयर धारण करना जारी रखा है, वे 20.06.2024 से 19.06.2026 तक या सेबी द्वारा अनुमत किसी भी पूर्व तिथि ("निकास अवधि") तक ₹31.78/- प्रति इक्विटी शेयर ("निकास मूल्य") पर अपने इक्विटी शेयर अधिग्रहणकर्ता को दे सकेंगे।

सेबी ने 21 अप्रैल, 2025 के पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2025/11275/1 के माध्यम से निकास अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया, जो 19.06.2025 को समाप्त हो गई। सेबी के निर्देशों के अनुसार, बीएसई एक वर्ष की अवधि के बाद शेष शेयरधारकों के दावों के निपटान हेतु एक तंत्र तैयार कर रहा है।

शेयरधारकों के ध्यानार्थ: सेबी के निर्देशों के अनुसार, बीएसई द्वारा तंत्र तैयार किए जाने तक, एसआईएल निकास प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से शेयरों की निविदा स्वीकार करना और मासिक आधार पर भुगतान करना जारी रखेगा। शेष शेयरधारक बिना किसी देरी के आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना निकास आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

निकास प्रस्ताव पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में: निकास प्रस्ताव पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में या किसी अन्य विवरण या प्रश्न के लिए, आप रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट www.scootersindialimited.com या प्रबंधक की वेबसाइट www.corporateprofessionals.com या रजिस्ट्रार की वेबसाइट www.skylinerta.com से इसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।

शेयरधारक नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के लिए ऑफर पत्र और अन्य दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं:

प्रस्ताव का निकास पत्र	निकास आवेदन पत्र(सभी शेयरधारकों द्वारा भरा जाना है)	शेयर हस्तांतरण प्रपत्र(यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं तो इसे निष्पादित किया जाएगा)
अनुलग्नक-1 देखें	अनुलग्नक-2 देखें	अनुलग्नक-3 देखें

नोट: कृपया निकास आवेदन पत्र जमा करने से पहले निकास प्रस्ताव पत्र में दिए गए निर्देशों को पढ़ें।

जमा करने या किसी अन्य प्रश्न के लिए पता:
स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
डी-153-ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020, भारत
संपर्क व्यक्ति: श्री पवन सिंह बिष्ट
टेलीफोन: 011 - 26812682 / 83 और 40450193-97
ईमेल: admin@skylinerta.com, वेबसाइट: www.skylinerta.com

नोट्स

SCOOTERS INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)
Registered Office: 3/481, 1st Floor, Vikalp Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010,
Uttar Pradesh, India
www.scootersindialimited.com